सर्व शिक्षा अभियान

जनपद – शाहजहाँपुर
दीर्घावधि कार्य – योजना

वर्ष 2002-2007

एवं

वार्षिक बजट

वर्ष 2003-2004

अनुक्रमणिका

अध्याय सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1.	जनपद की पृष्ठभूमि	1-9
2.	जनपद का शैक्षिक परिदृश्य	10-21
3.	नियोजन प्रक्रिया	22-59
4.	अभियान के उद्देश्य एंवं लक्ष्य	60-69
5.	समस्याएँ एवं रणनीति	70-78
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार – I	79-89
7.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार – II	90-99
8.	ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम	100-121
9.	गुणवत्ता सम्वर्धन	122-151
10.	क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण	152-166
11.	प्रोजेक्ट कास्ट	167-171
12.	समरी ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट – I	172-173
13.	समरी ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट – II	174

अध्याय – 1

जनपद शाहजहाँपुर की पृष्ठभूमि

जनपद शाहजहाँपुर रूहेलखण्ड मण्डल के दक्षिण पूर्व कोने पर स्थित है। इस जनपद की स्थापना 1813 ई० में हुई थी। इससे पूर्व यह बरेली जनपद का ही एक अंग था। यह जनपद 27.35 डिग्री व 28.28 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 79.37 डिग्री व 80.23 डिग्री पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। जनपद की सीमायें पूर्व में लखीमपुर खीरी, दक्षिण में हरदोई व फर्रुखाबाद, पश्चिम में बरेली व बदायूँ तथा उत्तर में पीलीभीत जनपदों से मिलती है। इस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 4575 वर्ग किमी० है।

यह एक कृषि प्रधान जिला है। जनपद का धरातल जगह–जगह पर ऊँचा एवं नीचा है। जनपद के उत्तर में स्थित पुवायाँ तहसील के पूर्वी उत्तरी भाग पीलीभीत व नैनीताल के तराई भागों के समान है तथा कुछ क्षेत्र में जंगल विद्यमान है। इस जनपद की मुख्य नदियाँ राम गंगा,गर्रा और गोमती है। गोमती इस जनपद में पुवायाँ तहसील के उत्तरी भाग में बहती हुई लखीमपुर जनपद में जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ कठना, झुकमा और मैसी है। गर्रा इस जनपद की महत्व पूर्ण नदी है। इसकी सहायक नदी खन्नौत,सुकेता,काई आदि हैं। गंगा व राम गंगा नदियाँ जनपद के दक्षिणी भाग बहती हुई शाहजहाँपुर, बदायूँ,फर्रुखाबाद जनपदों की सीमायें बनाती है। जलालाबाद तहसील का अधिकांश भाग राम गंगा, गंगा, बहगुल की तलहटी का इलाका है। वर्षा ऋतु में बाढ़ के प्रकोप से यह क्षेत्र प्रभावित होता है।

जनपद 4 तहसीलों शाहजहाँपुर, पुवायाँ, तिलहर तथा जलालाबाद में विभाजित है। यहाँ तीन नगर पालिकायें शाहजहाँपुर, तिलहर, जलालाबाद तथा 7 क्षेत्र पंचायतें रोजा, कौंट, अल्लाहगंज, पुवायाँ, खुटार, खुदागंज, कटरा है। जनपद 14 विकास खण्डों भावलखेड़ा, ददरौल, कौंट, जलालाबाद, कलान, मिर्जापुर, पुवायाँ, सिंधौली, बण्डा, खुटार, तिलहर, कटरा–खुदागंज, जैतीपुर, निगोही में विभाजित है। जनपद में कुल 2130 आबाद ग्राम है तथा 957 ग्राम सभायें एवं 126 न्याय पंचायतें है।

शाहजहाँपुर नगर को जहाँगीर की फौज के एक सिपाही श्री दरिया खाँ के पुत्र दिलेर खाँ तथा बहादुर खाँ ने बसाया था। यह दोनों भाई शाहजहाँ के काल में ऊँचे पदों पर नियुक्त थे तथा दिलेर खाँ की सेवाओं से प्रसन्न होकर शाहजहाँ ने उसे 14 गाँव इनाम में देने के साथ एक किले के निर्माण की स्वीकृति दी थी। श्री दिलेर खाँ ने गर्रा,खन्नौत नदियों के संगम पर स्थित नैनारखेड़ा ग्राम में स्थित गूजरों के गढ़ पर किले का निर्माण किया तथा 52 पठान जनजातियों को लाकर नगर बसाया। आज भी उन जन जातियों के नाम से नगर में अलग अलग मोहल्ले

है। शाहजहाँपुर नगर की ही भाँति मुगल सम्राट अकबर के समय में तिलहर नगर की स्थापना त्रिलोक चन्द्र नामक राजपूत ने की थी। यह जनपद का सबसे पुराना कस्बा है। उस समय यह नगर तीर कमान का नगर कहलाता था क्योंकि सैनिको के तीर कमान का नगर होती थी। तिलहर के पास ग्राम मसूर पुर में हाफिज रहमत अली खान नवाब रूहिल के नाजिम श्री मंगल खान ने एक किले की स्थापना की थी जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय तक श्री मंगल खान के परिवार के कब्जे में रहा था तथा बाद में ब्रिटिश सरकार ने इस पर कब्जा कर तहसील तथा थाने की स्थापना कर दी थी।

जनपद शाहजहाँपुर कृषि आधारित अर्थ व्यवस्था वाला क्षेत्र है। इस जनपद की तहसील पुवायाँ अन्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इस तहसील में अधिकांशतः सिख समुदाय के व्यक्ति निवास करते हैं। 1947 में भारत पाक विभाजन के समय पाकिस्तान से पलायन कर आये बहुत सारे व्यक्तियों ने इस जनपद में व मुख्यतः पुवायाँ तहसील में शरण ली। इन लोगों ने अथक परिश्रम के बल पर न केवल आर्थिक उन्नति की वरन् जनपद की कृषि अर्थ व्यवस्था में बहुमूल्य योगदान किया। इस तहसील का अधिकांश क्षेत्र तहराई भू–भाग में आता है।

जनपद शाहजहाँपुर की जनसंख्या में वर्ष 1991 के सापेक्ष वर्ष 2001 में लगभग 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि हुई है। 6 से 11 वय वर्ग एवं 11 से 14 आयु वर्ग के बालकों में भी इसी प्रकार बढ़ोत्तरी हुई है। विकास खण्ड वार जनसंख्या विवरण एवं साक्षरता विवरण निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट समझा जा सकता है। इस तालिका के अनुसार जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में 903270 पुरूष तथा 736849 महिलायें कुल 1640119 व्यक्ति निवास करते हैं। इन व्यक्तियों में पुरूषों की साक्षरता दर 59.18 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता दर 32.41 प्रतिशत रही है। ग्रामीण क्षेत्र की समग्र साक्षरता दर 47.16 प्रतिशत है। इसी प्रकार जनपद के नगरीय क्षेत्र में पुरूषों की संख्या 1131927 तथा महिलाओं की संख्या 2072818 है। नगर क्षेत्र में पुरूषों की साक्षरता दर 60.52 तथा महिलाओं की साक्षरता दर 34.60 प्रतिशत है। नगर क्षेत्र में कुल साक्षरता दर 48.79 प्रतिशत है।

जनपद के वीर सपूत

शाहजहाँपुर की धरती ने जहाँ अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खाँ तथा ठाकुर रोशन सिंह जैसे सेनानी दिये जिन्होंने देश की स्वतन्त्रता के लिए अपने आपको बलिदान कर दिया वहीं इस वीर प्रसूता भूमि पर ऐसे वीर भी पैदा हुए जिन्होंने देश की अखण्डता व स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए रण स्थल पर अपने आप को बलिदान कर दिया तथा सेना के सर्वोच्च पदक प्राप्त किये। इस सूची में अदम्य शौर्य और आत्म बलिदान के कारण खजुरिया ग्राम में जन्में नायक जदुनाथ सिंह का नाम सर्वोपरि है। नायक जदुनाथ सिंह को 1948 के युद्ध में वीरता पूर्ण

कृत्य के लिए देश का उच्चतम शौर्य पदक परम् वीर चक्र प्रदान किया गया। इसी युद्ध में पुवायाँ तहसील के ग्राम भुड़याँ बदुलिया के निवासी व सिख रेजीमेन्ट के मेजर सरदार सिंह को वीरता दिखाने के कारण वीर चक्र प्रदान किया गया। देश की अखण्डा की रक्षा करते हुए प्राणोत्सर्ग करने वाले तथा मरणोपरान्त महावीर चक्र पाने वाले तीसरे योद्धा हैं ग्राम नौगवाँ तहसील जलालाबाद निवासी लांस नायक दिगपाल सिंह राठौर। श्री राठौर 1971 में भारत पाक युद्ध के समय शहीद हुए थे। भारत चीन युद्ध के समय कैप्टन कन्हैया लाल शुक्ल तथा अभी कारगिल युद्ध में सिपाही रमेश चन्द्र ने अपने प्राणों की आहुति देकर वीर प्रसूता शाहजहाँपुर की धरती को गौरव प्रदान किया।

कला एवं साहित्य

जनपद शाहजहाँपुर सांस्कृतिक एवं साहित्यिक दृष्टि से अत्यन्त सम्पन्न रहा है, इस जनपद ने हिन्दी एवं उर्दू के अनेक लेखक कवि व शायर दिये हैं। तुलसी के समकालीन महाकवि चन्दन राय पुवायाँ के रहने वाले थे। पुवायाँ के अन्य श्रेष्ठ कवियों में राजा फतेह सिंह वर्मा, सुरेन्द्र पाल सिंह, अजय शर्मा, गंगाधर गंग, रामाधर मिश्र, शिव कुमार पाण्डेय तथा बद्री प्रसाद गुप्त प्रमुख हैं। अठारहवीं शताब्दी में नवाब मोहब्बत खाँ ने " अखबार–ऐ–मोहब्बत " से भारत इतिहास लिखा। जबकि उन्नीसवीं शताब्दी में इस जनपद ने हिन्दी एवं उर्दू के अनेक नाटककार, कहानीकार तथा आलोचक व शोधकर्ता दिये हैं जिन्होंने शाहजहाँपुर जनपद का नाम साहित्य के क्षेत्र में अमर कर दिया है।

संगीत

इस जनपद ने संगीत के क्षेत्र में भी अच्छे कलाकार दिये हैं। सरोद वादन में गुलाम अली खाँ सरोदी, अब्दुल अजीज खाँ, याकूब अली खाँ, सितार वादन में सखावत खाँ, जानकी प्रसाद सक्सेना, उमर खाँ, शराफत अली खाँ, तबला वादकों में पंड़ित रामस्वरूप, शहामत अली खाँ, सिराजुद्दीन, रियासत अली, सलामत उल्ला खाँ, हारमोनियम में नजरू, मासूम अली, श्याम बिहारी एडवोकेट, शहनाई में हबीबुल्ला, सारंगी में फैजबख्श, हफदा हुसैन, आशिक हुसैन, जैजे राम तथा बन्ने खाँ के नाम आसमान से शिष्य भारते हैं। सुप्रसिद्ध एडवोकेट पंडित विश्वम्भर लाल पाठक तथा उनके पुत्र श्री हरि कुमार पाठक दोनों ही कला प्रेमी थे। एक ओर पिता जहाँ बेजोड़ इसराज वादक थे वहीं पुत्र ने बैजों,तबला तथा बांसुरी में प्रवीणता प्राप्त की थी। कव्वाली के क्षेत्र में भी कन्धई व उनके पुत्र मुरली तथा ख्याल गोई में श्री लल्ला महाराज ने भी राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है।

रंगमंच

रंगमंच के प्रति इस जनपद की प्रतिभायें प्रायः जागरूक रहीं हैं। कुछ दशकों पूर्व 'हनुमान परिषद नाट्य संस्था' तथा 'रामा शंकर नाट्य परिषद' ने प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया तथा इस क्षेत्र में डा. जयनारायन, भाई दयाल तिवारी, रामनारायण, दयाशंकर मिश्र, सुरेन्द्र नाथ, जगदीश सक्सेना तथा गोपाली बाबू 'चोंच' सक्रिय रूप से योगदान देते रहे। वर्तमान समय में इस क्षेत्र में नवरंग ड्रामाटिक क्लब काफी सक्रिय है। नाटकों के वर्तमान स्वरूप को अभिव्यक्ति

रूप में प्रस्तुत करने,विभिन्न भाषाओं के चर्चित नाटकों को मंचित कर और नगर की प्रतिभाओं को खोजकर मंच पर प्रस्तुत करने की दशा में 'अनामिका' ने क्रान्तिकारी भूमिका अदा की है।

जनपद की जनसंख्या वृद्धि

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 1862261 थी जिसमें से पुरूषों की संख्या 1020879 तथा महिलाओं की संख्या 841302 थी। वर्ष 2001 में जनपद की कुल जनसंख्या 2072018 हो गयी है। जिसमें पुरूषों की संख्या 1131027 तथ महिलाओं की संख्या 940891 है। वर्ष 1991 में जनपद की कुल जनसंख्या के सापेक्ष वर्ष 2001 में जनसंख्या वृद्धि का विकास खण्डवार तुलनात्मक विवरण दिया जा रहा है। वर्ष 1991 तथा वर्ष 2001 की विकास खण्डवार प्रस्तुत तालिकाओं से जनसंख्या वृद्धि तथा साक्षरता दर से जनपद की शैक्षिक उपलब्धियों का आंकलन किया जा सकता है :–

विकास खण्डवार जनसंख्या सारिणी (1991 की जनगणना के अनुसार)

विकास खण्ड का नाम	कुल	पुरूष	महिला
1. भावल खेड़ा	136599	74487	62112
2. ददरौल	115022	63879	51143
3. काँट	111524	61936	49588
4. जलालाबाद	146733	82099	64634
5. मिर्जापुर	95718	53607	42111
[illegible]	104682	54740	49942
7. तिलहर	98551	54685	[illegible]
8. कटरा–खुदागंज	77151	42748	34403
9. जैतीपुर	106618	60701	45917
10. निगोही	104510	57881	[illegible]
11. पुवायाँ	106023	57870	[illegible]
12. सिंधौली	114799	63497	[illegible]
13. बण्डा	140522	77262	[illegible]
14. खुटार	119587	65451	[illegible]
15. नगर क्षेत्र तिलहर	42879	[illegible]	[illegible]
16. नगर क्षेत्र शाहजहाँपुर	241343	127372	[illegible]
योग	1862261	1020879	[illegible]

उपर्युक्त तालिका में विकास खण्डवार जनसंख्या का प्रस्तुतीकरण किया गया है। इस तालिका से स्पष्ट है कि विकास खण्ड जलालाबाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र हैं। जबकि विकास खण्ड कटरा खुदागंज सबसे कम जनसंख्या वाला विकास खण्ड है। विकास खण्ड कटरा–खुदागंज की साक्षरता दर सबसे अधिक तथा विकास खण्ड ददरौल की साक्षरता दर सबसे कम है जिसे तालिका से समझा जा सकता है :–

विकास खण्डवार साक्षरता दर सारिणी (1991 की जनगणना के अनुसार)

विकास खण्ड का नाम	कुल	पुरूष	महिला
1. भावल खेड़ा	27.71	39.04	13.45
2. ददरौल	21.87	32.73	7.98
3. कॉंट	29.62	42.03	13.38
4. जलालाबाद	25.58	36.57	10.76
5. मिर्जापुर	25.51	36.73	10.48
6. कलान	22.37	31.93	8.96
7. तिलहर	28.31	41.33	11.68
8. कटरा–खुदागंज	32.21	45.98	14.39
9. जैतीपुर	23.87	34.57	9.05
10. निगोही	25.69	37 56	10.27
11. पुवायाँ	31.80	42.27	17.54
12. सिंधौली	25.03	38.90	9.98
13. बण्डा	29.73	40.96	15.79
14. खुटार	30.48	41.25	16.77
15. नगर क्षेत्र तिलहर	33.80	40.63	26.18
16. नगर क्षेत्र शाहजहाँपुर	46.18	51.49	40.24
योग	27.18	40.18	14.18

इस तालिका से स्पष्ट है कि विकास खण्ड कटरा–खुदागंज की साक्षरता दर सबसे अधिक तथा विकास खण्ड ददरौल की साक्षरता दर सबसे कम है। जनपद की कुल साक्षरता दर में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अभूतपूर्व वृद्धि रिकार्ड की गई है। यह वृद्धि दर अगले पृष्ठ पर वर्ष 2001 की जनसंख्या तथा साक्षरता दर तालिका को देखकर स्पष्ट समझी जा सकती है। वर्ष 1991 की कुल साक्षरता दर 27.18 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2001 की कुल साक्षरता दर 48.79 प्रतिशत है [illegible] पुरूषों की साक्षरता दर वर्ष 1991 की 40.18 प्रतिशत के सापेक्ष 60.52 तथा महिलाओं की साक्षरता दर 14.18 के सापेक्ष वर्ष 2001 में 34.68 प्रतिशत है।

ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या सारिणी
(2001 की जनगणना के अनुसार)

विकास खण्ड का नाम	जनसंख्या कुल	जनसंख्या पुरूष	जनसंख्या महिला	साक्षरता कुल	साक्षरता पुरूष	साक्षरता महिला
1. बण्डा	175017	93918	81099	56.12	67.67	42.50
2. खुटार	156972	83734	73138	53.99	66.15	39.74
3. पुवायाँ	127448	68690	58758	55.62	67.21	41.83
4. सिंधौली	141037	76146	64891	45.61	58.32	30.36
5. खुदागंज	115077	62956	52121	50.24	62.65	34.77
6. जैतीपुर	128283	71911	56372	40.16	51.56	25.08
7. तिलहर	129170	70022	69148	49.35	63.06	32.84
8. निगोही	135041	73348	61693	44.48	56.97	29.31
9. कॉट	143100	78540	64560	49.79	62.04	34.53
10. ददरौल	147607	79920	67687	44.51	57.01	29.40
11. भावलखेड़ा	192488	104043	88445	43.80	55.58	29.81
12. कलान	129296	72119	57177	37.39	48.38	23.04
13. मिर्जापुर	116203	64280	51923	44.77	51.24	26.25
14 जलालाबाद	185925	102978	82947	43.65	55.28	28.80
योग	2022664	1102705	919959	47.16	59.18	32.41

नगर क्षेत्र की जनसंख्या सारिणी

विकास खण्ड का नाम	जनसंख्या कुल	जनसंख्या पुरूष	जनसंख्या महिला	साक्षरता कुल	साक्षरता पुरूष	साक्षरता महिला
1. खुदागंज	11844	6227	5517	57.71	66.69	47.24
2. कटरा	26371	13908	12463	45.84	54.42	36.19
3. तिलहर	52909	27667	25242	49.99	56.55	42.72
4. खुटार	14219	7480	6739	61.77	72.79	49.33
5. पुवायाँ	23417	12574	10843	66.43	71.04	60.98
6. रौजा	10499	5669	4830	78.84	87.97	68.98
7. शाहजहाँपुर	302663	165316	137347	52.85	65.71	38.77
8. कॉट	21301	11280	10021	37.89	45.57	29.04
9. जलालाबाद	31112	16513	14599	60.94	69.85	50.86
10. [illegible]	11956	6391	5565	61.82	73.27	48.72
11. छावनी परिषद	20503	11594	8909	80.82	88.84	[illegible]
योग	526794	284719	242075	54.98	65.80	42.85

समग्र जनपद की जनसंख्या एवं साक्षरता

	कुल	पुरूष	महिला	साक्षरता कुल	साक्षरता पुरूष	साक्षरता महिला
महायोग	2549458	1387424	1162034	48.79	60.52	34.68

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि जनपद शाहजहाँपुर में यदि जनसंख्या में वृद्धि हुई है तो उसके सापेक्ष साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई है। जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के कारण बच्चों की शिक्षा के साथ–साथ प्रौढ़ व्यक्तियों की साक्षरता स्थिति में भी सुधार हुआ है। इन कार्यक्रमों के द्वारा वर्ष 1991 में साक्षरता दर के हिसाब से सबसे कम साक्षरता दर वाला विकास खण्ड ददरौल अब सातवें स्थान पर है तथा इस विकास खण्ड में अभूतपूर्व साक्षरता वृद्धि अंकित की गई है किन्तु नगर क्षेत्र के समीप स्थिति होने के कारण इस विकास खण्ड में शैक्षिक सुधार के पर्याप्त प्रयास करने की आवश्यकता है।

जनपद शाहजहाँपुर में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 1997 से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण शैक्षिक उपलब्धियाँ अर्जित की गई हैं तथा समग्र जनपद में प्राथमिक शिक्षा के प्रति व्यापक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण विकसित किया गया है। जनपद के 95 प्रतिशत विद्यालयो में शौचालय तथा पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है। 437 नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है तथा विद्यालय अवस्थापना सुविधायें भी उपलब्ध करा दी गई हैं। इन सब प्रयासों के कारण 6–11 वय वर्ग के लगभग 94 प्रतिशत बच्चों के नामांकन में सफलता प्राप्त की गई है किन्तु कक्षा 1 में नामांकित सभी बच्चे कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण करने में सफल नहीं हो पाते हैं। 40 प्रतिशत बच्चे सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से शाला त्याग कर जाते हैं। शेष 60 प्रतिशत बच्चों में से अधिकांश पूर्व माध्यमिक शिक्षा की सुलभता न होने के कारण या तो कक्षा 6 में प्रवेश नहीं ले पाते हैं अथवा ड्राप आउट कर जाते हैं।

इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जनपद में सर्व शिक्षा अभियान की कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस योजना के नियोजन से पूर्व सम्पूर्ण जनपद में विकास खण्ड स्तर पर बैठकें आयोजित कर सर्व शिक्षा अभियान की अवधारणा को ग्राम स्तर तक पहुँचाया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक कर क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित शैक्षिक समस्याओं, परिचर्चाएं आयोजित की गई तथा इनके निष्कर्षों को विकास खण्ड स्तर पर संकलित किया गया। इन सूचनाओं तथा निष्कर्षों का जनपद की वार्षिक कार्य योजना बनाने में प्रयोग किया जा रहा है।

जनपद शाहजहाँपुर के आधारभूत आंकड़े

क्रमांक	मद	इकाई	विवरण
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल	वर्ग कि0मी0	4575 वर्ग कि0मी0
2.	कुल जनसंख्या, 2001 के आधार पर	लाख सं0	25.49 लाख
3.	अ - महिला	"	11.62 लाख
	ब-- पुरूष	"	13.87 लाख
4.	अ-- ग्रामीण जनसंख्या	"	20.22 लाख
	ब-- नगरीय जनसंख्या	"	5.26 लाख
5.	साक्षर व्यक्तियों की सं0	"	10.11 लाख
6	तहसील	संख्या	04
7.	विकास खण्ड	"	15
8.	न्याय पंचायत	"	126
9.	ग्राम पंचायत	"	963
10.	राजस्व ग्राम -- आबाद	"	2130
11.	नगर पालिका परिषद	"	03
12.	नगर पंचायत	"	07
13.	पुलिस स्टेशन	"	22
14.	डाकघर	"	297
15.	तारघर	"	15
16.	शीत भण्डार	"	19
17.	राजकीय नलकूप	"	456
18.	पशु चिकित्सालय	"	32
19.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	"	52
20.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	"	04
21.	प्राथमिक विद्यालय	"	1976
22.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	"	112
23.	डिग्री कालेज	"	06
24.	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र	"	126
25.	ब्लाक संसाधन केन्द्र	"	15
26.	पूर्व माध्यमिक विद्यालय	"	993

जनपद की प्रशासनिक संरचना

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	न्याय पंचायते	ग्राम पंचायतें	राजस्व ग्राम
1.	बण्डा	09	79	198
2.	खुटार	10	70	206
3.	पुवायाँ	08	63	179
4.	सिंधौली	10	72	184
5.	भावल खेड़ा	09	78	224
6.	ददरौल	08	72	165
7.	काँट	09	70	157
8.	तिलहर	08	70	150
9.	निगोही	08	63	141
10.	कटरा–खुदागंज	09	62	144
11.	जैतीपुर	08	66	173
12.	कलान	09	62	105
13.	जलालाबाद	13	90	281
14.	मिर्जापुर	08	50	124
15	मदनापुर			
		126	963	2431

अध्याय – 2

जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

जनपद शाहजहाँपुर में वर्ष 1997 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) फेस 2 चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 से 11 वय वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम 6 से 11 वय वर्ग के सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित करना तथा उसके पश्चात् इन नामांकित बच्चों के विद्यालयों में ठहराव सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखा गया था। शिक्षा में गुणवत्ता लाना भी इस योजना का एक आवश्यक अंग था । इस योजना के अन्तर्गत विगत 5 वर्षों में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अभीष्ट सफलता प्राप्त हुई है, किन्तु 11 से 14 वय वर्ग के बच्चों को इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित न करने के कारण देखा गया कि जो बच्चे कक्षा 5 उत्तीर्ण कर लेते थे, उन सभी बच्चों का पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन नहीं हो पाता था। शाला त्याग की दर भी उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अधिक है। इसी कारण से यह आवश्यक हो गया कि 11 से 14 वय वर्ग के बच्चों के लिए भी एक दीर्घावधि कार्य योजना बनायी जाए तथा जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते थे, उन्हें भी यथेष्ट शिक्षा उपलब्ध करायी जा सके। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो तथा विद्यालयों का भी सशक्तीकरण किया जा सके। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर जनपद शाहजहाँपुर में सर्व शिक्षा अभियान लागू करने की योजना बनायी गयी है।

सारणी 2.1

कुल साक्षरता	–	48.79
ग्रामीण साक्षरता	–	47.16
नगरीय साक्षरता	–	54.98
कुल पुरूष साक्षरता	–	60.52
कुल महिला साक्षरता	–	34.68

	पुरूष	महिला	योग
ग्रामीण साक्षरता	59.18	32.41	47.16
नगरीय साक्षरता	65.80	42.85	54.98

नोट : 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद शाहजहापुर का साक्षरता दर 48.79 प्रतिशत है। पुरूष साक्षरता दर 60.52 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 34.68 प्रतिशत है। जनपद शाहजहाँपुर में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू होने के कारण पिछले एक दशक में साक्षरता दर भी आशातीत वृद्धि हुई है।

सारणी 2.2

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता दर		
		पुरुष	महिला	औसत
1.	भावल खेड़ा	55.58	29.81	43.80
2.	ददरौल	57.20	29.40	44.51
3.	कौंट	62.04	34.53	49.79
4.	सिंधौली	58.32	30.38	45.61
5.	पुवायाँ	67.21	41.83	55.62
6.	बण्डा	67.67	42.50	56.12
7.	खुटार	66.15	30.74	53.99
8.	निगोह	56.97	29.31	44.58
9.	तिलहर	63.06	32.84	49.35
10.	जैतीपुर	51.56	25.08	40.16
11.	कटरा–खुदागंज	62.65	34.77	50.24
12.	जलालाबाद	55.28	28.80	43.65
13.	मिर्जापुर	51.24	26.25	44.77
14.	कलान	48.38	23.04	37.39
15	मदनापुर			

विकास खण्डों में कलान, खुटार तथा जैतीपुर दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित है, किन्तु फिर भी इन विकास खण्डों में साक्षरता दर अपेक्षाकृत संतोषजनक है, जबकि विकास खण्ड भावलखेड़ा, ददरौल आदि नगर क्षेत्र के समीप स्थित हैं किन्तु इनकी साक्षरता दर चिन्तनीय है। इन विकास खण्डों में शिक्षा के विशेष कार्यक्रम लागू करने की आवश्यकता है।

जनपद शाहजहाँपुर में कुल 1976 प्राथमिक विद्यालय तथा 296 पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्थापित हैं। जनपद में कुल 2130 आबाद राजस्व ग्राम हैं,

: 1976 प्राथमिक विद्यालयों में के विद्यालय भी सम्मिलित हैं जो कि जनपद के 4 नगर क्षेत्रों में संचालित हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत असेवित बस्तियों में शून्य प्राथमिक विद्यालय तथा 95 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार जनपद के प्रत्येक 300 व्यक्तियों की आबादी पर तथा 1.5 कि0मी0 की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय तथा 800 की आबादी एवं 3 कि0मी0 की दूरी पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हो जायेगी , जिससे दूरी के कारण शिक्षा से वंचित बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करायी जा सकेगी।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2000–2001 में छात्रों का नामांकन निम्नलिखित सारणी में सारणी संख्या 2.3 में दर्शाया जा रहा है :–

सारणी 2.3

6–11 वय वर्ग की कुल संख्या			पंजीकृत छात्र संख्या			अनुसूचित जाति		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
226795	185846	412641	215398	175427	390825	48624	42075	90699

जी.आई.आर. – 105

जनपद की विकास खण्डवार शैक्षिक संस्थायें

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्र० विद्यालय			हाईस्कूल		इण्टर कालेज		[illegible]
		परि०	मा०	अमा०	परि०	मा०	अ०प्रा०	सहा०	असहा०	सहा०	असहा०	
1.	बण्डा	143	22	10	19	09	--	01	03	01	04	--
2.	खुटार	142	19	12	12	04	—	—	02	01	—	07
3.	पुवायाँ	141	15	09	16	15	—	02	01	01	01	16
4.	सिंधौली	130	15	08	20	04	--	---	02	---		16
5.	भावलखेड़ा	160	30	20	37	12	--	.	02	01		18
6.	ददरौल	132	16	08	26	03	—	01	01	02	01	07
7.	कॉट	162	13	15	27	03	--	01	01	02	—	18
8.	तिलहर	120	07	03	22	03	—	03	01	02	01	24
9.	निगोही	117	06	03	18	05	—	—	03	—	03	—
10.	कटरा–खुदागंज	116	14	09	19	04	—	02	01	02	01	20
11.	जैतीपुर	125	07	04	16	09	---	--	03		01	13
12.	कलान	107	18	07	15	03	—	—	05	—	02	—
13.	जलालाबाद	190	54	20	27	11	—	01	02	03	04	--
14.	मिर्जापुर	123	30	18	17	29	—	—	02	01	13	35
15	मदनापुर											
16	नगरक्षेत्र शाहजहाँपुर	52			05							
17	नगरक्षेत्र तिलहर	16			02							

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शैक्षिक सुविधाओं में प्रगति सूचक तालिका

स्थिति	विद्यालय संख्या		अध्यापक संख्या		शौचालय युक्त		पेयजल		अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	
	प्रा०वि०	पू०मा०	प्रा०वि०	पू०मा०	प्रा०वि०	पू०मा०	प्रा०वि०	पू०मा०	प्रा०वि०	पू०मा०
परियोजना से पूर्व	1539	214	3140	659	308	128	871	176	12	66
वर्तमान	1976	298	2817	739	1672	205	1862	245	310	61

स्रोत — विभागीय आंकड़े

जनपद की विकास खण्डवार शैक्षिक संस्थायें

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्र0 विद्यालय			हाईस्कूल		इण्टर कालेज		ई०सी०
		परि0	मा0	अमा0	परि0	मा0	श0प्रा0	सहा0	असहा0	सहा0	असहा0	
1.	बण्डा	143	22	10	19	09	—	01	03	01	04	--
2.	खुटार	142	19	12	12	04	—	—	02	01	—	07
3.	पुवायाँ	141	15	09	16	15	—	02	01	01	01	16
4.	सिंधौली	130	15	08	20	04	—	--	02	--		16
5.	भावलखेड़ा	180	30	20	37	12	--	--	02	01		18
6.	ददरौल	132	16	08	26	03	—	01	01	02	01	07
7.	कॉंट	162	13	15	27	03	—	01	01	02	—	18
8.	तिलहर	120	07	03	22	03	—	03	01	02	01	24
9.	निगोही	117	06	03	18	05	—	—	03	—	03	—
10.	कटरा—खुदागंज	116	14	09	19	04	—	02	01	02	01	2[illegible]
11.	जैतीपुर	125	07	04	16	03	—	--	03		01	1[illegible]
12.	कलान	107	18	07	15	03	—	—	05	—	02	—
13.	जलालाबाद	190	54	20	27	11	—	01	02	03	04	—
14.	मिर्जापुर	123	30	18	17	29	—	—	02	01	13	35
15	मदनापुर											
16	नगरक्षेत्र शाहजहाँपुर	52			05							
17	नगरक्षेत्र तिलहर	16			02							

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शैक्षिक सुविधाओं में प्रगति सूचक तालिका

स्थिति	विद्यालय संख्या		अध्यापक संख्या		शौचालय युक्त		पेयजल		अति0कक्षा—कक्ष	
	प्रा0वि0	पू0मा0	प्रा0वि0	पू0मा0	प्रा0वि0	पू0मा0	प्रा0वि0	पू0मा0	प्रा0वि0	पू0मा0
परियोजना से पूर्व	1539	214	3140	659	308	128	871	176	12	06
वर्तमान	1976	298	2817	739	1672	205	1802	245	398	6[illegible]

स्रोत — विभागीय आंकड़े

विद्यालयों में अवस्थापना सुविधायें

जनपद स्तर पर परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधन सारणी संख्या 2.7 दर्शायी जानी है। इस सारणी से यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकाधिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं किन्तु अभी भी शिक्षकों की संख्या के अनुसार विद्यालयों में कक्षा कक्षों की संख्या पर्याप्त नहीं है तथा लगभग शत प्रतिशत विद्यालयों में चार दीवारी की कमी है अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चार दीवारी विहीन विद्यालयों में चार दीवारी तथा अतिरिक्त कक्षा कक्षों की स्थापना की योजना है। जनपद में पूर्व से संचालित अधिकांश विद्यालयों में शौचालय तथा पेय--जल सुविधा उपलब्ध है। नवसृजित विद्यालयों में भवन निर्माण के साथ शौचालय,चार दीवारी तथा पेयजल की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सारणी संख्या 2.8

प्राथमिक स्तर

प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	--	1976
एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	—	97
दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	--	816
तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	--	339
चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	--	30
पाचँ कक्षीय विद्यालयों की संख्या	—	04
पाँच से अधिक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	--	01
मरम्मत योग्य विद्यालयों की संख्या	--	891
लघु मरम्मत योग्य	--	615
बृहद मरम्मत योग्य	--	276
शौचालय युक्त विद्यालयों की संख्या	--	1722
शौचालय विहीन विद्यालयों की संख्या	—	210
हैण्डपम्प युक्त विद्यालयों की संख्या	—	1844
हैण्डपम्प विहीन विद्यालयों की संख्या	--	88
चार दीवारी युक्त विद्यालयों की संख्या	--	132
चार दीवारी विहीन विद्यालयों की संख्या	—	1800

उच्च प्राथमिक स्तर

कुल विद्यालयों की संख्या	--	298
एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	--	03
दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	--	18
तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	--	41

विद्यालयों में अवस्थापना सुविधायें

जनपद स्तर पर परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधन सारणी संख्या 2.7 दर्शायी जानी है। इस सारणी से यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकाधिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं किन्तु अभी भी शिक्षकों की संख्या के अनुसार विद्यालयों में कक्षा कक्षों की संख्या पर्याप्त नहीं है तथा लगभग शत प्रतिशत विद्यालयों में चार दीवारी की कमी है अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चार दीवारी विहीन विद्यालयों में चार दीवारी तथा अतिरिक्त कक्षा कक्षों की स्थापना की योजना है। जनपद में पूर्व से संचालित अधिकांश विद्यालयों में शौचालय तथा पेय-जल सुविधा उपलब्ध है। नवसृजित विद्यालयों में भवन निर्माण के साथ शौचालय,चार दीवारी तथा पेयजल की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सारणी संख्या 2.8

प्राथमिक स्तर

प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	–	1976
एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	–	97
दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	–	816
तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	–	339
चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	–	30
पाचँ कक्षीय विद्यालयों की संख्या	–	04
पाँच से अधिक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	–	01
मरम्मत योग्य विद्यालयों की संख्या	–	891
लघु मरम्मत योग्य	–	615
बृहद मरम्मत योग्य	–	276
शौचालय युक्त विद्यालयों की संख्या	–	1722
शौचालय विहीन विद्यालयों की संख्या	–	210
हैण्डपम्प युक्त विद्यालयों की संख्या	–	1844
हैण्डपम्प विहीन विद्यालयों की संख्या	–	88
चार दीवारी युक्त विद्यालयों की संख्या	–	132
चार दीवारी विहीन विद्यालयों की संख्या	–	1800

उच्च प्राथमिक स्तर

कुल विद्यालयों की संख्या	–	298
एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	–	03
दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	–	18
तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	–	41

मिक विद्यालयों में नामांकन	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–2001	2001-2002	2002-2003
ा 1	114036	110023	119722	121181	124090	127010
ा 2	81022	8705	92195	94355	96625	98999
ा 3	55961	65884	70784	72849	74600	76570
ा 4	38864	45874	50083	50504	51680	53180
ा 5	27999	32594	34786	34689	35765	36845
ग	317882	341400	367570	373578	[illegible]	[illegible]
ा0ई0आर0						
ल	88.5	93.78	98.8	105	108.7	110.2
लिका	71.46	74.04	76.92	84.88	89.35	91.78
न0ई0आर0						
ल	77.7	82.36	86.19	92	93.9	95.2
ालिका	64.73	69.24	73.60	80.14	84.7	89.9

उपर्युक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित होने की अवधि में छात्रों के नामांकन में सतत् वृद्धि होती रही हैं। इस सारिणी से यह संकेत भी मिल रहा है कि कुल नामांकन के सापेक्ष कक्षा 1 तथा 2 के नामांकन में अधिक वृद्धि हुई है किन्तु कक्षा 5 की छात्र संख्या पिछली कक्षाओं की तुलना में कम है, जिससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि अभी भी बच्चे ड्राप आउट कर रहे हैं तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं की ओर तरलता कम है। अतः सर्व शिक्षा अभियान में विशेष ध्यान दिया जायेगा कि बच्चों का ड्राप आउट रोका जा सके तथा कक्षा 1 में नामांकित सभी बच्चे वर्ष 2005 में कक्षा 5 उत्तीर्ण हों तथा उन्हें उच्च कक्षाओं में प्रवेश दिलाकर वर्ष 2007 तक कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण करा दी जाये। 0 से 14 वय वर्ग के सभी बच्चों को सन् 2007 तक निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही हमारा लक्ष्य है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जनपद शाहजहाँपुर में इसके संचालन की अवधि से विद्यालयों की संख्या में 437 की वृद्धि हुई है जबकि अध्यापकों की संख्या में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो रही है। प्रतिवर्ष अनेक अध्यापक सेवा निवृत्त हो रहे हैं, किन्तु अध्यापकों की नवीन नियुक्तियां नहीं की जा सकी है। इस कारण छात्र–अध्यापक अनुपात असंतुलित हो गया हैं शिक्षा मित्रों की कुछ नियुक्तियां कर अध्यापकों की कमी को पूरा करने का प्रयास किया गया है किन्तु अभी तक 40:1 का मानक स्तर प्राप्त करने में हम असफल रहे है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत छात्र अध्यापक अनुपात मानक स्तर तक ले जाने का प्रयास है।

डी.पी.ई.पी. की योजना संचालित होने के पश्चात् प्राथमिक विद्यालयों तथा अध्यापकों की संख्या में हुई वृद्धि को निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट समझा जा सकता है :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद शाहजहाँपुर में अध्यापकों के अतिरिक्त पद सृजित न कर शिक्षा मित्रों के 2017 पद स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 1576 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। शेष पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, किन्तु छात्रों की संख्या में वृद्धि के कारण इन स्वीकृत पदों से भी 40:1 के छात्र अध्यापक अनुपात को प्राप्त करना सम्भव नहीं होगा अतः सर्व शिक्षा अभियान में इस मानक स्तर को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त शिक्षा मित्रों की आवश्यकता होगी, जिनको नियुक्त करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। छात्रों की वृद्धि एवं पर्याप्त कक्षा कक्षों की अनुपलब्धता के कारण इस अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर सभी शिक्षकों के लिए अलग अलग कक्षा तथा पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 5 कक्षा कक्षों की व्यवस्था की जायेगी। वार्षिक कार्य योजना में इसके लिए व्यवस्था की गई है।

प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में अत्याधिक अन्तर के कारण जो बच्चे कक्षा 5 उत्तीर्ण कर लेते हैं वे सभी बच्चे पूर्व माध्यमिक स्तर पर नामांकित नहीं हो पाते हैं। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान में प्रत्येक 3 कि०मी० की दूरी तथा 800 की आबादी पर एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। जिसमें एक प्रधानाध्यापक तथा 4 सहायक अध्यापकों की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद में प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है :-

प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	अनुपात
ग्रामीण	1908	291	6.7:1
नगरीय	68	67	9.7:1
योग	1976	298	6.6:1

इस तालिका से स्पष्ट है कि प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय के बीच 17 से अधिक का अनुपात है। इस अनुपात को कम करते हुए वर्ष 2010 तक प्रत्येक 2 प्राथमिक विद्यालयों पर एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दीर्घावधि योजना में कृमिक प्रस्ताव किये जाते है।

जनपद शाहजहाँपुर में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत वर्षों में 437 नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है। डी०पी०ई०पी० योजना में निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत 33% बजट के सापेक्ष 24% बजट का उपभोग किया गया है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य शून्य रखा गया है। जनपद में प्राथमिक स्तर पर असेवित बस्तियों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलने की योजना है। पूर्व माध्यमिक स्तर पर कुल 298 विद्यालय संचालित हैं। 800 की आबादी तथा 3 किमी0 दूरी का मानक मानते हुए 95 विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य असेवित बस्तियों में शिक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत ज्ञान केन्द्र खोलने का लक्ष्य है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद शाहजहाँपुर में अध्यापकों के अतिरिक्त पद सृजित न कर शिक्षा मित्रों के 2017 पद स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 1576 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी है। शेष पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, किन्तु छात्रों की संख्या में वृद्धि के कारण इन स्वीकृत पदों से भी 40:1 के छात्र अध्यापक अनुपात को प्राप्त करना सम्भव नहीं होगा अतः सर्व शिक्षा अभियान में इस मानक स्तर को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त शिक्षा मित्रों की आवश्यकता होगी, जिनको नियुक्त करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। छात्रों की वृद्धि एवं पर्याप्त कक्षा कक्षों की अनुपलब्धता के कारण इस अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर सभी शिक्षकों के लिए अलग अलग कक्षा तथा पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 5 कक्षा कक्षों की व्यवस्था की जायेगी। वार्षिक कार्य योजना में इसके लिए व्यवस्था की गई है।

प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में अत्याधिक अन्तर के कारण जो बच्चे कक्षा 5 उत्तीर्ण कर लेते हैं वे सभी बच्चे पूर्व माध्यमिक स्तर पर नामांकित नहीं हो पाते हैं। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान में प्रत्येक 3 कि0मी0 की दूरी तथा 800 की आबादी पर एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। जिसमें एक प्रधानाध्यापक तथा 4 सहायक अध्यापकों की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद में प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है :–

प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	अनुपात
ग्रामीण	1908	291	6.7:1
नगरीय	68	67	9.7:1
योग	1976	258	6.6:1

इस तालिका से स्पष्ट है कि प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय के बीच 1:7 से अधिक का अनुपात है। इस अनुपात को कम करते हुए वर्ष 2010 तक प्रत्येक 2 प्राथमिक विद्यालयों पर एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दीर्घावधि योजना में कृमिक प्रस्ताव किये जाते है।

जनपद शाहजहाँपुर में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत वर्षों में 437 नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है,। डी0पी0ई0पी0 योजना में निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत 33% बजट के सापेक्ष 24% बजट का उपभोग किया गया है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य शून्य रखा गया है। जनपद में प्राथमिक स्तर पर असेवित बस्तियों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलने की योजना है। पूर्व माध्यमिक स्तर पर कुल 290 विद्यालय संचालित हैं। 800 की आबादी तथा 3 किमी0 दूरी का मानक मानते हुए 95 विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य असेवित बस्तियों में शिक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत ज्ञान केन्द्र खोलने का लक्ष्य है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर विशिष्ट सूचकांक
जनपद शाहजहाँपुर

1997 से 2003 तक परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन शाहजहाँपुर

वर्ष	नामांकन			प्रतिशत		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1997–98	30094	15025	45119	66.7	33.3	100
1998–99	29974	15669	45644	65.7	34.3	100
1999–2000	31784	16483	48267	65.9	34.2	100
2000–2001	32676	17165	49841	65.6	34.4	100
2001-2002	33772	18873	52645	64.15	35.85	100
2002-2003	34442	19680	54122	63.63	36.37	100

जनपद शाहजहाँपुर वर्ष 1997 से डी. पी.ई.पी. परियोजना से आच्छादित रहा है। परियोजना से प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि के साथ–साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर भी नामांकन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन में 1997 से 2003 के बीच वृद्धि हुई है।

परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन एवं वृद्धि जनपद शाहजहाँपुर

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	गतवर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1998–99	16167	15254	14223	45644	
1999–2000	18882	16400	12985	48267	5.4
2000–2001	22663	17011	10168	49841	3.2
2001-2002	23958	17036	10651	[illegible]	5.3
2002-2003	24485	18422	11215	54122	5.7

उक्त सारणी में उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षावार नामांकन दर्शाया गया है जिसके विश्लेषण उपरान्त ज्ञात हुआ है कि 2001 –2002 एवं 2002–2003 में क्रमशः 5.3 प्रतिशत एवं 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

परिषदीय विद्यालयों का ट्रांजिसन दर कक्षा 5 से कक्षा 6

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्रांजिसन दर
1998–99	32594	16167	49.6
1999–2000	34786	18882	54.3
2000–2001	34689	22663	65.3
2001-2002	35765	23958	66.98
2002-2003	36845	24485	66.45

* किसी भी प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम में यह अतिआवश्यक है कि कितने बच्चे एक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर दूसरे स्तर की शिक्षा में नामांकन होते है। अत : जनपद शाहजहाँपुर का परिषदीय विद्यालयों का ट्रांजिसन दर (अर्थात कक्षा 5 से 6 में नामांकित होने वाले) उक्त सारिणी में ज्ञात किया गया है। सारिणी से स्पष्ट है कि 1998 से 2003 के बीच 17 प्रतिशत की ट्रांजिसन दर में वृद्धि है। सारिणी से यह भी स्पष्ट है कि मात्र प्राथमिक स्तर के लगभग 66 प्रतिशत बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकित हो पाते है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर विशिष्ट सूचकांक
जनपद शाहजहाँपुर

1997 से 2003 तक परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन शाहजहाँपुर

वर्ष	नामांकन			प्रतिशत		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1997–98	30094	15025	45119	66.7	33.3	100
1998–99	29974	15669	45644	65.7	34.3	100
1999–2000	31784	16483	48267	65.9	34.2	100
2000–2001	32676	17165	49841	65.6	34.4	100
2001-2002	33772	18873	52645	64.15	35.85	100
2002-2003	34442	19680	54122	63.63	36.37	100

जनपद शाहजहाँपुर वर्ष 1997 से डी. पी.ई.पी. परियोजना से आच्छादित रहा है। परियोजना से प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि के साथ–साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर भी नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन में 1997 से 2003 के बीच वृद्धि हुई है।

परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन एवं वृद्धि जनपद शाहजहाँपुर

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	गतवर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1998–99	16167	15254	14223	45644	
1999–2000	18882	16400	12985	48267	5.4
2000–2001	22663	17011	10168	49841	3.2
2001-2002	23958	17836	10851	52645	5.3
2002-2003	24485	18422	11215	54122	2.7

उक्त सारणी में उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षावार नामांकन दर्शाया गया है जिसके विश्लेषण उपरान्त ज्ञात हुआ है कि 2001 –2002 एवं 2002–2003 में क्रमशः 5.3 प्रतिशत एवं 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

परिषदीय विद्यालयों का ट्रांजिसन दर कक्षा 5 से कक्षा 6

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्रांजिसन दर
1998–99	32594	16167	49.6
1999–2000	34786	18882	54.3
2000–2001	34689	22663	65.3
2001-2002	35765	23958	66.98
2002-2003	36845	24485	66.45

किसी भी प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम में यह अतिआवश्यक है कि कितने बच्चे एक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर दूसरे स्तर की शिक्षा में नामांकन होते है। अत : जनपद शाहजहाँपुर का परिषदीय विद्यालयों का ट्रांजिसन दर (अर्थात कक्षा 5 से 6 में नामांकित होने वाले) उक्त सारिणी में ज्ञात किया गया है। सारिणी से स्पष्ट है कि 1998 से 2003 के बीच 17 प्रतिशत की ट्रांजिसन दर में वृद्धि है। सारिणी से यह भी स्पष्ट है कि मात्र प्राथमिक स्तर के लगभग 66 प्रतिशत बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकित हो पाते है।

जनपद शाहजहाँपुर में इस योजना के क्रियान्वयन से पूर्व एवं योजना निर्माण से पूर्व ग्रास रूट लेबिल तक व्यापक विचार विनिमय किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर तथा जिला पंचायत स्तर पर व्यापक विचार विमर्श के पश्चात् योजना को अंतिम रूप दिया गया जिससे कि निचले स्तर पर कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित हो सके। इस योजना में गैर संगठनों, स्वयसेवी संस्थाओं, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों, कलाकारों तथा महिला संगठनों को भी शामिल कर उनके उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्त्री–पुरूष असमानता दूर करने किशोरियों को जीवनोपयोगी शिक्षा उपलब्ध कराने, विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाहित करने पर विशेष बल दिया जायेगा। इस योजना के निर्माण के पूर्व सूक्ष्म नियोजन कराया जा चुका है तथा ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण कराया जा चुका है।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

जनपद शाहजहाँपुर में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के पहले चरण में सूक्ष्म नियोजन का कार्यक्रम सम्पन्न कराया गया हैं, जिसके अन्तर्गत 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों की गणना करायी गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों का चिन्हांकन कराया गया है। इस कार्यक्रम से पूर्व सूक्ष्म नियोजनकर्ता अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा घर–घर जाकर कार्य करने पर बल दिया गया। इस योजना में परिषदीय विद्यलायों के अध्यापकों ने ही कार्य किया तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम शिक्षा योजना तैयार की। ग्राम शिक्षा योजना में 0 से 6 वय वर्ग तथा 6 से 11 वय वर्ग के बच्चों का चिन्हांकन कर उनके लिए आवश्यतानुसार शिक्षा उपलब्ध कराने के लक्ष्य निर्धारित किये गये है। ग्राम शिक्षा योजना में बालक तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया गया। इस कार्य में ग्राम के उत्साही प्रवुद्ध व्यक्तियों तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का सक्रिय सहयोग लिया गया। जनपद में 1997–98 में प्रथम बार तथा 1999–2000 में सम्बन्धित सूचनाओं का एकत्रीकरण किया गया। इन सूचनाओं का संश्लेषण, विश्लेषण कर समस्याओं की पहचान की गयी तथा तद्नुसार आवश्यकताओं का निर्धारण किया गया। सूक्ष्म नियोजन के द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिए निम्नलिखित सूचनाएं एकत्र की गयी।

- ☆ ग्राम में 6–11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या
- ☆ विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
- ☆ विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
- ☆ शिक्षा ग्रहण न करने का कारण
- ☆ क्या गांव में विद्यालय नहीं है ? क्या विद्यालय खोलने की आवश्यकता है ?
- ☆ यदि विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था सुनिश्चित करते है।
- ☆ क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय का भवन एवं उसमें उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त हैं ?

जनपद शाहजहाँपुर में इस योजना के क्रियान्वयन से पूर्व एवं योजना निर्माण से पूर्व ग्रास रूट लेबिल तक व्यापक विचार विनिमय किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर तथा जिला पंचायत स्तर पर व्यापक विचार विमर्श के पश्चात् योजना को अंतिम रूप दिया गया जिससे कि निचले स्तर पर कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित हो सके। इस योजना में गैर संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों, कलाकारों तथा महिला संगठनों को भी शामिल कर उनके उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्त्री–पुरूष असमानता दूर करने किशोरियों को जीवनोपयोगी शिक्षा उपलब्ध कराने, विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाहित करने पर विशेष बल दिया जायेगा। इस योजना के निर्माण के पूर्व सूक्ष्म नियोजन कराया जा चुका है तथा ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण कराया जा चुका है।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

जनपद शाहजहाँपुर में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के पहले चरण में सूक्ष्म नियोजन का कार्यक्रम सम्पन्न कराया गया हैं, जिसके अन्तर्गत 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों की गणना करायी गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों का चिन्हांकन कराया गया है। इस कार्यक्रम से पूर्व सूक्ष्म नियोजनकर्ता अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा घर–घर जाकर कार्य करने पर बल दिया गया। इस योजना में परिषदीय विद्यलायों के अध्यापकों ने ही कार्य किया तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम शिक्षा योजना तैयार की। ग्राम शिक्षा योजना में 0 से 6 वय वर्ग तथा 6 से 11 वय वर्ग के बच्चों का चिन्हांकन कर उनके लिए आवश्यकतानुसार शिक्षा उपलब्ध कराने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। ग्राम शिक्षा योजना में बालक तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया गया। इस कार्य में ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का सक्रिय सहयोग लिया गया। जनपद में 1997–98 में प्रथम बार तथा 1999–2000 में सम्बन्धित सूचनाओं का एकत्रीकरण किया गया। इन सूचनाओं का संश्लेषण, विश्लेषण कर समस्याओं की पहचान की गयी तथा तदनुसार आवश्यकताओं का निर्धारण किया गया। सूक्ष्म नियोजन के द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिए निम्नलिखित सूचनाएं एकत्र की गयी।

- ग्राम में 6–11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या
- विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
- शिक्षा ग्रहण न करने का कारण
- क्या गांव में विद्यालय नहीं है ? क्या विद्यालय खोलने की आवश्यकता है ?
- यदि विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है तो अनौपचारिक शिक्षा की क्या आवश्यकता परिलक्षित करते है।
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय का भवन एवं उसमें उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त हैं ?

उपर्युक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा समुदाय के सदस्यों से विचार विमर्श करते हुए ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी। इस योजना का रिकार्ड ग्राम पंचायत स्तर पर तथा विकास खण्ड स्तर पर संकलित एवं संरक्षित किया गया। इसके रिकार्ड को ग्राम स्तर पर रखने का उद्देश्य यह था कि इस योजना के अनुरूप भविष्य में शिक्षा योजनायें लागू की जाये तथा ग्रामीण बच्चों की आवश्यकता के अनुसार विद्यालय में संसाधन तथा सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सके। शैक्षिक नियोजन के यह आँकड़े संकलित कर जिला स्तर पर संरक्षित कर लिए गए, जिन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बनाने में आधारभूत आँकड़ों के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने बच्चों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रम चलाये जाने हेतु 6–9 वय वर्ग तथा 9–14 वय वर्ग दो समूहों में रखते हुए इनकी आवश्यकताओं का आंकलन किया गया है। इन वर्ग समूहों में बालक–बालिकाओं की संख्या पृथक–पृथक ज्ञात की गयी है, ताकि लिंग भेद के कारण उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए पृथक–पृथक योजनाओं का निर्धारित किया जा सके एवं लिंग असमानता को दूर किया जा सके। स्त्री–पुरूष समानता सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान में लिंग संवेदीकरण का एक प्रशिक्षण समस्त शिक्षकों, शिक्षिकाओं एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है।

सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ऐसे ग्राम पंचायतों की पहचान कर ली गयी है, जिनकी आबादी 300 से अधिक है तथा उसकी सीमा से 1 कि0मी0 की परिधि में कोई प्राथमिक विद्यालय अवस्थित नहीं है। जनपद शाहजहाँपुर में इस प्रकार की कुल 171 बस्तियाँ हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन बस्तियों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है। इन आंकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार कर ली गयी है जिनमें शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत पूर्वमाध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

स्कूल चलो अभियान

वर्ष 2001–2002 जनपद शाहजहाँपुर में स्कूल चलो अभियान वृहद स्तर पर संचालित किया गया। इस अभियान के फलस्वरूप सर्वप्रथम स्कूल न जाने वाले बच्चों को चिन्हित किया गया तथा तत्पश्चात् इनके शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य लेकर सम्पूर्ण जनपद में विशेष अभियान चलाया गया। बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को [illegible] नामांकन कराने के लिए न केवल प्रेरित किया गया वरन् नामांकन न होने की स्थिति में उनका उत्तरदायित्व का निर्धारण भी किया गया, जिसके परिणामस्वरूप जनपद में 6–11 वय वर्ग के कुल बच्चों के सापेक्ष 94 प्रतिशत बच्चों का नामांकन कराया जाना सम्भव हो सका। नामांकन न–

उपर्युक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा समुदाय के सदस्यों से विचार विमर्श करते हुए ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी। इस योजना का रिकार्ड ग्राम पंचायत स्तर पर तथा विकास खण्ड स्तर पर संकलित एवं संरक्षित किया गया। इसके रिकार्ड को ग्राम स्तर पर रखने का उद्देश्य यह था कि इस योजना के अनुरूप भविष्य में शिक्षा योजनायें लागू की जाये तथा ग्रामीण बच्चों की आवश्यकता के अनुसार विद्यालय में संसाधन तथा सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सके। शैक्षिक नियोजन के यह आँकड़े संकलित कर जिला स्तर पर संरक्षित कर लिए गए, जिन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बनाने में आधारभूत आँकड़ों के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने बच्चों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रम चलाये जाने हेतु 6–9 वय वर्ग तथा 9–14 वय वर्ग दो समूहों में रखते हुए इनकी आवश्यकताओं का आंकलन किया गया है। इन वर्ग समूहों में बालक–बालिकाओं की संख्या पृथक–पृथक ज्ञात की गयी है, ताकि लिंग भेद के कारण उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए पृथक–पृथक योजनाओं का निर्धारित किया जा सके एवं लिंग असमानता को दूर किया जा सके। स्त्री–पुरूष समानता सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान में लिंग संवेदीकरण का एक प्रशिक्षण समस्त शिक्षकों, शिक्षिकाओं एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है।

सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ऐसे ग्राम पंचायतों की पहचान कर ली गयी है, जिनकी आबादी 300 से अधिक है तथा उसकी सीमा से 1 कि0मी0 की परिधि में कोई प्राथमिक विद्यालय अवस्थित नहीं है। जनपद शाहजहाँपुर में इस प्रकार की कुल 171 बस्तियाँ हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन बस्तियों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है। इन आंकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार कर ली गयी है जिनमें शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत पूर्वमाध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

स्कूल चलो अभियान

वर्ष 2001–2002 जनपद शाहजहाँपुर में स्कूल चलो अभियान वृहद स्तर पर संचालित किया गया। इस अभियान के फलस्वरूप सर्वप्रथम स्कूल न जाने वाले बच्चों को चिन्हित किया गया तथा इसके पश्चात इनके शत–प्रतिशत् नामांकन का लक्ष्य लेकर सम्पूर्ण जनपद में विशेष अभियान चलाया गया। बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को शत प्रतिशत नामांकन कराने के लिए न केवल प्रेरित किया गया वरन् नामांकन न होने की स्थिति में उनके उत्तरदायित्व का निर्धारण भी किया गया, जिसके परिणामस्वरूप जनपद में 6–11 वय वर्ग के कुल बच्चों के सापेक्ष 94 प्रतिशत बच्चों का नामांकन कराया जाना सम्भव हो सका। जनपद में

4. दिनाँक 7/7/2001 को जिला स्तर पर शाहजहाँपुर नगर में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को राजकीय इण्टर कालेज शाहजहाँपुर से नियोजन राज्य मंत्री माननीय सुरेश कुमार खन्ना ने झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में जिलाधिकारी,पुलिस अधीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ-साथ माननीय मंत्री जी स्वयं चल रहे थे। इस रैली में बड़ी संख्या में जिला स्तरीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। सभा के अन्त में मन्त्री जी ने समस्त जनपदवासियों का आहवान किया कि वे शिक्षा विभाग द्वारा चलाये जा रहे इस अभियान में अपनी सम्पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करें तथा स्कूल न जाने वाले बच्चों को प्रेरित कर विद्यालय में प्रवेश दिलाने में सहयोग करें। इस तरह जनपद स्तर पर वातावरण सृजन का कार्य किया गया।

5. दिनाँक 8/7/2001 को विकास खण्ड निगोही एवं तिलहर में रैलियों का आयोजन हुआ। सम्बन्धित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ भारी संख्या में शिक्षकों तथा बच्चों ने इन रैलियों में प्रतिभाग किया।

6. दिनाँक 9/7/2001 को विकास खण्ड जलालाबाद,मिर्जापुर,कलान एवं जैतीपुर में स्कूल चलो अभियान की रैलियां आयोजित की गयी एंव वातावरण सृजन किया गया।

7. जनपद स्तर पर स्कूल न जाने वाले बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने हेतु सतत् प्रयास किये गये। मीना कैम्पेन का आयोजन किया गया। कला जत्था के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किये गये तथा समर कैम्प के द्वारा विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं को पुनः विद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए गये है।

सर्व शिक्षा अभियान के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इस महत्वाकांक्षी योजना के नियोजन में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इस योजना के निर्माण में पूर्णतः विकेन्द्रीकृत प्रणाली को व्यवहार में लाया गया है। इस कार्य में जिस प्रक्रिया का पालन किया गया है वह निम्नवत् है :-

1. सर्वप्रथम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक नियोजन टीम का गठन किया गया है। इस टीम में डा0 अविनाश दीक्षित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, पुवायाँ श्री आशीष चौहान ए0बी0एस0ए0 खुटार, श्री मेवाराम सहायक लेखाधिकारी डी0पी0ई0पी0 के अतिरिक्त सुश्री रेनू वर्मा जिला समन्वयक बालिका शिक्षा एवं श्री बिरजू भारती जिला समन्वयक वैकल्पिक शिक्षा को सम्मिलित किया गया।

2. उपर्युक्त गठित समिति प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ददरौल के निर्देशन में कार्य करने हेतु निर्देशित की गई।

3. कार्यक्रम के नियोजन से पूर्व ग्राम पंचायत स्तर, न्याय पंचायत स्तर एवं क्षेत्र पंचायत स्तर पर शिक्षकों एवं प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक की गई तथा शिक्षा के प्रति समुदाय की सोच अपेक्षायें एवं आवश्यकताओं की परिचर्चा की गई। इन बैठकों में सर्व शिक्षा अभियान का स्वरूप कैसा हो ? इस तथ्य पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला स्तर पर परियोजना प्लान बनाने के लिए आधारभूत आवश्कताओं की पहचान की गई। परियोजना पूर्व की गतिविधियों के अन्तर्गत जिला

के जागरूक जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों एवं अधिकारियों की दिनांक 9.10.2001 को सम्पन्न बैठक में सर्व शिक्षा अभियान पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में भी असेवित क्षेत्रों में विद्यालय/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलने के प्रस्ताव प्राप्त किये गये। सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी बण्डा ने समुदाय से सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया एवं समस्त अध्यापकों को निर्देशित किया कि वे समुदाय से सतत् सम्पर्क में रहें तथा क्षेत्र विशेष की आवश्यकता अनुसार शैक्षिक नियोजन में सहयोग प्रदान करें।

2. तहसील जलालाबाद

इस तहसील के अन्तर्गत मिर्जापुर, कलान, जलालाबाद आदि विकास खण्ड आते हैं। विकास खण्ड मिर्जापुर एवं कलान जनपद का दस्यु प्रभावित क्षेत्र रहा है, यहाँ की साक्षरता दर अत्यन्त कम है। इस विकास खण्ड में महिलाओं की साक्षरता दर केवल 26.25 है जो कि जनपद की साक्षरता दर 34.68 प्रतिशत से काफी कम है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए जब दिनांक 29.9.2001 को सर्व शिक्षा अभियान के बारे में ब्लाक स्तर पर बैठकें आयोजित की गई तो अधिकांश जनप्रतिनिधियों ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने तथा उनके शाला त्याग की दर को न्यून करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। इन बैठकों में प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक स्तर के समस्त शिक्षक समन्वयक सहसमन्वयक एवं न्याय पंचायत समन्वयक सहित बड़ी मात्रा में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्य उपस्थित रहे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों के निर्देशन में इन विकास खण्डों की प्रत्येक न्याय पंचायत पर सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बैठकें आयोजित की गई तथा उनमें वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलने सहित नवीन विद्यालयों की स्थापना पर भी चर्चा की गई।

विकास खण्ड जलालाबाद जनपद का सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत दिनांक 27.9.2001 को इस विकास खण्डों में भी समस्त शिक्षकों एवं जनप्रतिनिधियों की एक सम्मिलित बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नगर जलालाबाद के गणमान्य नागरिकों, शिक्षाविदों तथा जनप्रतिनिधियों ने भी प्रतिभाग किया। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अभियान के उद्देश्य, लक्ष्य एवं विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए समुदाय से सहयोग की अपेक्षा की तथा अध्यापकों को निर्देश दिया कि ग्राम स्तर पर सामूहिक चर्चा के द्वारा क्षेत्र विशेष की समस्याएँ एवं उनके निदान के उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करें तथा विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध करायें। जिससे कि जनपद की कार्य योजना में उन्हें समाहित किया जा सके।

3. तहसील तिलहर

सर्व शिक्षा अभियान के सन्दर्भ में इस तहसील के विकास खण्ड निगोही, तिलहर, कटरा खुदागंज तथा जैतीपुर में नियोजन पूर्व बैठकें आयोजित की गई। विकास खण्ड निगोही तथा तिलहर में दिनांक 27.9.2001 तथा दिनांक 0.10.2001 को ब्लाक स्तरीय बैठकों में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के अतिरिक्त समस्त शिक्षक, समन्वयक एवं बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान सचि

के जागरूक जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों एवं अधिकारियों की दिनांक 9.10.2001 को सम्पन्न बैठक में सर्व शिक्षा अभियान पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में भी असेवित क्षेत्रों में विद्यालय / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलने के प्रस्ताव प्राप्त किये गये। सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी बण्डा ने समुदाय से सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया एवं समस्त अध्यापकों को निर्देशित किया कि वे समुदाय के सतत सम्पर्क में रहें तथा क्षेत्र विशेष की आवश्यकता अनुसार शैक्षिक नियोजन में सहयोग प्रदान करें।

2. तहसील जलालाबाद

इस तहसील के अन्तर्गत मिर्जापुर, कलान, जलालाबाद आदि विकास खण्ड आते हैं। विकास खण्ड मिर्जापुर एवं कलान जनपद का दस्यु प्रभावित क्षेत्र रहा है, यहाँ की साक्षरता दर अत्यन्त कम है। इस विकास खण्ड में महिलाओं की साक्षरता दर केवल 26.25 है जो कि जनपद की साक्षरता दर 34.68 प्रतिशत से काफी कम है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए जब दिनांक 29.9.2001 को सर्व शिक्षा अभियान के बारे में ब्लाक स्तर पर बैठकें आयोजित की गईं तो अधिकांश जनप्रतिनिधियों ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने तथा उनके शाला त्याग की दर को न्यून करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। इन बैठकों में प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक स्तर के समस्त शिक्षक समन्वयक सहसमन्वयक एवं न्याय पंचायत समन्वयक सहित बड़ी मात्रा में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्य उपस्थित रहे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियो के निर्देशन में इन विकास खण्डों की प्रत्येक न्याय पंचायत पर सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बैठकें आयोजित की गई तथा उनमें वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलने सहित नवीन विद्यालयों की स्थापना पर भी चर्चा की गई।

विकास खण्ड जलालाबाद जनपद का सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत दिनांक 27.9.2001 को इस विकास खण्डों में भी समस्त शिक्षकों एवं जनप्रतिनिधियों की एक सम्मिलित बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नगर जलालाबाद के गणमान्य नागरिकों, शिक्षाविदों तथा जनप्रतिनिधियों ने भी प्रतिभाग किया। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अभियान के उद्देश्य, लक्ष्य एवं विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए समुदाय से सहयोग की अपेक्षा की तथा अध्यापकों को निर्देश दिया कि ग्राम स्तर पर सामूहिक चर्चा के द्वारा क्षेत्र विशेष की समस्याएँ एवं उनके निदान के उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करें तथा विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध करायें। जिससे कि जनपद की कार्य योजना में उन्हें समाहित किया जा सके।

3. तहसील तिलहर

सर्व शिक्षा अभियान के सन्दर्भ में इस तहसील के विकास खण्ड निगोही, तिलहर, कटरा-खुदागंज तथा जैतीपुर में नियोजन पूर्व बैठकें आयोजित की गईं। विकास खण्ड निगोही तथा तिलहर में दिनांक 27.9.2001 तथा दिनांक 8.10.2001 को ब्लाक स्तरीय बैठकों में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के अतिरिक्त समस्त शिक्षक, समन्वयक एवं बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान और

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विभागों से समन्वय

समेकित बाल विकास कार्यक्रम

जनपद शाहजहाँपुर में तीन विकास खण्डों पुवायाँ, काँट तथा भावलखेड़ा में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए ई0सी0सी0ई0 केन्द्र जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों के संचालन के लिए अवस्थापना सुविधा तथा शिक्षण अधिगम सामग्री क्रय करने हेतु प्रत्येक केन्द्र को रू0 5000/– तथा रू0 1500/– प्रदान किये गये हैं। यह धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के खातों में अन्तरित करा दी गई है। सम्बन्धित समितियाँ अपने स्तर से बच्चों की आवश्यकता के अनुसार इस धन का व्यय कर रही है। सम्बन्धित स्तर पर जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) सुश्री रेनू वर्मा तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी के मध्य बेहतर समन्वय के द्वारा कार्य सम्पादित हो रहा है।

स्वास्थ्य विभाग

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण कराने की योजना है। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में प्रति छात्र स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड उपलब्ध कराये जा चुके हैं। बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में राजकीय चिकित्सकों की सेवायें ली जा रही हैं तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा पल्स पोलियो कार्यक्रम एवं अन्य प्रतिरक्षण कार्यक्रमों में अध्यापकों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए सुन्दर समन्वय स्थापित किया गया है।

समाज कल्याण विभाग

राज्य सरकार की योजना के अनुसार अनुसूचित जाति/जन जाति/विकलांग बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना चल रही है। इस योजना में प्राथमिक स्तर पर रू0 300/– एवं पूर्व माध्यमिक स्तर पर रू0 480/– प्रत्येक बच्चे को प्रदान किये जाते हैं। विकलांग बच्चों एंव अस्वच्छ पेशा वाले बच्चों को रू0 900/– प्रति छात्र प्रदान करने की योजना है। इस योजना का क्रियान्वयन अध्यापकों के सहयोग से ही सुनिश्चित किया जा रहा है। अतः समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

ग्राम पंचायत

प्राथमिक शिक्षा के नियोजन, प्रबन्धन एवं अनुश्रवण में ग्राम पंचायत की विशेष भूमिका है। शिक्षा व्यवस्था पर व्यय होने वाली समस्त धनराशि का नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति खातों के द्वारा किया जाता है। इस खाते में प्रत्येक वर्ष विद्यालय अनुदान निधि की धनराशि भेजी जाती है जिसका व्यय ग्राम पंचायत की सहमति से ही किया जाता है। यदि किसी ग्राम पंचायत में नवीन विद्यालय की स्थापना की जाती है तो भवन निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था भी ग्राम पंचायत की भूमि प्रबन्ध ही रहती है। इस प्रकार शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ग्राम पंचायत के

नियन्त्रण में है तथा उसका ग्राम पंचायतों से बेहतर समन्वय है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक बच्चे को मध्यान्ह भोजन देने की योजना चल रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय में 80 प्रतिशत मासिक उपस्थिति वाले बच्चों को 3 कि0ग्रा0 प्रति छात्र/छात्रा पोषाहार देने की व्यवस्था है। बच्चों को यह आपूर्ति खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से की जा रही है।

उत्तर प्रदेश जल निगम/यू0पी0 एग्रो

जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के लिए पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम तथा यू0पी0 एग्रो की सेवाएं ली जा रही है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपर्युक्त वर्णित विभागों के साथ बेहतर तालमेल बनाये रखते हुए योजना के क्रियान्वयन का प्रयास किया जाएगा। इन विभागों को शिक्षा विभाग से जिस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा होगी उन्हें प्रदान करते हुए बेहतर द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित किए जाएंगे।

जनपद शाहजहाँपुर में सर्व शिक्षा अभियान लागू करने से पहले ग्रास रूट लेविल तक सभी संस्थाओं से संवाद स्थापित किया गया है। इस अभियान का लक्ष्य उद्देश्य एवं विशेषताएं स्पष्ट करते हुए निचले स्तर पर आधारभूत आवश्यकताओं का आंकलन किया गया है तथा जनप्रतिनिधियों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार मानक स्तर पर विद्यालय खोलने का प्राविधान किया गया है। प्रायः सभी ग्राम पंचायतों से अध्यापकों की कमी के कारण शिक्षण की गुणवत्ता में कमी आने की बात स्वीकार की गयी है। अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए छात्र अध्यापक अनुपात 40:1 के मानक स्तर पर लाने हेतु वार्षिक कार्य योजना में प्रबन्ध किया जा रहा है। पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 5 अध्यापकों की माँग भी निचले स्तर पर की गयी है। इस माँग को पूरा करने का इस अभियान में ध्यान रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अध्यापक को उसकी संख्या के अनुपात में कक्षा कक्ष मिल सकें। ऐसी व्यवस्था भी इस वार्षिक कार्य योजना में की जा रही है। प्राथमिक स्तर पर यदि नियमित अध्यापक न मिल सके तो उनकी प्रतिपूर्ति शिक्षामित्रों के चयन द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा।

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत नामांकन की स्थिति

जनपद शाहजहाँपुर

स्तर	कुल बाल गणना			उपलब्धि			अनुसूचित जाति			पिछड़ी जाति			अल्पसंख्यक समुदाय		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
परिषदीय प्रा० वि०	226596	[illegible]	412611	215308	[illegible]	390825	48624	42075	90699	78260	58871	137131	42468	34278	76776
परिषदीय पूमा० वि०	73418	63128	136546	58502	38878	97380	10697	6396	17093	18266	11371	29637	8399	5672	14071

[illegible]

विकास खण्ड का नाम	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1. बण्डा	–	01	–	02	–	03	01	01	04	–	01	–	–	03	01	–	–	04	–	05	01	04	–	–	–	01	–	02	–	–
2. खुटार	02	01	01	01	01	02	03	01	01	–	01	01	02	01	02	02	01	–	–	–	01	01	01	02	02	02	01	01	01	02
3. पुवायाँ	01	01	04	02	01	01	01	01	–	01	–	–	04	01	01	02	03	01	01	01	02	–	–	01	–	–	02	–	02	02
4. सिंधौली	00	00	01	01	01	–	01	01	01	04	–	02	03	–	–	01	01	01	04	01	01	01	01	–	01	01	–	01	01	01
5. तिलहर	–	01	–	02	–	03	01	01	04	–	01	–	–	03	01	–	–	04	–	05	01	04	–	–	–	01	–	02	–	–
6. निगोही	02	01	01	01	01	02	03	01	01	–	01	01	02	01	02	02	01	–	–	–	01	01	01	02	02	02	01	01	01	02
7. खुदागंज	00	01	01	02	01	02	–	–	02	02	01	–	–	02	01	01	–	01	01	01	–	–	01	01	02	01	02	02	02	02
8. जैतीपुर	–	01	–	02	–	03	01	01	04	–	01	–	–	03	01	–	–	04	–	05	01	04	–	–	–	01	–	02	–	–
9. भावलखेड़ा	01	01	01	04	04	02	03	02	01	01	–	01	02	–	–	02	01	–	01	01	01	–	01	02	01	02	02	01	01	01
10. ददरौल	00	01	01	02	01	02	–	–	02	02	01	–	–	02	01	01	–	01	01	01	–	–	01	01	02	01	02	02	02	02
11. कॉट	02	01	01	01	01	02	03	01	01	–	01	01	02	01	02	02	01	–	–	–	01	01	01	02	02	02	01	01	01	02
12. जलालाबाद	00	00	01	01	01	–	01	01	01	04	–	02	03	–	–	01	01	01	04	01	01	01	01	–	01	01	–	01	01	01
13. मिर्जापुर	–	01	–	02	–	03	01	01	04	–	01	–	–	03	01	–	–	04	–	05	01	04	–	–	–	01	–	02	–	–
14. कलान	01	01	04	02	01	01	01	01	–	01	–	–	04	01	01	02	03	01	01	01	02	–	–	01	–	–	02	–	02	02
योग	09	12	16	25	13	24	20	13	25	15	09	08	22	21	14	16	12	22	13	27	13	21	05	12	11	15	13	18	14	[illegible]

जनपद स्तर पर सहभागिता कार्यवाही अन्तर्गत आयोजित बैठकों का विवरण

[illegible]	स्थान	प्रतिभाग करने वालों के विवरण	कार्यवाही
9.01	विकास भवन शाहजहाँपुर	1. जिलाधिकारी 2. मुख्य विकास अधिकारी 3. जिला विकास अधिकारी 4. अपर जिला अधिकारी 5. उप जिलाधिकारी 6. बेसिक शिक्षाधिकारी 7. समस्त वि0 खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी 8. समस्त स0बे0शि0अ0	जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक समपन्न हुई जिसमें .... 1-- विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर बल दिया गया शिक्षकों से अपील की गई कि गुणवत्तापरक शिक्षक कार्य करें। विद्यालय भवनों,अति0कक्षा कक्ष भवन आदि निर्माण कार्यों को निर्धारित मानकानुसार अति शीघ्र पूर्ण करने हेतु ग्रा0 प्र0 प्र0 [illegible] को निर्देशित किया गया। 2-- सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम 3-- सम्बन्ध में सभी को बैठक में अवगत कराया गया। इस अभियान अन्तर्गत बालिका शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने हेतु स्थानीय [illegible] के आधार पर आवश्यकता [illegible]

			खोलने पर बल दिया जाय। 4– छात्रों को प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति उन्हें अविलम्ब वितरित कर देने पर जोर दिया गया। 5– ग्राम शिक्षा समिति की बैठकें आयोजित कर उन्हें जागरूक करने हेतु प्रकाश डाला गया। यह प्रायः प्रतीत हो रहा है कि ग्रा0 शि0 समिति अपने दायित्वों के प्रति सजग नहीं है। जनपद में बालिका शिक्षा एवं स्थानीय आवश्यकतानुसार कक्षा 6 से 8 की शिक्षा हेतु विद्यालयों की उपलब्धता कम है। जिसके लिए स्थान निर्धारित किये जायं।
25.09.01	राजकीय इण्टर कालेज शाहजहाँपुर	1. जिलाधिकारी 2. मुख्य विकास अधिकारी 3. जिला विकास अधिकारी 4. समस्त जनपद अधिकारी 5. विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी 6. सहायक बे0शि0अधि0	1– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य डायट ददरौल ने सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के बारे में अवगत कराया तथा प्रत्येक विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर बैठकें कर सर्व साधारण को सर्व शिक्षा अभियान के बारे में अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया कि जन सामान्य से प्राप्त सुझावों को जनपद स्तर पर उपलब्ध करावें।

		7. खण्ड विकास अधिकारी 8. प्राचार्य डायट	2-- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विशेष बैठकें आयोजित कर के उच्च प्रा0 विद्यालयों की आवश्यकता ज्ञात की जाय। 3-- सभागार में उपस्थित कुछ प्रतिभागियों ने सुझाव दिया कि प्रकृति अवरोधों के स्थानों पर शिक्षा सुविधा उपलब्ध करायी जाय।

विकास खण्ड स्तर पर सहभागिता कार्यवाही अन्तर्गत आयोजित बैठकों का विवरण

तिथि	स्थान	प्रतिभाग करने वालों के विवरण	कार्यवाही
01.01.01	पूर्व माध्यमिक वि0 जेबा,पुवायाँ	1– क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष 2– सहा0बे0शि0 अधिकारी 3– समन्वयक,सहसमन्वयक एवं न्याय पंचायत स्तरीय समन्वयक	सर्व शिक्षा अभियान के बारे में सभी को पूर्ण जानकारी करायी गयी आपसी विचार विमर्श करने के फलस्वरूप निम्न विचार प्राप्त हुए– 1– बालिका शिक्षा पर अभिभावक कम ध्यान देते है। जिसके लिए अभिभावकों को जागरूक करने की आवश्यकता है। 2– पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण बालिकाओं का विवाह कम आयु में हो जाता है। जिससे उनकी शिक्षा बाधित होती है। अभिभावकों में जागरूकता पैदा की जाय कि कम उम्र में विवाह न करें तथा उनकी शिक्षा पर विशेष बल दें। बालिकाओं को दूर भेजने में अभिभावक संकोच करते है। इसके लिए निकट पूर्व मा0 विद्यालय सुविधा करायी जाय।

			3– शिक्षकों से अन्य विभागीय कार्य लेने के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। अतः अध्यापकों से अन्य विभागीय कार्य न लिए जाय।
02.10.01	पूर्व माध्यमिक वि0 खुटार	1– सहा0बे0शि0 अधिकारी 2– समन्वयक,बी0आर0सी0 3– सम0 ए0बी0आर0सी0 4– सम0एन0पी0आर0सी0 5– ग्राम प्रधान समस्त 6– प्र0 अ0 समस्त	सुझाव प्राप्त – 1– शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाय। 2– एकल अध्यापकीय विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक नियोजित किये जाय। 3– ग्रा0 शि0 समिति को सजग एवं विकसित किया जाय। 4– शिक्षक अभिभावकों के बीच आपसी तालमेल की कमी को दूर किया जाय।
03.10.01	प्राथमिक विद्यालय मरौंट	1– खण्ड विकास अधिकारी 2– सहायक विकास अधि0 3– सहायक बे0शि0अधि0 4– प्रा0 शिक्षक संघ अध्यक्ष के0वि0प्र0अ0 5– अन्य अध्यापक	सर्व शिक्षा अभियान सम्बन्ध में बैठक हुई जिसमें विचार विमर्श हुआ जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित सुझाव प्राप्त हुए– 1– न्याय पंचायत कोर विकास खण्ड में [illegible]

		ब्लाक समन्वयक ब्लाक सह समन्वयक न्याय पंचायत स्तरीय समस्त समन्वयक ग्रा0 पं0 विकास अधिकारी ग्राम प्रधान	है। अतः इस न्याय पंचायतय में सर्व शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सुझाव दिया गया। 2– चूंकि अभिभावक बालिकाओं को सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें विद्यालय भेजने में संकोच करते हैं। जिससे बालिकाएं शिक्षा में पीछे हैं। अतः जू0हा0 स्कूल स्तर के विद्यालय अधिक खोले जाय जिससे बालिकाओं की विद्यालय दूरी कम हो तथा विद्यालयों में महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति से भी बालिका शिक्षा में सुधार किया जा सकता है। 3– विभागीय मान्यतानुसार असेवित बस्तियों में भी प्राथमिक विद्यालय को भी खोला जाय जिससे सभी को शिक्षा उपलब्ध हो सके। 4– अन्य विभागीय कार्य अध्यापकों से लेने के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। अतः उनसे गैर

			विभागीय कार्य न लिये जाय जिससे शिक्षण कार्य प्रभावी हो सके। 5– वि0 ख0 में उन्तीस एकल अध्यापकीय विद्यालयों में कम से कम दो अध्यापकों की व्यवस्था की जाय। 6– विद्यालयों में जन सहभागिता हेतु अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति की नियमित बैठक करायी जाय जिससे छात्र नामांकन एवं ठहराव आदि में सुधार हो सके।

न्याय पंचायत स्तर पर सहभागिता कार्यवाही अन्तर्गत आयोजित बैठकों का विवरण

तिथि	स्थान	प्रतिभाग करने वालों के विवरण	कार्यवाही
04.10.01	बण्डा	प्रतिभागी संख्या 8	1 सभी के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया। 2– बढ़ते बच्चों की आवश्यता के आधार पर विद्यालय उपलब्ध नहीं है नये प्रस्तावित किये जाय।
05.10.01	कलान	प्रतिभागी संख्या 30	बच्चों के शत् प्रतिशत् नामांकन हेतु अभिभावकों के जागरूकता में कमी। प्रेरित किया जाय।
06.10.01	हरदुआ बदायूँ	प्रतिभागी संख्या 15	नवीन पूर्व माध्यमिक विद्यालय की आवश्यकता हैं प्रस्तावित किया जाय।
07.10.01	जैतीपुर	प्रतिभागीय संख्या 30	1 – विद्यालयों में शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से कराया जाय। जिससे शिक्षण प्रभावी हो। 2-- सभी ग्राम शिक्षा समिति सक्रिय योगदान नहीं करती है। जागरूकता पैदा की जाय।

08.10.01	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अनावां	समन्वयक न्याय पंचायत ग्राम प्रधान अभिभावक प्र0 अ0	1– न्याय पंचायत में भौगोलिक दृष्टि कोण को आवागमन हेतु रास्ता सर्व सुलभ नहीं है। ध्यान देने की आवश्यकता है। जिससे बच्चों को आने जाने में सुविधा हो। 2– न्याय पंचायत अल्पसंख्यक एवं अनु0 जाति बाहुल्य है। यहाँ पूर्व मा0 वि0 एवं प्रा0 वि0 मानकानुसार खोले जायें। यह न्याय पंचायत वि0 ख0 का सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है। 3– शिक्षकों पर सूचनाओं एवं गैर विभागीय कार्यों का बोझ अधिक रहता है। कम किये जाने की आवश्यकता है। 4 शिक्षा को रोजगार परक बनाने की आवश्यकता है।

09.10.01	पूर्व मा0 वि0 जुझारपुर	ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य समन्वयक न्याय पंचायत प्र0अ0 / इ0प्र0अ0 सेवा निवृत्त प्र0अ0 ग्राम शिक्षा समिति सदस्य अध्यक्षा, महिला प्रेरक समूह ग्रामवासी	1–3 किमी0 की दूरी एवं जन संख्या आधार पर पूर्व मा0वि0 खोले जाने का सुझाव दिया गया इसी तारतम्य में ग्राम पंचायत उदना में एक पूर्व मा0वि0 खोलने हेतु प्रस्ताव किया गया। 2– बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिभावक उदासीन रहते हैं। उन्हें प्रेरित एवं जागरूक करने की आवश्यकता है। 3– बाल विवाह शिक्षा में बाधक है। इस कुरीति को समाप्ति के सम्बन्ध में अभिभावकों को समझाया जाय। 4– हर वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति न दिये जाने से अपवंचित वर्ग बच्चों / अभिभावकों में शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। 5– शिक्षा को अनिवार्य घोषित करने के कारण भी अभिभावक बच्चों को

			विद्यालय भेजने में विशेष रूचि नहीं रखते हैं।
10.10.01	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र नाहिल	ग्राम प्रधान प्र0अ0 / इ0प्र0अ0 स0अ0 शिक्षा मित्र समन्वयक न्याय पंचायत	1– निम्नलिखित कारणों से अभिभावक / बच्चें विशेषकर बालिकायें शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है : 1– अभिभावक बालिका शिक्षा को महत्व नहीं देते है। 2– गरीबी के कारण से बच्चों से घरेलू कार्य लिया जाता है। 3– बाल विवाह, दहेज प्रथा कन्या की शिक्षा में बाधा है। 4– धार्मिक मान्यतायें बालिका शिक्षा में बाधक है। 5– बालिका विद्यालयों का न होना। 6– बालिकाओं की सामाजिक असुरक्षा की समस्या। 7– लड़कियों को दूसरे की सम्पत्ति मानने की मानसिकता के कारण अभिभावकों की बालिकाओं की शिक्षा रूचि न होना।

			8– छात्रवृत्ति प्रोत्साहन सभी वर्ग के बच्चों को न दिया जाना। 9– शिक्षा अनिवार्य घोषित न होना। 2– नवीन जूनियर हाई स्कूल ग्राम पंचायत बराखेड़ा खुर्द में खोलने का प्रस्ताव किया गया।
1.10.01	प्रा0 वि0 जलालाबाद	ग्राम प्रधान समन्वयक न्याय पंचायत प्रा0अ0 / इ0प्र0अ0 स0अ0	1– अभिभावकों, बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी के कारण सकारात्मक प्रयास की आवश्यकता है। 2 3 कि0मी0 दूरी एवं जनसंख्या आधार तथा आवश्यकतानुसार पूर्व मा0वि0 खोलने हेतु सुझाव दिये गये।
12.10.01	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र खुटार	उप प्रधान प्र0अ0 इ0प्र0अ0 स0अ0	1– सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत नवीन पूर्व मा0 विद्यालयों के खोलने की आवश्यकता बैठक में बतायी गयी जिसके क्रम में ग्राम मोहनपुर में एक पूर्व मा0 वि0 प्रस्तावित किया गया।

			2— बालिका साक्षरता प्रतिशत की कमी की समस्या के प्रति गम्भीरता से बैठक में विचार विमर्श किया गया। जिसके फलस्वरूप असुरक्षा बाल विवाह, धार्मिक मान्यतायें, विद्यालयों का अधिक दूरी पर होना, बालिकाओं के अनुकूल विद्यालयों में प्रसाधन आदि की समुचित व्यवस्था न होना, बालिकाओं को दूसरे परिवार की सम्पत्ति समझना आदि कारण उभर कर स्पष्ट हुये। उपरोक्त समस्याओं के निदान हेतु सकारात्मक प्रचार प्रसार एवं शिक्षा की महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया जाय।
13.10.01	न्याय पंचायत [illegible]रीनपुर	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0अ0 /इ0प्र0अ0 प्रा0 एंव पूर्व मा0वि0	1— अभिभावकों को बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाय। 2— शिक्षकों की कमी की पूर्ति

		ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	की जाय। 3– अभिभावक अपने बच्चों को घर के काम काज में व्यस्त न रखें इसके लिए उन्हें प्रेरित किया जाय।
14.10.01	न्याय पंचायत महुआ गुन्दे	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0अ0/इ0प्र0अ0 प्र0 अ0 एवं पूर्व मा0वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	1– शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाय। 2– बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिभावकों को जागरूक करने की आवश्यकता है। 3– बालिकाओं के प्रति अभिभावकों में असुरक्षा की भावना समाप्त करने पर विशेष बल दिया जाय।
16.10.01	न्याय पंचायत सिलुहा	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0अ0/इ0प्र0अ0 प्रा0 एवं पूर्व मा0वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं गणमान्य व्यक्ति	1– प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक तैनात किये जाय एक महिला हो। 2– महिला अध्यापिका न होने पर शिक्षा मित्र महिला हो जिससे बालिकाओं का नामांकन अधिक

			हो सके।
8.10.01	न्याय पंचायत निगोही	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0अ0 / इ0प्र0अ0 प्रा0वि0 एवं पूर्व मा0वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	1– अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है इसमें शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने का अधिकतम् प्रयास किया जाय। 2– शिक्षा के साथ–साथ शिल्प का भी ज्ञान कराया जाय। 3– सामाजिक रूढ़िवादिता समाप्त करने के लिए धार्मिक लोगों के माध्यम से शिक्षा के प्रति जागरूकता लायी जाय।
01.10.01	न्याय पंचायत गंगसरा	ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य समन्वयक प्र0अ0 / इ0प्र0अ0 प्रा0वि0 एवं पूर्व मा0वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	1– बालिका शिक्षा प्रति संवेदनशील बनाया जाय। 2– ग्राम पंचायत गंगसरा में पूर्व मा0 वि0 की आवश्यकता है पूर्ति की जाय। 3– बालिका शिक्षा के लिए मेला कैम्प नुक्कड़ नाटक, फिल्म, शिविर तथा गोष्ठियों का आयोजन किये जायें।

22.10.01	न्याय पंचायत कोटाबारी	ग्राम प्रधान प्र0अ0 / इ0प्र0अ0 प्रा0वि0 एंव पूर्व मा0वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	बालिका विद्यालय की कमी,निर्धनता, अशिक्षा आदि। स्कूलों की संख्या बढ़ायी जाय विद्यालय में सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाय। विद्यालय की कमी,शिक्षकों की कमी
23.10.01	न्याय पंचायत ढकिया तिवारी	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0अ0 / इ0प्र0अ0 प्रा0वि0 एंव पूर्व मा0वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	अभिभावकों का शिक्षा के निर्धनता आदि प्राकृतिक अवरोध के कारण वैकल्पिक केन्द्र एंव नये विद्यालयों को खोला जाना चाहिए। छात्रवृत्ति सभी छात्रों को मिलना चाहिए।

24.10.01	न्याय पंचायत मदनापुर	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0अ0 / इ0प्र0अ0 प्रा0वि0 एंव पूर्व मा0वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	1– शिक्षकों की कमी, शिक्षा मित्रों एंव शिक्षकों द्वारा पूरा किया जायेगा। 2– नागरिकों का सहयोग न मिलना, ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण देकर उनके अधिकार व कर्तव्यों का बोध कराया जायेगा।
25.10.01	न्याय पंचायत बरी खास	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0अ0 / इ0प्र0अ0 प्रा0वि0 एवं पूर्व मा0वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य अन्य गणमान्य व्यक्ति	परम्परागत रूढ़िवादिता, अशिक्षा, प्रभावी निरीक्षण में कमी, छात्रवृत्ति वितरण में भेद भाव आदि। सभी समस्याओं पर विचार किया गया इसके खण्डन के लिए जन जागरण की आवश्यकता है
26.10.01	न्याय पंचायत कुरिया कला	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0अ0 / इ0प्र0अ0 प्रा0वि0 एंव पूर्व मा0वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	शिक्षा का रोजगार परक न होना शिक्षा के प्रति उदासीनता, विद्यालय में शिक्षकों की कमी, शिक्षा मित्रों द्वारा पूरा की जायेगी। शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण देकर शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा

			की जायेगी।
27.10.01	न्याय पंचायत बसखेड़ा	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0अ0/इ0प्र0अ0 प्रा0वि0 एंव पूर्व मा0वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	अभिभावकों की गरीबी एवं उनकी अशिक्षा, जनसंख्या का घनत्व आदि इस सन्दर्भ में कई सुझाव आये और लोगों को बताया गया।
28.10.01	न्याय पंचायत कजरी नूरपुर	ग्राम प्रधान स0बे0शि0 अधिकारी समन्वयक प्र0अ0/इ0प्र0अ0 प्रा0वि0 एवं पूर्व मा0वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	अभिभावकों की निर्धनता एवं अशिक्षा, प्रोत्साहन की कमी, उक्त सन्दर्भ में छात्रवृत्ति वितरण सभी वर्ग के निर्धन छात्रों को किया जाना चाहिए। बाल पोषाहार का वितरण नियमित होना चाहिए।
29.10.01	न्याय पंचायत तालगाँव	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0अ0/इ0प्र0अ0 प्रा0वि0 एवं पूर्व मा0वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	विद्यालय में शिक्षकों का अभाव जन संख्या में निरन्तर वृद्धि छात्रवृत्ति सभी बच्चों को न मिलना। उक्त समस्या के समाधान में लोगों को जागृत किया जाय।

			उन्हें जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभावों को बताया जाय। छात्रवृत्ति वितरण वर्ष में एक बार न देकर प्रत्येक माह में दिया जाय।
10.01	न्याय पंचायत मुड़िया पमार	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0अ0 / इ0प्र0अ0 प्रा0वि0 एंव पूर्व मा0वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	विद्यालयों में अध्यापकों की कमी शिक्षा मित्र से पूरा किया जाय। विद्यालय में चहारदीवारी का आभाव है।
0.01	पूर्व मा0वि0 लघौला	अध्यक्ष, जि0प0 स0बे0शि0 अधिकारी ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0अ0 / इ0प्र0अ0 प्रा0वि0 एंव पूर्व मा0वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	1- शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जाय। 2- अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग न मिलना इस सन्दर्भ में ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण कराया जायेगा। जिससे उनको अधिकार कर्तव्यों का बोध होगा। 3- निर्धनता, इस सन्दर्भ में छात्रवृत्ति

			एवं निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के वितरण की व्यवस्था।
			4– शिक्षा का रोजगार परक न होना, व्यवसायिक शिक्षा हेतु काष्ठ शिल्प, चर्म उद्योग की व्यवस्था।
			5– बालिका विद्यालय का अभाव बालिका विद्यालय की स्थापना पर जोर दिया जाना चाहिए।
30.10.01	न्याय पंचायत लालपुर	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0अ0 / इ0प्र0अ0 प्रा0वि0 एवं पूर्व मा0वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	अभिभावकों की गरीबी, अशिक्षा, छात्र वृत्ति में असमानता, पोषाहार का वितरण न होना। सभी बच्चों को छात्रवृत्ति एवं पोषाहार नियमित मिलना चाहिए।
30.10.01	न्याय पंचायत चांदापुर	ग्राम प्रधान प्र0अ0 प्रा0वि0 अन्य गणमान्य व्यक्ति	बालिका विद्यालय की कमी, निर्धनता, अशिक्षा। 800 की आबादी एवं 3 प्रा0 वि0 पर एक जू0हा0स्कूल खोला जाना चाहिए।

01.11.01	मिर्जापुर	प्रतिभागी संख्या 10	1– विकास खण्ड में आवागमन साधनों की कमी है, ध्यान देने की आवश्यकता है। भौगोलिक अवरोधों की कमी की आवश्यकता है। 2– छात्र नामांकन करवाने के बाद पाठशाला त्यागी हो जाते है। अतः उनके ठहराव हेतु अभिभावकों को प्रेरित एवं जागरूक किया जाय।
01.11.01	कलान	ग्राम प्रधान समन्वयक न्याय पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत अभिभावक सेवा निवृत्त अध्यापक ब्लाक सह समन्वयक प्र0अ0 / स0अ0	1– ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावकों को सभी बच्चों के नामांकन के बाद ठहराव के प्रति रूचि कम रहती है अतः उन्हें सजग, सक्रिय, जागरूक किया जाय। 2 आवश्यकता के आधार पर पूर्व मा0 वि0 एंव प्रा0 वि0 मानकानुसार नवीन खोले जाय।

			3– आंगन बाड़ी केन्द्रों की आवश्यकता पर भी विचार विमर्श किया जाय। 4– छात्रों को उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधा छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्य पुस्तके समय पर उन्हें उपलब्ध करा देने से शिक्षा में संख्यात्मक एवं गुणात्मक सुधार हो रहा है। पोषाहार उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
1.11.01	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अल्हागंज	प्र0 अ0 आचार्य मान्यता प्राप्त प्र0 अ0 न्याय पंचायत समन्वयक ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य	1– जिन छात्रों को छात्रवृत्ति अभी तक वितरित नहीं की गई है। उन्हें तत्काल वितरित किया जाय। जिससे छात्रों के विद्यालय ठहराव पर प्रभाव पड़े। 2– विद्यालय में छात्रों को नियमित भेजने में अभिभावक रुचि नहीं लेते है। इसके लिए ग्राम शिक्षा समिति एवं अभिभावकों को प्रेरित किया एवं जागरूक किया जाय।

03.11.01	प्रा0 वि0 हथौड़ा बुजुर्ग	प्र0 अ0 समन्वयक न्याय पंचायत ग्राम प्रधान अन्य अध्यापक	1– विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है। जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित है। 2– गरीबी के कारण काफी परिवारों के बच्चे घरेलू एवं व्यवसायिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। 3– इनके लिए रोजगार परक शिक्षा पर बल दिया जाय। 4– 1:40 अनुपात अध्यापकों की कमी को पूरा किया जाय। 5– शिक्षकों से गैर विभागीय कार्य न लिए जाय।
04.11.01	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र सुनारा	ग्राम प्रधान सुनारा अध्यापक समन्वयक, न्याय पंचायत ग्रामवासी	विद्यालय दूर होने के कारण [illegible] वय वर्ग की बालिकाएं एवं [illegible] विद्यालय नहीं जाते हैं। अतः उनके लिए नवीन उच्च प्रा0 विद्यालय खोले जाए।

11.01	न्याय पंचायत क्षेत्र चतीपुर (खुटार)	समन्वयक न्याय पंचायत समस्त प्र0अ0 न्यायपंचायत ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य अभिभावक	1– विभागीय मानकानुसार नवीन प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व मा0 विद्यालय खोले जाए। जिससे सभी को शिक्षा उपलब्ध हो सके। 2– न्याय पंचायत में अल्पसंख्यक बाहुल्यता है। अतः इन बच्चों के हिसाब से सर्व शिक्षा उपलब्ध करायी जाय। 3 – अध्यापकों की 1:40 अनुपात अध्यापक कम है पूर्ण किया जाय।

उच्च प्राथमिक स्तर पर विशिष्ट सूचांक
जनपद शाहजहाँपुर

1997 से 2003 तक परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन शाहजहाँपुर

वर्ष	नामांकन			प्रतिशत		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1997—98	30094	15025	45119	66.7	33.3	100
1998—99	29974	15669	45644	65.7	34.3	100
1999—2000	31784	16483	48267	65.9	34.2	100
2000—01	32676	17165	49841	65.6	34.4	100
2001-2002	33772	18873	52645	64.15	35.85	100
2002-2003	34442	19680	54122	63.63	36.37	100

जनपद शाहजहाँपुर वर्ष 1997 से डी.पी.ई.पी परियोजना से आच्छादित रहा हैं। परियोजना से प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि के साथ–साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर भी नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन में 1997 से 2003 के बीच वृद्धि हुई है।

परिषदीय उच्च स्तर पर नामांकन एवं वृद्धि जनपद शाहजहाँपुर

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1998—1999	16167	15254	14223	45644	
1999—2000	18882	16400	12985	48267	5.4
2000—2001	22663	17011	101668	49841	3.2
2001-2002	23958	17836	10851	52645	5.3
2002-2003	24485	18422	11215	54122	2.7

उक्त सारिणी में उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षावार नामांकन दर्शाया गया है जिसका विश्लेषण [illegible] 2001–2002 एवं 2002–2003 में क्रमशः 5·3 प्रतिशत एवं 2·7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

परिषदीय विद्यालयों का ट्रांजिसन दर कक्षा 5 से कक्षा 6

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्रांजिसन
1998—1999	32594	16167	49.6
1999—2000	34786	18882	54.3
2000—2001	34689	22663	65.3
2001-2002	35765	23958	66.98
2002-2003	36845	24485	66.45

किसी भी प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम में यह अतिआवश्यक है कि कितने बच्चे एक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर दूसरे [illegible] शिक्षा में नामांकन होते है। अतः जनपद शाहजहाँपुर का परिषदीय विद्यालयों का ट्रांजिसन दर (अर्थात कक्षा 5 से कक्षा 6 में नामांकित होने वाले) उक्त सारिणी में ज्ञात किया गया है। सारिणी से स्पष्ट है कि 1999 से 2003 [illegible] ट्रांजिसन दर की वृद्धि है। सारिणी से यह भी स्पष्ट है कि मात्र प्राथमिक स्तर के लगभग 66 प्रतिशत बच्चे [illegible] स्तर पर नामांकित हो पाते है।

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

मूलभूत विशेषताएं

इस अभियान के अन्तर्गत विद्यालयीय शिक्षा में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एंव गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराना ही इस अभियान की मूलभूत विशेषता है। इस अभियान के अन्तर्गत सभी बच्चों को लिंग भेद एवं जाति भेद से ऊपर उठकर क्षमता विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

सर्व शिक्षा अभियान क्या है

1. इस अभियान के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का एक स्पष्ट एवं समयबद्ध कार्यक्रम रखा गया है।
2. इस अभियान के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समरसता कायम करना एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना सुनिश्चित किया जाएगा।
3. निचले स्तर तक की संस्थाओं जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम शिक्षा समिति, नगरीय शिक्षा समिति, अध्यापक अभिभावक संघ, माता अभिभावक संघ के द्वारा नियोजन एवं प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी की जाएगी।
4. इस अभियान के द्वारा समस्त भारत में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के हेतु प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति की गयी है।
5. यह योजना केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए संचालित की जाएगी।
6. इस अभियान के द्वारा केन्द्र सरकार ने राज्यों को प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में अपना स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर प्रदान किया है।

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य

1. 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को वर्ष 2007 तक उपयोगी एवं प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2007 तक सीमा आउटर लिमिट होगी।
2. सामाजिक, क्षेत्रीय तथा लिंग सम्बन्धी विषमताओं को दूर करना भी इस योजना का एक प्रमुख लक्ष्य है।
3. पूर्व प्रारम्भिक शिक्षा का महत्व को देखते हुए 6–14 आयु वर्ग की सीमा का विस्तार करते हुए इसे 0–14 आयु वर्ग करना तथा समेकित बाल विकास कार्यक्रम को समर्थन एंव प्रोत्साहन देना भी इस योजना का लक्ष्य है। जहाँ आई0सी0डी0एस0 केन्द्र संचालित नहीं हो रहे हैं, वहाँ विशेष पूर्व विद्यालयीय सेवा उपलब्ध कराने की योजना है।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य

1. वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालयों में नामांकित कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। यह विद्यालय अनौपचारिक विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, शिक्षा गारण्टी केन्द्र, समर केम्प, ब्रिज कोर्स आदि किसी भी प्रकार के हो सकते हैं।
2. वर्ष 2007 तक सभी बच्चों को कक्षा 5 तक की शिक्षा पूरी कराना।
3. वर्ष 2007 तक सभी बच्चों को कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी कराना।
4. सन्तोषजनक गुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।
5. लिंग तथा सामाजिक विषमताओं को प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 तक समाप्त करना है।
6. वर्ष 2007 तक शत् प्रतिशत् बच्चों को कक्षा 8 तक शिक्षा उपलब्ध कराना, ड्राप आउट रेट शून्य तक लाना तथा रिपीटेशन समाप्त करना।

केन्द्र द्वारा दिशा निर्देश के स्थान पर ढांचा प्रदान करना

1. जिससे राज्य अपनी आश्यकतानुसार दिशा निर्देश तय कर सके।
2. जिससे जनपद अपनी स्थानीय विशेषतओं/आवश्यकताओं का समावेश कर सके।
3. जिससे स्थानीय तथा आवश्यकता जनित योजना का निर्माण ले सके।
4. जिससे योजना निर्माण को व्यावहारिक रूप प्रदान किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान की विस्तृत रणनीतियाँ

1. प्रदान किये जाने वाले विभिन्न अवयवों के प्रभावी निष्पादन हेतु संस्थागत ढांचे में आवश्यक परिवर्तन।
2. कार्यक्रम को सस्टेनऐबिल बनाने हेतु केन्द्र तथ राज्यों के बीच लम्बी अवधि का करार।
3. कार्यक्रम के प्रति समुदाय में ओनरशिप पैदा करने के लिए प्रभावी विकेन्द्रीकरण।
4. संस्थागत दक्षता संवर्द्धन हेतु नीपा, एन.सी.ई.आर.टी., एन.सी.टी.आई., एस.सी.ई.आर.टी. सीमेट तथा डायट जैसी संस्थाओं का विकास जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में विकास तथा उसे सतत् बनाये रखने में सहयोग मिल सके।
5. पूर्ण पारदर्शिता के साथ समुदाय आधारित अनुश्रवण, ई.एम.आई.एस. तथा माइक्रो प्लानिंग के आंकड़ों का मिलान।
6. बस्ती को नियोजन की इकाई बनाना।
7. बालिका शिक्षा विशेषकर अनु.जाति/अनु.जनजाति/अल्पसंख्यक को प्राथमिकता।
8. विशेष समूह के बच्चों पर ध्यान – झुग्गी–झोपड़ी, अपवंचित, विकलांग आदि।
9. प्रोजेक्ट पूर्व क्रियाकलाप – प्रोजेक्ट निर्माण से पूर्व सुनियोजित क्रियाकलाप, घर–घर सर्वेक्षण, सूक्ष्म नियोजन एवं विद्यालय मानचित्रण, समुदाय का प्रशिक्षण, परीक्षण अध्ययन (डायग्नोस्टिक स्टडी), जनजागरण आदि।
10. गुणवत्ता शिक्षा पर बल -- उपयोगी एवं प्रासंगिक पाठ्यक्रम निर्माण, बाल केन्द्रित एवं प्रभावी शिक्षण अधिगम।

11. अध्यापक की भूमिका पर बल – योग्य अध्यापकों का चयन तथा उन्हें दक्ष बनाने के लिए बी. आर.सी./सी.आर.सी. का निर्माण, पाठ्यक्रम से जुड़ी सामग्री विकास में उनका योगदान, शैक्षिक भ्रमण आदि के माध्यम से जागरूक बनाना।
12. जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना का निर्माण – उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना (पर्सपेक्टिव प्लान) का निर्माण जिसमें समग्रता तथा समन्वय हो। साथ ही प्रत्येक वर्ष की वार्षिक कार्य योजना का निर्माण जिसमें क्रियाकलापों की प्राथमिकतायें तय हो एवं पूर्व की सफलताओं एवं गलतियों से सीखने की बात हो।

सर्व शिक्षा अभियान में सरकारी एंव निजी संस्थाओं के बीच साझेदारी

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में निजी संस्थाओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। सरकारी एवं निजी तंत्र किन–किन क्षेत्रों में सहयोग व साझेदारी कर सकते हैं। इसकी सम्भावना को तलाशना। राज्य संस्थाओं के अध्यापकों को डायट के माध्यम से प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक नीति बना सकते हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय मानक

योजना	वर्ष	केन्द्र.राज्य अंशदान
नवीं	1997–2002	85:15
दसवीं	2002–2007	50:50

1. राज्यों को प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय के स्तर को वर्ष 1999–2000 के आधार पर बनाये रखना होगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्यों का अंश उपर्युक्त व्यय के ऊपर होगा।
2. केन्द्र की प्रथम किश्त को छोड़कर अन्य किश्त तभी जारी होगी जब प्रत्येक बार के केन्द्र राज्य अंश राज्य क्रियान्वयन समिति को स्थानान्तरित कर दिये जायेगें।
3. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापकों का वेतन अंश उपर्युक्त सारिणी के अनुसार केन्द्र व राज्यों द्वारा वहन किया जायेगा।
4. बाह्य एजेंन्सियों द्वारा सहायता प्राप्त कार्यक्रम तब तक जारी रहेगा। जब तक उनके परामर्श से कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया जाता।
5. राष्ट्रीय बाल भवन, एन.सी.टी.ई. तथा मिड डे मील योजना के अतिरिक्त प्रारम्भिक शिक्षा से जुड़ी सभी योजनाओं को नवीन योजना के बाद एस.एस.ए. में समाहित कर दिया जायेगा।
6. जिला शिक्षा योजना के अन्तर्गत विभिन्न संसाधनों/फंडस, पी.एम.जी.वाई., पी.एम.आर.वाई., सांसद/विधायक फण्ड आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।
7. विद्यालय विकास, मरम्मत, शिक्षण अधिगम सामग्री के क्रय आदि तथा स्थानीय प्रबन्धन से सम्बन्धित निधियों की स्थानीय प्रबन्धन समितियों (वी.ई.सी., एम.टी.ए., पी.टी.ए. आदि) को स्थानान्तरित करना।
8. प्रोत्साहन की अन्य योजनायें, छात्रवृत्ति, गणवेश आदि जो राज्यों द्वारा चलाई जा रही है, जारी रहेगी तथा एस.एस.ए. द्वारा इनकी फंडिंग नहीं की जायेगी।

नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु प्रयुक्त विधा

जनपद शाहजहाँपुर में जनजागरण निदेशालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 की जनगणना करायी जा चुकी है तथा इस जनगणना के आंकड़े साररूप में प्राप्त हो चुके हैं किन्तु आयु वर्ग वार विस्तृत आंकड़े अभी तक नहीं मिल सके हैं। अतः वर्ष 1991 की जनगणना तथा वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या को आधार मानते हुए जनपद की वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान किया जा सकता है। जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर नीपा नई दिल्ली के माइसूत्र में वर्णित कम्पाउण्ड रेट ऑफ ग्रोथ से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इससे जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.5 प्राप्त हो रही है इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से वर्ष 2010 तक प्रत्येक वर्ष जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गई है।

बच्चों के आयुवार प्रोजेक्शन में वर्तमान ग्रास इनरोलमेंट रेशिओं को आधार मानते हुए नीपा, नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित इनरोलमेंट रेशिओं मेथेड से वर्ष 2002 से 2007 तक जी.ई.आर. प्रक्षेपित किया गया है। वर्ष विशेष के लिए प्रक्षेपित जी.ई.आर. तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर के लिए 6 से 11 वय वर्ग के बच्चों का वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के 11 से 14 वय वर्ग के बच्चों को वर्ष 2007 तक शत् प्रतिशत् नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। जब हम बच्चों को विद्यालय में नामांकित करते हैं तब कुछ बच्चें हमारी इस मानक आयु सीमा से कम आयु के हो सकते है तथा कुछ बच्चें इससे अधिक आयु के भी हो सकते है अतः 6 से 11 तथा 11 से 14 आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या से प्राथमिक स्तर तथा उच्च प्राथमिक स्तर में नामांकित बच्चों की संख्या अधिक हो सकती है। अतः जी.ई.आर. का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यहाँ इस तथ्य का भी उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है कि प्रारम्भिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी.आई.आर. में वृद्धि अत्यन्त कम होगी क्योंकि जितने बच्चें 6 से 11 व 11 से 14 आयु वर्ग में बढ़ेगें लगभग उतने ही नामांकित होंगे। इस अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2007 तक शाला त्याग की दर शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2001 से 20 तक वर्षवार जनपद की 6–11 तथा 11–14 वय वर्ग की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत् प्रक्षेपित किया गया है :–

सारिणी 4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	6–11 वर्ष के बच्चे	कुल नामांकित बच्चों की सं0	गैर परिषदीय में बच्चों की सं0	परि0 वि0 में बच्चों की सं0	विद्यालय से बाहर बच्चे	जी.ई.आर.
2001–02	412641	390825	88735	302090	21816	05
2002–03	420604	408267	90510	317757	12627	07
2003–04	429312	420725	92320	328406	8586	98
2004–05	437898	437898	94166	343732	0	100
2005–06	446656	446656	96050	350606	0	100
2006–07	455589	455589	97971	357618	0	100

सारिणी 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

वर्ष	कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:5 शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
2001–02	265	0	1325	739	586
2002–03	265	33	1490	1325	165
2003–04	298	95	1965	1490	475
2004–05	393	0	1965	1965	0
2005–06	393	0	1965	1965	0
2006–07	393	0	1965	1965	0

उपर्युक्त तालिका के अनुसार जनपद शाहजहाँपुर में कुल 299 विद्यालय स्थापित हैं। जिनमें 739

अध्यापक कार्यरत हैं। विद्यालय अध्यापक अनुपात 1:5 के अनुसार कुल 475 नवीन शिक्षकों की आवश्यकता है।

ठहराव के लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले की वार्षिक कार्य योजना में प्राथमिक स्तर तक के बच्चों के लिए वर्ष 2007 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक के बच्चों के लिए वर्ष 2007 तक शत् प्रतिशत् ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि बच्चा 2002 में कक्षा 1 में नामांकित किया गया है तो वह पाँच वर्ष के अन्दर 2007 तक कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। वह बच्चा किसी भी स्थिति में शाला त्याग न करे और न ही किसी एक कक्षा में एक वर्ष से अधिक तक रुके। उच्च प्राथमिक स्तर पर यही लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। प्राथमिक स्तर पर आगामी वर्षों में ड्राप आउट की दर निम्न तालिका के अनुसार नियंत्रित करने का प्रस्ताव किया गया है।

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्रा आउट की दर
2000–01	28
2001–02	24
2002–03	18
2003–04	12
2004–05	7
2005–06	5
2006–07	0

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में 'ड्राप आउट' के संबंध में सूची प्रमाण तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक–पृथक 'कोहोर्ट स्टडी' करायी जायेगी तथा इसके आंकड़ों के आधार पर आगामी वर्षों की कार्य योजना में आवश्यक संसोधन तथा परिवर्तन आदि कर लिए जाएंगे।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले की वार्षिक कार्य योजना में प्राथमिक स्तर तक के बच्चों के लिए 2007 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक के बच्चों के लिए वर्ष 2007 तक शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है कि यदि बच्चा 2002 में कक्षा 1 में नामित किया गया है तो वह पाँच वर्ष 2007 तक कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। वह बच्चा किसी भी स्थिति में शाला त्याग न करे और न ही किसी एक कक्षा में एक वर्ष से अधिक तक रूके। उच्च प्राथमिक स्तर पर यही लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। प्राथमिक स्तर पर आगामी वर्षो से ड्राप आउट की दर निम्न तालिका के अनुसार नियंत्रित करने का प्रस्ताव किया गया है। उच्च प्राथमिक में शाला त्याग की दर ज्ञात करने के लिए विकास खण्ड भावलखेड़ा,ददरौल तथा कॉट में 5-5 विद्यालयों की शाला त्याग अध्ययन किया गया जिसके अनुसार शाला त्यागी 34 प्रतिशत ज्ञात हुआ जिसे निम्न प्रकार से समाप्त किया जायेगा।

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर	उच्च स्तर पर ड्राप आउट की दर
2000–01	28	15
2001–02	24	13
2002–03	12	08
2003–04	07	06
2004–05	03	04
2005–06	0	01
2006–07	0	0

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में ड्राप आउट के सम्बन्ध में हुयी प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक–पृथक कोहेर्स स्टडी करायी जायेगी तथा इसके आंकड़ों के आधार पर आगामी वर्षो की कार्य योजना में आवश्यक संशोधन तथा परिवर्तन आदि कर लिए जाएगें।

प्राथमिक विद्यालय

SHAHJAHANPUR

क्रमांक	वर्ष	6–11 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता/गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से बाहर जो बच्चे विद्यालय में नहीं जा रहे हैं (वर्षवार)	NER	[illegible] अनु.जाति बालक का प्रतिशत (परिषदीय)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0
2	2002–2003	420804	408287	90610	317767	12627	[illegible]	[illegible]
3	2003–2004	429312	420725	92320	320408	0586	98	220032
4	2004–2005	437000	437000	94100	343732	0	100	[illegible]
5	2005–2006	446656	446656	96050	350606	0	100	[illegible]
6	2006–2007	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	100	[illegible]

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता

SHAHJAHANPUR

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	40:1 दर से कक्षाकक्ष	वर्तमान कक्षा कक्ष	नवीन विद्यालय कक्ष	योग (4+5)	आवश्यक कक्षा कक्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1.	2001–2002	302090	7552	2776	115	2891	2806
2.	2002–2003	317767	7944	2891	—	2891	2806
3.	2003–2004	328406	8210	2891	100	2991	2796
4.	2004–2005	343732	8593	2991	902	3893	1004
5.	2005–2006	350606	8765	3893	902	4795	902
6.	2006–2007	357616	8940	4795	902	5697	—

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

SHAHJAHANPUR

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	वर्तमान शिक्षक	वर्तमान शिक्षामित्र	योग (3+4)	40:1 पर से शिक्षक	आवश्यक शिक्षक	[illegible]	[illegible] (6-5)
	1	2	3	4	5	6	7	8	[illegible]
1.	2001–2002								
2.	2002–2003								
3.	2003–2004	328406	5984	2017	8001	8210	105		209
4.	2004–2005	343732	6089	2121	8210	8593	103	294	[illegible]
5.	2005–2006	350606	6282	2311	8593	8765	87	85	172
6.	2006–2007	357018	6369	2396	8765	8840	88	87	175

क्रमांक	वर्ष	कुल आवश्यकता	नवीन प्रा०वि० के शिक्षक (प्र.अ.+ शिक्षा मित्र)	अन्य शिक्षक	अन्य शिक्षा मित्र	[illegible] शिक्षक	[illegible] शिक्षा मित्र
	1	2	3	4	5	6	7
1.	2001–2002	3970	0	1985	1985	1935	1935
2	2002–2003	392	172	125	125	2101	2101
3.	2003–2004	286	200	33	33	2314	2314
4	2004–2005	303	0	182	191	2506	[illegible]
5	2005–2006	172	0	86	86	2592	[illegible]
6	2006–2007	175	0	88	88	2680	[illegible]

अध्याय – 5

समस्याएं एवं रणनीति

शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि पढ़ने की उम्र वाला प्रत्येक बच्चा विद्यालयों में नामांकित हो तथा उसे कुशल अध्यापकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाय। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि विद्यालयों के परिसर को आकर्षक बनाया जाये ताकि बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने के साथ–साथ मनोरंजन भी हो और उसे विद्यालयी वातावरण रूचिकर लगे। नीरस एवं उबाऊ वातावरण प्रतिभाशाली बच्चे का भी पूर्ण मानसिक विकास नहीं हो पाता है। जनपद शाहजहाँपुर में वर्ष 1997 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर बच्चों के नामांकन, उपस्थिति तथा सम्प्राप्ति विषयक अनेक प्रयास किये गये है तथा इन प्रयासों के सार्थक परिणाम भी सामने आये हैं किन्तु अभी तक प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को शत् प्रतिशत् प्राप्त नहीं किया जा सका है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों के नामांकन मे अत्याधिक सफलता प्राप्त हुई है किन्तु उनके विद्यालय में ठहराव के शत् प्रतिशत् सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। इसी तरह हम बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उलब्ध कराने में काफी हद तक सफल रहे हैं किन्तु अभी भी इस क्षेत्र में अनेक समस्याएं हैं जिन्हें दूर करने की नितान्त आवश्यकता है। पूर्व माध्यमिक स्तर पर बच्चों के नामांकन, उपस्थिति तथा सम्प्राप्ति के बारे में विभागीय प्रयास किये जाते रहे हैं किन्तु इस क्षेत्र में कोई संगठित एवं सुनियोजित अभियान अभी तक नहीं चलाया गया है जिसके कारण पूर्व माध्यमिक स्तर पर सुधार की व्यापक सम्भावनायें हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इस अभियान की नियोजन प्रक्रिया से पूर्व ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक बड़ी संख्या में समूह चर्चायें आयोजित की गई। इन चर्चाओं में प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करते हुए उनके निदान के सुझाव प्राप्त किये गये हैं। इन्हीं सुझावों के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान की रणनीति तैयार की गई है। इन बैठकों में जो समस्याएं प्रमुख रूप से उभरकर सामने आयी, वे निम्नलिखित हैं इन समस्याओं से निपटने के लिए जो उपाय सुझाये गये है उन्हें सर्व शिक्षा अभियान की रणनीति में समाहित किया गया है। प्राथमिक स्तर पर एवं पूर्व माध्यमिक स्तर पर बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं सम्प्राप्ति विषयक समस्याएं एवं रणनीतियाँ निम्न प्रकार है।

नामांकन विषयक समस्या एवं रणनीतियाँ

1. आर्थिक एवं सामाजिक कारण :–

जनपद शाहजहाँपुर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है। इस जनपद के साधन सम्पन्न व्यक्ति तो अपने बच्चों को महंगी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दिला रहे हैं किन्तु वर्षों से दलित शोषित एवं अपवंचित वर्ग के लोग अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में

अक्षम रहे हैं। इस वर्ग के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता की कोई कमी नहीं है। विगत वर्षों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम चलाकर जागरूकता उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की गई है किन्तु आर्थिक एवं सामाजिक कारणों से वे अभी भी अपने बच्चों को शिक्षा दिला नहीं पा रहे है।

इस समस्या से निपटने के लिए सर्व शिक्षा अभियान में विशेष प्रयास किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, माता अभिभावक संघ, महिला मंगल दल आदि की सहभागिता प्राप्त करते हुए अपवंचित वर्ग को प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजे ताकि शिक्षा प्राप्त कर बच्चें स्वयं अपना व्यवसाय कर सकें तथा परिवार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर सकें। विद्यालयों में शिक्षा व्यवसायोन्मुख बनाने का प्रयास किया जायेगा किशोरी बालिकाओं को जवनोपयोगी शिक्षा देने के बारे में विशेष केन्द्र खोले जायेंगे।

विद्यालयों में जाति, धर्म, लिंग एवं सम्प्रदाय भाव से ऊपर उठकर सभी बच्चों से समान व्यवहार करने के लिए अध्यापकों को प्रेरित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा। अभिभावकों के समक्ष विद्यालय सामाजिक समरसता के उत्कृष्ट उदाहरण होगें तभी वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में संकोच महसूस नहीं करेगें। बालिकाओं के प्रति विद्यालयों में अच्छा व्यवहार होगा। विकलांग बच्चों के बारे में समेकित शिक्षा के माध्यम से उपचारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जायेगा इस कार्य के लिए अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा। शारीरिक रूप से चुनौती प्रस्तुत करने वाले बच्चों के साथ सम्मानपूर्ण एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार उन्हें विद्यालय आने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस प्रकार हम विशेष प्रयास कर बच्चों के नामांकन में अवरोधक तत्व के आर्थिक एवं सामाजिक कारण को दूर कर सकते हैं तथा बच्चों के शत् प्रतिशत् नामांकन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

2. बच्चों की पहुँच से विद्यालय का दूर होना :-

बच्चों के शत् प्रतिशत् नामांकन में विद्यालयों की उपलब्धता एक प्रमुख कारक है। अभी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में जनपद शाहजहाँपुर में 470 नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है।

समूह चर्चाओं के द्वारा ऐसी असेवित बस्तियों की भी पहचान कर ली गई है जहाँ [illegible] बच्चे उपलब्ध हैं एवं उनसे 1 किमी0 की दूरी तक कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है। इन बस्तियों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा गारन्टी योजना/वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा के [illegible] विद्या केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। पूर्व माध्यमिक स्तर पर असेवित बस्तियों में 95 [illegible]

माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है तथा प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय का अनुपात 2:1 करने के लिए ज्ञान केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इन विद्या केन्द्रों तथा ज्ञान केन्द्रों का संचालन ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से कराया जायेगा। यह समितियाँ इनमें अनुदेशकों की नियुक्ति कर उन पर नियंत्रण स्थापित करेंगी यह अनुदेशक उसी ग्राम/बस्ती का व्यक्ति होगा तथा इसके मानदेय का भुगतान जिला परियोजना कार्यालय ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करेगा।

उपर्युक्त व्यवस्था के द्वारा प्रत्येक असेवित बस्ती में प्राथमिक विद्यालय तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय की या तो स्थापना की जायेगी अथवा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेगें। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक बच्चे की पहुंच तक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि 6–11 वय वर्ग के किसी बच्चे को 1.5 किमी0 तथा 11–14 वय वर्ग के किसी बच्चे को 3 किमी0 से अधिक चलकर विद्यालय न जाना पड़े तथा कोई बच्चा केवल इस कारण से विद्यालय में नामांकित होने से न रह जाये कि उसे पढ़ने के लिए उसकी पहुंच उपलब्ध नहीं है।

इस प्रयास के द्वारा हम बच्चों तक विद्यालय पहुँचाने का प्रयास करेगें। निश्चित रूप से हमारा यह प्रयास बच्चों के शत् प्रतिशत् नामांकन में सहायक होगा।

3. विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं की कमी :–

समूह चर्चाओं से यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि विद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं की कमी के कारण भी अभिभावक परिषदीय विद्यालयों में अपने बच्चों का नामांकन नहीं कराते है। प्राथमिक स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करा दी गई है। इसके लिए विगत 2 वर्षों से लगातार रू0 5000/– प्रति वर्ष ग्राम शिक्षा समितियों को उपलब्ध कराये जाते रहे हैं इस धनराशि से ग्राम शिक्षा समितियों ने विद्यालय तथा छात्रों की आवश्यकता के अनुसार सामग्री क्रय कर ली है। किन्तु पूर्व माध्यमिक स्तर अभी भी अवस्थापना सुविधाओं की बेहद कमी है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड, टाट पट्टी, मेज कुर्सी, शिक्षण अधिगम सामग्री आदि क्रय करने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों को धनराशि प्रदान किए जाने का प्राविधान किया जा रहा है।

प्राथमिक स्तर लगभग प्रत्येक विद्यालय में शौचालय तथा पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है। किन्तु पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में इन सुविधाओं की कमी है। जिसके लिए प्रस्तुत योजना में व्यवस्था की गई है इसके अतिरिक्त बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रत्येक विद्यालय

में चार दीवारी का होना नितान्त आवश्यक है। इसके लिए भी सर्व शिक्षा अभियान में व्यवस्था की जा रही है।

समूह चर्चाओं से यह बात भी प्रकाश में आई कि विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त कक्षा-कक्ष नहीं हैं। प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा के लिए कम से कम एक कक्ष अवश्य होना चाहिए किन्तु जनपद शाहजहाँपुर में अधिकांश विद्यालयों में 2-3 कमरे ही हैं। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 रखते हुए आवश्यक मात्रा में शिक्षकों की व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है तथा इस व्यवस्था के अनुरूप प्रत्येक शिक्षक के लिए एक कक्षा कक्ष की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 5 शिक्षक तथा उनके लिए 5 कक्षा-कक्षों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार हम प्रत्येक विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करा देंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि इन सुविधाओं के अभाव के कारण कोई बच्चा नामांकन से वंचित न रह जाय।

4. <u>विद्यालयीय वातावरण का अनाकर्षक होना :-</u>

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का वातावरण अनाकर्षक होना भी बच्चों के नामांकन का अवरोधक तत्व है। विद्यालयों में पर्याप्त अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही साथ विद्यालय की साज सज्जा के लिए भी व्यवस्था की जायेगी तथा विद्यालय को आकर्षक बनाया जायेगा।

परम्परागत शिक्षण विधियों के स्थान पर नवाचार युक्त बाल केन्द्रित शिक्षण पद्धति के द्वारा विद्यालयीय वातावरण को रोचक व मनोरंजक बनाने का प्रयास किया जायेगा ताकि बच्चे इन विद्यालयों के प्रति आकर्षित हो सकें।

<u>बालिकाओं एवं विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के विशेष अवसर न होना :-</u>

प्रायः देखा गया है कि अभिभावक लड़कियों को दूर के विद्यालयों में पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। लिंग भेद सहित अनेक सामाजिक कारण इसके लिए उत्तरदायी हैं। शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है तब तक कि हम ऐसी बालिकाओं तथा विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास नहीं करेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं में भी सामाजिक एवं धार्मिक कारणों से शाला त्याग की दर अधिक रही है। ऐसी समस्त बालिकाओं के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विशेष शिविर तथा ब्रिज कोर्स के द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

शारीरिक रूप से समाज के सम्मुख चुनौती प्रस्तुत करने वाले बच्चों के लिए समेकित

शिक्षा के द्वारा विशेष प्रयास किया जायेगा। इस नई विद्या से शिक्षा देने के लिए अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसके लिए जनपद की वार्षिक कार्य योजना में विशेष प्राविधान किया जा रहा है। ऐसी बालिकाएं जिनकी आयु अधिक हो गई है तथा जिन्होंने कभी विद्यालयी शिक्षा प्राप्त नहीं की है, को महिला शिक्षिकाओं द्वारा संचालित विशेष शिविरों में पढ़ाया जायेगा तथा उन्हें जीवनोपयोगी कौशल विकसित करने की दीक्षा भी दी जायेगी। विकलांग बच्चों के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से समन्वय बनाते हुए विशेषज्ञों की सेवायें भी ली जायेगीं तथा ऐसे बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जायेगा।

ठहराव विषयक समस्या एवं रणनीतियाँ

बच्चों का विद्यालय में नामांकन हो जाने के पश्चात उनका ठहराव न हो पाना शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रमुख अवरोधक तत्व है। विभिन्न समूह चर्चाओं में इस बात पर विचार किया गया कि बच्चों के विद्यालय में ठहराव न होने तथा उनके शाला त्याग करने के पीछे क्या कारण हैं तथा इन कारणों को कैसे दूर किया जा सकता हैं, जो प्रमुख कारण उभरकर सामने आये, वे निम्न है :–

1. शिक्षण पद्धतियों का अप्रासंगित होना :–

वर्तमान परिवेश में शिक्षण पद्धति अप्रासंगिक होने के कारण भी अधिकांश बच्चे विद्यालय छोड़ जाते हैं। अधिकतर विद्यालय में शिक्षक बच्चों को रटाने पर ज्यादा बल देते हैं तथा उन्हें विषय वस्तु के स्रोत के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अध्यापकों को प्राथमिक स्तर पर नवीन शिक्षण विधियों का पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा वे इन विधियों का उपयोग कक्षा शिक्षण में कर भी रहे हैं। इन शिक्षकों को प्रतिवर्ष पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है तथा इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान में व्यवस्था की जा रही है। पूर्व माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। इन अध्यापकों को भी नवीन विधियों से शिक्षण कार्य करने के लिए प्रशिक्षित एंव प्रोत्साहित किया जायेगा।

2. शिक्षकों का व्यक्तिगत व्यवहार :–

कभी--कभी शिक्षकों का छात्र विशेष के प्रति व्यवहार भी बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए प्रेरित कर देता है। अध्यापकों को इस बात का विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा कि वे सभी बच्चों से समान एवं प्रेमपूर्वक व्यवहार करें। बच्चे तभी विद्यालय में रूकेंगें जब उन्हें शिक्षक एक दण्डाधिकारी न प्रतीत होकर एक मार्ग दर्शक एवं शुभचिन्तक लगेगा। अध्यापकों को इस बात का विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा कि वे बच्चों द्वारा गलतियाँ करने पर किसी भी स्थिति में उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक दण्ड न दें तथा उन्हें सुधार करने के लिए धैर्यपूर्वक प्रोत्साहित करें।

शिक्षक का कुशल व्यवहार न केवल बच्चों के विद्यालय में ठहराव को सुनिश्चित करेगा

वरन् उनमें क्षमता विकास का पर्याप्त अवसर उपलब्ध करायेगा। एक व्यवहार कुशल शिक्षक अपने कार्य में समुदाय का भी अपेक्षानुरूप सहयोग प्राप्त करने में सफल होगा।

3. विद्यालयों में अध्यापकों की कमी :-

देखा गया है कि परिषदीय प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की बेहद कमी है। अधिकांश विद्यालय एकल अध्यापकीय हैं जबकि कुछ विद्यालय तो अध्यापकों के अभाव में बन्द चल रहे हैं। एकल अध्यापकीय विद्यालय अक्सर तब बन्द हो जाता है जब अध्यापक को विभागीय बैठकों में प्रतिभाग करना होता है अथवा गैर विभागीय राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान देना होता है। ऐसी स्थिति में विद्यालय बन्द होने के कारण बच्चे घर बैठ जाते हैं तथा नियमित रूप से विद्यालय आने की उनकी आदत छूट जाती है और इस स्थिति की बारम्बारता के कारण यह बच्चें शाला त्याग कर जाते हैं। कई अन्य विद्यालयों में छात्रों की संख्या के सापेक्ष अध्यापक न होने के कारण सभी बच्चों को नियन्त्रित कर पाना शिक्षक की क्षमता में नहीं होता है। ऐसी स्थिति में या तो शिक्षक स्वयं बच्चों को छोड़ देता है अथवा बच्चों को जब लगता है कि उन्हें विद्यालय में कुछ भी सिखाया नहीं जा रहा है तो वे स्वयं विद्यालय से चले जाते हैं तथा विद्यालय जाने को निरर्थक समझकर शाला त्याग देते हैं।

उपर्युक्त तथ्य की गम्भीरता को देखते हुए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक 40 बच्चों पर एक शिक्षक की नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। जनपद की वार्षिक कार्य योजना में जनपद की जनसंख्या वृद्धिदर के अनुरूप आगामी 5 वर्षों में अनुमानित छात्र नामांकन का प्रक्षेपण किया गया है। इस छात्र नामांकन के अनुरूप छात्र-शिक्षक अनुपात 40:1 रखते हुए शिक्षकों की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षकों की यह व्यवस्था शिक्षा मित्र तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशक के रूप में की जायेगी।

पूर्व माध्यमिक स्तर पर भी विद्यालयों में अध्यापकों की कमीं बच्चों के ठहराव में एक प्रमुख अवरोधक कारक है। पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक प्रधान अध्यापक तथा चार सहायक अध्यापकों की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की आवश्यकता के अनुसार अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जायेगा। हमारा यह प्रयास निश्चित रूप से बच्चों को विद्यालय में रोक रखने में सहायक सिद्ध होगा।

4. शिक्षा का जीवनोपयोगी न होना :-

अधिकांश बच्चें केवल इसलिए विद्यालय छोड़ देते हैं कि वे तथा उनके अभिभावक

यह समझते हैं कि इस विद्यालयीय शिक्षा का उनके जीवन में कोई सार्थक महत्व नहीं है। जिस समाज में लोग रोजी–रोटी की समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए शिक्षा द्वितीयक तथा तृतीयक प्राथमिकताओं में ही आती हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर धनार्जन को वरीयता प्रदान की जाती है। शिक्षा से अपवंचित वर्ग के ये लोग अपने बच्चों को विद्यालय न भेजकर उनसे मजदूरी कराना अधिक श्रेयस्कर तथा उचित समझते हैं। समूह चर्चाओं में यह तथ्य उभरकर सामने आया कि जब तक शिक्षा को रोजगार परक तथा व्यवसायोन्मुख नहीं बनाया जायेगा तब तक ऐसे वर्ग के लोगों को समझाना एक दुरूह एवं दुष्कर कार्य होगा। चूंकि इन बच्चों के अधिकांश अभिभावक भी अशिक्षित हैं। अतः शिक्षा के दूरगामी परिणाम से यह अवगत नहीं है।

अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत यह व्यवस्था की जा रही है कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाये बच्चों को व्यवसाय परक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विशेष केन्द्र खोले जायेगें। योजना के प्रारम्भिक चरण में प्रत्येक विकास खण्ड के केन्द्रीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्र संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ बालिकाओं के शाला त्याग की दर अधिक है अथवा जहाँ अधिक उम्र की बालिकाएं किसी आर्थिक, समाजिक कारण से विद्यालय नहीं जा सकी हैं, उन क्षेत्रों में किशोरियों के लिए विशेष ग्रीष्म कालीन शिविर आयोजित किये जायेगें तथा ब्रिज कोर्स के माध्यम से उनमें क्षमता विकास के प्रयास किये जायेगें। इन बालिकाओं को उनकी दक्षता के अनुरूप कभी भी, किसी भी कक्षा में प्रवेश दिलाकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।

सम्प्राप्ति विषयक समस्यायें एवं रणनीतियाँ

1. शिक्षण अधिगम सामग्री की कमी :–

अधिकांश विद्यालयों में शिक्षण अधिगम सामग्री का अभाव बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने में अवरोध करता है। जनपद शाहजहाँपुर में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को शिक्षक अनुदान निधि के रूप में रू0 500/– प्रतिवर्ष प्रदान किये जाते रहे हैं। अध्यापकों ने इस धनराशि का उपयोग यथा आवश्यकता शिक्षण अधिगम सामग्री क्रय करने अथवा बनाने में किया है। जिसके फलस्वरूप प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, किन्तु पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अभी भी शिक्षण अधिगम सामग्री का अभाव है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के समस्त शिक्षकों को शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए रू0 500/– प्रतिवर्ष शिक्षक अनुदान निधि के रूप में उपलब्ध कराने की योजना है। इस व्यवस्था से विद्यालयों में सहायक सामग्री की व्यवस्था की जा सकेगी तथा बच्चों की सम्प्राप्ति में सुधार किया जा सकेगा।

2. शिक्षकों को विषय की पर्याप्त जानकारी न होना :--

प्रायः देखा गया है कि अध्यापक प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक स्तर पर अध्यापन से पूर्व तैयारी नहीं करते हैं तथा विषय को बहुत ही हल्के ढंग से लेते हैं। अक्सर अध्यापक कहते हैं कि प्राइमरी स्तर के लिए कौन से अधिक ज्ञान की आवश्यकता है और वे कक्षा में जाने से पहले स्वयं अध्ययन नहीं करते हैं। जिसका परिणाम बच्चों की सम्प्राप्ति में कमी के रूप में सामने आता है। किसी भी विषय को बच्चों को सिखाने से पहले उसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी होना अत्यन्त आवश्यक है। अतः इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए समस्त शिक्षकों को उनके विषय की पुस्तकों का एक सेट देना आवश्यक है। जिससे कि वे स्वयं अध्ययन करके बच्चों को पढ़ा सकें। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षकों को प्रतिवर्ष पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण दिये जाने की योजना बनाई गई है। इस प्रशिक्षण में अध्यापकों को शिक्षण विधियों के साथ-साथ भाषा तथा गणित शिक्षण के बारे में विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को एकेडमिक सपोर्ट देने हेतु ब्लाक समन्वयक, सह समन्वयक, न्याय पंचायत समन्वयक तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के रूप में एक संगठित् तंत्र पहले से ही स्थापित है। इसी तंत्र के द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों को भी शैक्षिक समर्थन दिये जाने की योजना की जा रही है।

3. अध्यापक-अभिभावक समन्वय में कमी :-

बच्चों की शिक्षा में गुणवत्ता न होने का एक प्रमुख कारण है -- अध्यापक अभिभावक समन्वय में कमी। प्रायः देखा जाता है कि अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजकर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। अधिकांश अभिभावक इस बात के लिए जिज्ञासु नहीं होते हैं कि उनका बच्चा विद्यालय में जाकर क्या करता है। वह शिक्षण में रूचि लेता है अथवा नहीं उसका व्यवहार सहपाठियों तथा शिक्षकों के प्रति कैसा है यदि कभी कोई छात्र अथवा अध्यापक उनको बच्चे के बारे में जानकारी देता है तभी वे उसके आचरण के बारे में जान पाते हैं। अधिकतर अभिभावक बच्चों के सम्प्राप्ति स्तर पर ध्यान नहीं देते हैं। जिसके कारण अध्यापक भी उत्तरदायित्व नहीं समझते हैं तथा विद्यालय का शैक्षणिक स्तर अधोमानक होता जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस तथ्य पर विशेष बल दिया जायेगा कि छात्रों तथा शिक्षकों के मध्य एवं शिक्षकों तथा अभिभावकों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। जनपद में ग्राम स्तर पर पहले से ही ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया जा चुका है तथा यह समितियाँ शिक्षा सुधार के लिए प्रयासरत् है। जनपद की इस नवीन कार्य योजना में शिक्षक अभिभावक संघ तथा माता शिक्षक संघ की स्थापना की जायेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक माह ग्राम शिक्षा समितियों की बैठक के साथ-साथ शिक्षक अभिभावक संघ तथा माता अभिभावक संघ की भी नियमित बैठकें आयोजित की जाये। इन बैठकों में बच्चों के

सम्प्राप्ति स्तर के बारे में चर्चा की जायेगी तथा समुदाय के सुझाव एवं सहयोग के द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा। इन बैठकों की कार्यवाही विद्यालय स्तर पर सुरक्षित अभिलेख के रूप में संरक्षित की जायेगी तथा विभागीय अधिकारियों के द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण व अनुश्रवण किया जायेगा। इन बैठकों में प्राप्त सुझावों को यथा सम्भव विद्यालयों में क्रियान्वित करने के लिए अध्यापकों को निर्देशित किया जायेगा। इन सब गतिविधियों के द्वारा विद्यालय में गुणवत्ता पूर्ण शैक्षिक वातावरण सृजित किया जा सकेगा तथा कोई कारण नहीं होगा कि हम बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त न कर सके।

4. सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की कमी :–

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था वर्ष 2001 से लागू की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत बच्चों के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को 6 भागों में विभाजित कर, प्रत्येक माह पृथक–पृथक तथा समेकित रूप से भी मूल्यांकन कराने की योजना बनायी गई है। इस योजना में बच्चों से लघु उत्तरीय, अतिलघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जायेगें। बच्चों से पूछे जाने वाले यह प्रश्न ज्ञानात्मक, बोधात्मक तथा अनुप्रयोगात्मक तथा वार्षिक परीक्षा का भी प्राविधान किया गया है। इन सभी परीक्षाओं के अंकों का योग करते हुए बच्चे का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की यह विद्या पूर्व माध्यमिक स्तर पर भी प्रयोग में लायी जायेगी जिससे कि बच्चों को सिखायें जा रहे विषयों की सम्प्राप्ति के बारे में शिक्षकों तथा अभिभावकों को नियमित जानकारी होती रहे और यथा आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधियों में परिवर्तन कर बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध करायी जा सके।

जनपद शाहजहाँपुर में बच्चों के नामांकन, ठहराव तथा सम्प्राप्ति सम्बन्धी उपर्युक्त समस्यायें समूह चर्चाओं के माध्यम से निकलकर सामने आई। समुदाय से प्राप्त सुझावों का स्वागत करते हुए निदान के रूप में उनका प्रयोग किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन उपायों को लागू करते हुए हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगें तथा शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को वर्ष 20   तक निश्चित रूप से प्राप्त कर सकेगें।

अध्याय — 6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार–1

प्राथमिक स्तर पर नवीन प्राइमरी स्कूलों की आवश्यकता

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 1997 से चलाया जा रहा है तथा इसके अन्तर्गत अभी तक 437 नवीन विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है,

1 कि.मी. की दूरी पर शिक्षा केन्द्र खोलने की आवश्यकता है जिनमें कक्षा 1 व 2 की शिक्षा देकर बालकों को मुख्य धारा के विद्यालयों में प्रवेश दिला दिया जायेगा ऐसे क्षेत्रों का चयन कर लिया गया है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगति

संस्था	1997	2001	2002	2002
प्रा. वि. (स्थापित)	1539	1941	[illegible]	[illegible]
अनौ. शिक्षा / वैकल्पिक शिक्षा / ई. जी. एस. केन्द्र	800	339	[illegible]	[illegible]

उच्च प्राथमिक स्तर पर नवीन विद्यालय

यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति 2 प्राथमिक विद्यालयों पर 1 [illegible] की स्थापना की महत्तम सीमा है। इस मानक को प्राप्त करने के लिए जनपद में [illegible] माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करनी होगी। किन्तु जनपद शाहजहाँपुर में [illegible] करने का प्रस्ताव नहीं किया जा रहा है। योजना के प्रथम चरण में प्रत्येक 800 की आबादी [illegible] 3 कि.मी. की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य रखा [illegible] अनुसार जनपद में 95 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना होगी।

जनपद में विकास खण्डवार उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता निम्न प्रकार होगी।

	ब्लाक का नाम	उच्च प्राथमिक विद्यालय की सं0
1.	भावलखेड़ा	05
2.	ददरौल	04
3.	काँट	05
4.	सिंधौली	03
5	पुवायाँ	03
6.	बण्डा	05
7.	खुटार	05
8.	निगोही	10
9.	तिलहर	10
10.	जैतीपुर	12
11.	कटरा–खुदागंज	08
12.	जलालाबाद	10
13.	मिर्जापुर	08
14.	कलान	07
	योग	95

उच्च प्राथमिक स्तर प्रत्येक विद्यालय के लिए एक प्रधानाध्यापक तथा चार सहायक अध्यापकों सहित कुल पाँच अध्यापकों की व्यवस्था की जानी है। इन चार अध्यपकों में से एक विज्ञान/गणित अध्यापक तथा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु 50 प्रतिशत महिला शिक्षिका की अनिवार्य व्यवस्था की जायेगी।

विद्यालय की साज सज्जा

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने के उद्देश्य से मानक के अनुरूप साज–सज्जा सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी। विद्यालयों की साज--सज्जा का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति को प्रदान करने का प्रस्ताव है। ग्राम शिक्षा समिति को इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे उसके सदस्य विद्यालय तथा बच्चों की आवश्यकता के अनुसार टाट पट्टी, श्यामपट, मेज, कुर्सी, अध्यापकों के लिए अलमारी, बाक्स, पंजिकायें, खेल सामग्री, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें एवं अन्य सामग्री क्रय कर सकेंगे।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लकड़ी का सामान, मेज, कुर्सी, विज्ञान किट, गणित किट, शिक्षण अधिगम सामग्री, खेल सामग्री, पुस्तकालयों हेतु पुस्तकें आदि क्रय की जायेगी। इन सब की व्यवस्था भी ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी तथा आवश्यकता अनुरूप समुदाय का भी सहयोग लिया जाएगा।

नवीन विद्यालयों में पेयजल, शौचालय एवं चारदीवारी की व्यवस्था :

जनपद में स्थापित किए जाने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय में पीने के स्वच्छ पानी की

व्यवस्था तथा शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। पेयजल हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम तथा यू.पी. एग्रो. के माध्यम से इण्डिया मार्का 2 हैण्डपम्प स्थापित कराये जायेगें तथा शौचालयों की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति को धन उपलब्ध कराकर उसके माध्यम से करायी जायेगी। छोटे बच्चों तथा बालिकाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय प्रांगण को सुरक्षित एवं सुसज्जित करने के उद्देश्य से चारदीवारी का निर्माण कराया जायेगा। इसके लिए भी ग्राम शिक्षा समिति को कार्यदायी संस्था बनाया जाएगा।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में जिन नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना प्रस्तावित है, उनकी लागत में कमी लाने के उद्देश्य से यदि इन नवीन विद्यालयों को पूर्व से ही संचालित प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में स्थापित किया जाए अथवा उनमें एकीकृत कर दिया जाए तो इन विद्यालयों में पूर्व से ही उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है। इस व्यवस्था से नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी की जा सकती है हैण्डपम्प, शौचालय तथा चारदीवारी आदि के मद में व्यय की जाने वाली बड़ी धनराशि की बचत की जा सकती है।

नवीन प्राथमिक विद्यालय साज–सज्जा :–

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने तथा विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस उपलब्ध धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा। इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को क्रय किया जायेगा। मेज, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, टाटपट्टी, अलमारी, सन्दूक, श्यामपट्ट, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्वेप्मेन्ट (ढोलक,मजीरा,हारमोनियम,रिंग,गेंद,कूदने की रस्सी, हत्था युक्त कूदने की रस्सी) कक्षा शिक्षण सामग्री (गणित किट,विज्ञान किट,मानचित्र,शैक्षिक चार्ट, ग्लोब,शब्दकोष,ज्ञान कोष,खिलौने,बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि) उक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी, किन्तु ग्रामीण अंचलों में विज्ञान किट, गणित किट, सुलभता से उपलब्ध नहीं हो पाते है, इसलिए इनकी व्यवस्था जनपदीय क्रय समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय साज–सज्जा :–

ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी। इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को क्रय किया जायेगा। मेज, कुर्सी, बाल्टी, लोटा, गिलास, घण्टा, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्यूप्मेन्ट (ढोलक,मजीरा,हारमोनियम,बांसुरी आदि) क्रीड़ा सामग्री (फुटबाल, वालीबाल, स्कीपिंग से हवा भरने का पम्प,क्लास रूम में टीचिंग मैटीरियल,गणित किट विज्ञान किट,मानचित्र,शैक्षिक चार्ट,ग्लोब,ज्ञान कोष,टू इन वन, आदि तथा शिक्षक सहायक सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।)

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अभी तो राजकीय मानक के अनुसार 300 की आबादी तथा 1.5 कि.मी. की दूरी को आधार मानते हुए प्राथमिक विद्यालय तथा 800 की आबादी व 3 कि.मी. की दूरी को आधार मानते हुए उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। आवश्यकतानुसार प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के अनुपात को 2:1 के अनुसार करने का प्रयास किया जाएगा। बच्चों की आवश्यकताओं का आंकलन सर्वेक्षण के आधार पर ही हो सकता है। अतः प्रति वर्ष एक व्यापक सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता होगी। इस सर्वेक्षण के द्वारा विद्यालय की भौतिक सुविधाओं का आंकलन एवं शैक्षिक सुधार की प्रगति जानने का प्रयास किया जाएगा। इस सर्वेक्षण के आधार पर आगामी वर्ष की कार्य योजना में आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जाएगी। सर्वेक्षण कार्य के लिए रू0 2,00,000 प्रति वर्ष का वित्तीय प्रावधान रखा गया है।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकि पर्यवेक्षण :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय भवन, शौचालय, चारदीवारी, हैण्ड पम्प आदि आधारभूत संसाधनों का तकनीकी पर्यवेक्षण विकास खण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जाएगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था का विवरण अध्याय–10 परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है।

विकास खण्डवार प्रस्तावित बस्तियों की सूची

(पूर्व माध्यमिक विद्यालय)

1. विकास खण्ड भावलखेड़ा

1.	दिलावरपुर ता0 शाहगंज	7.	आटा बुजुर्ग
2.	जलालपुर ता0 गुर्री	8.	हथौड़ा बुजुर्ग
3.	मुकरमपुर	9.	कटियाकम्पू
4.	दिउरिया	10.	बरनई
5.	बरमौला अर्जुनपुर	11.	बरतारा
6.	चौढ़ेरा		

2. विकास खण्ड ददरौल

1. पिपरौला
2. कपेड़ कटका
3. लक्ष्मीपुर
4. इकन्नौरा
5. काशीनगर
6. सपत्यारा
7. अकर्रा रसूलपुर
8. पर्वतपुर
9. बरेंग
10. जागीर
11. पसगवाँ
12. गुलामखेड़ा
13. कपसेड़ा
14. घुसुवारी
15. गोवरसण्डा
16. पंथी
17. नंदगोई
18. कुरसेली
19. अमोरा
20. गंधार
21. फत्तेपुर
22. देवकली
23. गभौली
24. कपूरपुर
25. रसूलपुर चढ़िया

3. विकास खण्ड काँट

1. त्रिलोकपुर
2. कुनिया जमालपुर
3. इन्देपुर
4. नवादा रूद्रपुर
5. उदैया
6. ढकरी खुर्द
7. लश्करपुर
8. फाजिलपुर
9. झपका दिलावरपुर
10. जरावन
11. सैजनार आमखेड़ा
12. बमरौली
13. नगला दमन
14. पथरा खास
15. भैंसरा कलाँ
16. भण्डेरी
17. नगला बनवारी
18. पुरेना
19. दिलावरपुर
20. बवकरपुर
21. डूँगरपुर
22. गुरथना
23. उमरहा
24. इमलिया
25. भिटौली
26. भानपुर
27. भुड़िया
28. निकरा
29. पल्हौरा
30. मरेना
31. रिकरखेन
32. बारारवेड़ा

4. विकारा खण्ड सिंघौली

1. पनवाड़ी
2. अख्तयारपुर
3. रखिपुर बुजुर्ग
4. भुर खेड़ा
5. नगरिया प्रयागपुर
6. दीवाली
7. कलन्दरगंज
8. लघौला
9. घाटबोझ
10. महुराइन
11. सहेली
12. महासिर
13. बढ़ेला
14. बबरा
15. रक्शा
16. चाँदा
17. उमरिया
18. खेरिया पाठक
19. चक कन्हऊ
20. कटौल
21. कमलापुर
22. चेना रूरिया
23. सहौरा
24. कलुआपुर
25. मियांपुर
26. सेखूपुर
27. गरगइया त्रिलोकपुर
28. गोरारायपुर
29. रामपुर ताहरपुर
30. रेहरिया
31. उल्लिया
32. कोरों कुइआं
33. महमूदपुर
34. जमुनिया
35. शहजादपुर
36. महाऊ महेश

5. विकारा खण्ड पुवायाँ

1. फूटाफुंआ
2. भटियापुरिया बुजुर्ग
3. घनश्यामपुर खुर्द
4. महुआ पाठक
5. बड़ा गाँव
6. मुड़िया वैश्य
7. इटौली
8. पुरेना
11. मल्लेवपुर बुजुर्ग
12. रसूलपुर बुजुर्ग
13. गुलौली
14. चठिया भर्सण्डा
15. सिंघापुर
16. रजनाथपुर
17. वितौनी
18. बसखेड़ा बुजुर्ग

6. विकास खण्ड बण्डा

1. लुकमानपुर बहेड़ा
2. गुड़िया छावन
3. रनभरतपुर
4. कन्धरपुर
5. [illegible]
6. गुलड़िया भूपसिंह
7. भंवर खेड़ा
8. मकसूदपुर
9. डुंडला पिपरिया

7. विकास खण्ड खुटार

1. कजरी निरन्जनपुर
2. कुइयां
3. जोगराजपुर
4. हमीरपुर
5. मोहनपुर
6. खमरिया गदियाना
7. गढ़िया सरेली
8. गोरा
9. रामपुर बिचपुरी
10. रामपुर कलां
11. हरिनहाई
12. जादौपुर कलां
13. पटिहन
14. पिपरा मुजफ्ता
15. महुआ गुन्दें
16. चत्तीपुर
17. रजागना

8. विकास खण्ड निगोही

1. भरतापुर
2. जेवा मुकुन्दपुर
3. विक्रमपुर
4. अजीजपुर
5. अर्जुनपुर
6. खरिया पश्चिम
7. बनाश देवी
8. वजीरपुर
9. डण्डिया
10. रटी
11. खरगापुर
12. चक बर्कोनिया
13. बालगाँव
14. गिरगिचा
15. पनतेखरा
16. राहतेपुर
17. ऐंठापुर
18. गांगेपरा
19. पिपरिया उदयभानपुर
20. ऊनकलां

9. विकास खण्ड तिलहर

1. जोधपुर नवदिया
2. बाबूपुर नगरिया
3. बन्धा
4. रूजिवारी –
5. आजमाबाद
6. हरिहरपुर
7. सरेली
8. गुड़ेली
9. खण्डसार
10. सलेमपुर
11. चावर खास
12. दोषपुर
13. अहियापुर
14. सिरसिंगपुर
15. अमनपुर
16. उभौरा
17. आलमपुर

10. विकास खण्ड जैतीपुर

1. भनपुरा
2. बंडिया कलां
3. नगाना
4. छेदा पट्टी
5. कुंआ डांडा
6. मिटारा
7. मलरिया मिर्जापुर
8. अमरेडी
9. कन्नानी
10. गोविन्दपुर
11. मथाना
12. रसेलन

11. विकास खण्ड कटरा–खुदागंज

1. ईश्वरा
2. हटौउआ
3. मकरन्दपुर
4. सीदापुर
5. हसनापुर
6. कोठाखेतल
7. पुरांव
8. जिगनियाँ
9. हरिहरपुर
10. मधुपुरी
11. कमलापुर
12. खिरिया
13. गैली
14. बमिहाना
15. भुण्डी

12. विकास खण्ड जलालाबाद

1. उमरसड़
2. मगटोरा
3. शाहपुर
4. हरेवा
5. जिगनेरा
6. तिकोला
7. मनोरतपुर चौक
8. याकूबपुर
9. सिकन्दरपुर अफगानान
10. बझेड़ा
11. कनवारी चौंक
12. दहेना
13. भरथौली
14. इमलिया
15. रावतपुर
16. जेरा रहीमपुर
17. नगला हलू
18. रमापुर बझेड़ा
19. निंधौल

13. विकास खण्ड मिर्जापुर

1. फगौही
2. पहरूआ कला
3. मैकूर्द कला
4. वज़ीर गंज
5. सराय बानगाँव
6. सुनहरा
7. अस्तौली
8. गढ़िया
9. हैदलपुर
10. चिकटिया
11. बख्तयार गंज
12. माकूतपुर
13. पृथ्वीपुर ढ़ाई
14. नगला पिपारिया
15. सादिकपुर
16. पिहुआ

14. विकास खण्ड कलान

1. भुन्नी खेड़ा
2. कुठिला
3. इकौना शिवपुरी
4. गंजन भगवा
5. जुही
6. गुल्लहा
7. सथरा
8. हेतमपुर
9. लखनपुर
10. कुदरासी
11. गंगोरा
12. पटना देवकली
13. लक्ष्मनपुर
14. नया गाँव
15. धर्मपुर

नोट :- उपर्युक्त असेवित बस्तियों की सूची में से ही 95 असेवित बस्तियों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जायेगी।

वर्ष वार प्रस्तावित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय

वर्षवार	2001–02	02–03	03–04	04–05
नवीन उ0प्रा0 वि0	–	33	95	NIL

[illegible]खण्ड	क्र0सं0	विद्यालय का नाम	निर्माण वर्ष	[illegible]	क्रमांक	विद्यालय का नाम	[illegible]
[illegible]	1	प्रा0वि0 सण्डाखास	1948				
	2	" " भरी बसन्तपुर	1947				
	3	" " निगोही प्रथम	1916				
	4	" " निगोही द्वितीय	1962				
	5	" " हथगाँव	1962				
	6	" " गुरगावाँ	1962				
	7	" " [illegible]	1972				
	8	" " गटिउरा प्रथ्वीपुर	1972				
	9	" " परसौना सलीलपुर	1972				
[illegible]	10	" " बण्डा द्वितीय	1926				
"	11	" " गुरसण्डा रायपुर	1940				
"	12	" " चरखी देवरी	1936				
"	13	" " रायटाडा	1956				
"	14	" " उदरा-टिकरी	1926				
"	15	" " बनगवाँ	1961				
"	16	" " बण्डा प्रथम	1926				
"	17	" " जमुनिया नवदिया	1965				
"	18	" " देवकली द्वितीय	1950				
[illegible]	19	" " तिहार खेड़ा	1975				
"	20	" " आराकला	1902				
"	21	" " पटना देवकली	1910				
"	22	" " विक्रमपुर	1950				
रसूलगंज	23	" " कमलापुर	1968				
"	24	" " औलियापुर	1972				
"	25	" " [illegible]	1972				
"	26	" " हरदनी	1972				
"	27	" " सुराही	1972				
[illegible]	28	" " फतेपुर बुजुर्ग	1960				
"	29	" " बिलसण्डी बुजुर्ग	1955				
"	30	" " कोप	1965				
"	31	" " हरना नगला	1960				
"	32	" " महुआ पाठक	1960				
"	33	" " सुजानपुर	1955				
"	34	" " [illegible]	1952				
"	35	" " टहरी बुजुर्ग	1952				

अध्याय – 7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार–2

पृष्ठ भूमि :

जनपद शाहजहाँपुर में विगत 5 वर्षों से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के साथ–साथ जनपद के कुल 14 विकास खण्डों में से 8 विकास खण्डों में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम भी चलाया जा रहा था। यह कार्यक्रम अब समाप्त कर दिया गया है पढ़ने की आयु वाले हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि विद्यालय अथवा शिक्षा केन्द्र उसकी पहुँच के अन्दर हो, ये विद्यालय औपचारिक अथवा अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत 6–11 वय वर्ग के ऐसे बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है जहाँ विद्यालय नहीं थे अथवा बच्चों को विभिन्न सामाजिक, आर्थिक कारणों से शाला त्याग करना पड़ रहा था जनपद शाहजहाँपुर के 8 विकास खण्डों में 100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र प्रतिवर्ष संचालित किये जा रहे थे। इन केन्द्रों में दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् बच्चे में कक्षा 5 की योग्यता अर्जित करा दी जाती थी। दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् इन बच्चों को कक्षा 6 में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाता था।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दृष्टि से इस कार्यक्रम से महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ अर्जित की गई किन्तु जिस आशा और आकांक्षा के साथ इस योजना का क्रियान्वयन किया गया उसे प्राप्त करने में यह कार्यक्रम पूरी तरह से सफल नहीं रहा। यह कार्यक्रम पूरी तरह से स्वयं सेवकों के ऊपर निर्भर था और इन स्वयं सेवकों को अत्यल्प मानदेय प्रदान किया जाता था। किन्तु फिर भी इन स्वयं सेवकों ने इस योजना के अन्तर्गत सराहनीय प्रयास किया और ऐसे असंख्य बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जो कि औपचारिक विद्यालयों के न होने के कारण अशिक्षित तथा निरक्षर रह जाते।

यद्यपि जनपद शाहजहाँपुर में विगत 5 वर्षों से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है तथा 437 नवीन विद्यालयों की नितान्त आवश्यकता है। किन्तु इन बस्तियों की दूरी 1.5 किसी से कम होने के कारण इन बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। शिक्षा की यह वैकल्पिक व्यवस्था उन बच्चों के लिए भी करनी होगी जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं जो चलकर विद्यालय तक नहीं जा सकते अथवा जो बच्चे मन्द बुद्धि अथवा कम

श्रवण शक्ति वाले हैं। हमें उन बालिकाओं के लिए भी वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी जो विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारणों से विद्यालय नहीं जा पाती अथवा शाला त्याग देती है। अल्पसंख्यक वर्ग की कुछ बालिकायें सामाजिक धार्मिक कारणों से औपचारिक विद्यालय नहीं जा पाती हैं। उनके लिए भी वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था करनी होगी। जनपद शाहजहाँपुर में अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात् इसके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक हो गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपर्युक्त वर्णित श्रेणी के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने तथा उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा गारन्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने का प्रस्ताव किया जाता है।

विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या

शाहजहाँपुर

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	6–11 आयु वर्ग			11–14 आयु वर्ग			कुल योग
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1.	भावलखेड़ा	2287	2757	5044	1054	1323	[illegible]	7421
2.	ददरौल	2074	2521	4595	954	1118	2072	6667
3.	काँट	1088	1275	2363	626	716	1342	3705
4.	कलान	4421	3692	8113	1390	1261	2651	10764
5	मिर्जापुर	1725	1663	3388	871	819	1690	5078
6.	जलालाबाद	4931	4127	9058	1800	1818	3618	12676
7.	तिलहर	1817	1834	3651	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.	निगोही	1696	2046	3742	639	600	1239	4981
9.	जैतीपुर	1500	1755	3255	834	738	1572	4827
10.	कटरा–खुदागंज	2400	1916	4316	391	[illegible]	[illegible]	5008
11.	पुवायाँ	1260	1129	2397	178	383	561	2958
12.	सिंधौली	1799	2329	4128	730	851	1581	5709
13.	खुटार	2495	2406	4901	681	972	1653	6554
14.	बण्डा	1800	1788	3588	264	395	659	4247
15.	नगर क्षेत्र शाहजहाँपुर	272	272	549	205	179	384	933
16	नगर क्षेत्र तिलहर	969	823	1792	480	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	योग	32547	32333	64880	11564	12258	24722	89602

स्रोत : [illegible]

वैकल्पिक एंव नवाचार केन्द्रों का स्वरूप :–

जनपद शाहजहाँपुर में जिन स्थानों में शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। वहाँ इन केन्द्रों का समय प्रातः 9 बजे से 4 बजे तक स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किसी भी समय लगातार 4 घण्टे तक रखा जाएगा।

अनुदेशक का चयन :–

इन केन्द्रों में कार्य करने वाला अनुदेशक यथा सम्भव उसी स्थान एवं समुदाय का होगा जहाँ पर शिक्षा गारण्टी/केन्द्र/वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना है। उसी ग्राम का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर बिल्कुल निकट के गाँव का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल होगी। इस हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वयंसेवक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। इसका चयन ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा किया जाएगा। प्राथमिक स्तर पर चयनित स्वयंसेवक को आचार्य जी कहा जाएगा। आचार्य जी को आमन्त्रण पत्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जाएगा। इनका कार्य सन्तोषजनक न हों की स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में 2/3 के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर इन्हें हटाया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

नगर क्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र में अनुदेशक का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित वार्ड का सभासद तथा नगर क्षेत्र के वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक की संयुक्त समिति द्वारा किया जाएगा।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रचारित एवं सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय जन समुदाय को शिक्षा स्वयं सेवकों के चयन के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी हो गयी है। ग्राम शिक्षा

समिति प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण कर उपर्युक्त व्यक्तियों की सूची बनायी गयी तथा चयन कर उसे आमन्त्रण पत्र निर्गत करेगें। उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिए आवेदक की न्यूनतम योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। जहाँ पर स्नातक अभ्यार्थी उपलब्ध न हों वहाँ पर इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण महिला का चयन किया जा सकता है।

अनुदेशक का प्रशिक्षण :–

शिक्षा स्वयं सेवक का 30 दिन का प्रशिक्षण डायट अथवा बी0आर0सी0 पर आयोजित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण डायट के वरिष्ठ प्रवक्ताओं, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक रिसोर्स पर्सन तथा सन्दर्भ व्यक्तियों के माध्यम से दिया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु रू0 1500/– की दर से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लाक संसाधन केन्द्र को भुगतान किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि में स्वयं सेवक को मानदेय के रूप में कोई धनराशि अथवा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

मानदेय वितरण :–

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र/नवाचार शिक्षा केन्द्र में चयनित प्रत्येक स्वयं सेवक को प्राथमिक स्तर पर रू0 1000/– मासिक देय होगा। यह धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति के खाते में अन्तरित कर दी जाएगी, जिसे अध्यक्ष एवं सचिव ग्राम शिक्षा समिति द्वारा स्वयं सेवक को भुगतान कर दिया जाएगा। नगर क्षेत्र में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के स्वयं सेवकों के मानदेय का भुगतान नगर शिक्षा अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से उसको सभासद/प्रधानाध्यापक के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित की जाएगा। तत्पश्चात् [illegible] सम्बन्धित स्वयं सेवक को भुगतान किया जाएगा।

पर्यवेक्षण :–

शिक्षा गारण्टी एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के सफल संचालन [illegible]
[illegible]

ब्लाक रिसोर्स सेक्टर/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के प्रभारियों द्वारा किया जायेगा। नगर क्षेत्र में यह कार्य शिक्षा अधीक्षक/नगर प्रोग्राम आफिस/नगर रिसोर्स पर्सन/सहायक शिक्षा अधीक्षक/जनपद नगरीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र प्रभारी/बी0आर0सी0 प्रभारी द्वारा अनुदेशकों की मासिक बैठकें भी ली जायेगी। जिसमें ब्लाक आफिसर/रिसोर्स पर्सन/सा0 बेशि0 अधिकारी/जिला बेसिक अधिकारी/उप बेसिक शिक्षा अधिकारी भी समय-समय पर इन बैठकों में अनुश्रवण करते रहेगे। निकटस्थ प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों का भी यह कर्तव्य होगा कि वे लगातार इन केन्द्रों का पर्यवेक्षण करते रहेगें, ग्राम शिक्षा समिति अपितु विकास खण्ड केन्द्रों का पर्यवेक्षण करते रहेगें न केवल ग्राम शिक्षा समिति अपितु विकास खण्ड स्तरीय समिति के पदाधिकारियों को अपनी आख्याओं से अवगत कराते रहेगें।

ग्राम शिक्षा समिति भी नियमित रूप से इन केन्द्रों के संचालन पर नजर रखेगी और समय-समय पर अपने सुझाव अनुदेशक/अनुदेशिका को देगी। डायट में डी0आर0यू0, प्रभारी एवं अधीनस्थ सभी अभिकर्मी भी इन केन्द्रों का नियमित पर्यवेक्षण करेगे। पर्यवेक्षण का कार्य उपरोक्त सभी अधिकारियों द्वारा रोस्टर प्रणाली के द्वारा किया जायेगा ताकि सार्वभौमीक पर्यवेक्षण सुनिश्चित हो सके।

निःशुल्क शिक्षण सामग्री :-

प्रत्येक शिक्षा केन्द्रों को साज--सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते में सीधे स्थानान्तरित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति निर्धारित सामग्री बाजार मूल्य पर आवश्यकतानुसार क्रय करके केन्द्र अनुदेशकों को उपलब्ध करायेगी। शिक्षा केन्द्रों पर नामांकित सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी तथा इस धनराशि का समायोजन शिक्षण सामग्री मद (रू0 845/- प्राथमिक तथा 1200/- उच्च प्रा0) शिक्षण सामग्री मद का 6 प्रतिशत राज्य/जनपदीय प्रबन्धन हेतु क्रय किया जायेगा।

शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित औपचारिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें ही सम्प्राप्ति उपयोग में लाई जायेगी।

छात्र/छात्राओं का मूल्यांकन :–

अनुदेशक द्वारा वैकल्पिक एंव शिक्षा गारण्टी केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों का सतत् एवं नियमित मूल्यांकन किया जायेगा। इसके लिए अनुदेशक द्वारा दैनिक सामग्री तैयार की जायेगी। बच्चों का तिमाही, छमाही तथा वार्षिक मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा तथा यह प्रयास किया जायेगा कि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चा शीघ्र औपचारिक विद्यालय की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में जिसके लिए वह योग्य हो, किसी भी समय प्रवेश पा जाये। अनुदेशक का यह दायित्व होगा कि उनके केन्द्र पर पढ़ने वाले बच्चे शीघ्र अति शीघ्र एवं अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में प्रवेश पाते रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में अनुदेशक का मूल्यांकन भी ग्राम शिक्षा समिति/विकास खण्ड स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। अनुदेशकों द्वारा बच्चों के अध्ययनरत अवधि में उनके व्यवहारिक स्तर में आये सुधार से अभिभावकों एंव ग्राम शिक्षा समिति को लगातार अवगत कराया जायेगा।

केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चे निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेंगे, उनकी परीक्षा बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रणाली के आधार पर निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा करायी जायेगी।

वर्षवार प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र

सारिणी – 7.3

वर्षवार	01–02	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07			
विद्या केन्द्र	–	71	179	350	350	250			
ज्ञान केन्द्र	–	64	–	–	–	–			
ज्ञानशाला	–	140	–	–	–	–			
ब्रिज कोर्स	–	1	126	126	126	126			
समर कैम्प	–	30	30	30	30	30			

परिवार सर्वे के अनुसार 89002 बच्चें विभिन्न कारणों से विद्यालय नही जा रहे है। सर्वे के अनुसार मुख्य रूप से घरेलू कार्य में लगा रहता भाई बहनों की देखभाल में लगे रहने के कारण विद्यालय नही आ रहे है। यह निम्न सारणी से स्पष्ट है।

विद्यालय न आने वाले बच्चों का विवरण

क्रमांक	कारण	बालक	बालिका	योग
1.	घरेलू कार्य	20167	23985	44152
2.	मजदूरी	3669	2172	6141
3.	भाई बहनों की देखभाल	8301	9055	17356
4.	विद्यालय दूर होना	2053	2125	4178
5.	अन्य	9621	7554	17175
	योग	44111	44891	89002

[illegible] रणनितियां जिला परियोजना समिति द्वारा प्रस्तावित की गयी है।

घरेलू कार्य में लगे बच्चों ऐसे बच्चे जो अपने घर के कार्य में लगे रहते है को विद्यालय में लाने हेतु ब्रिज कोर्स तथा समर कैम्प चलाने जैसी व्यवस्था की गयी है।

क्रम	ब्रिज कोर्स	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें
1.	एनसीआरसी स्तरीय	126	6300	126	6300	126	6300	126	6300
2.	ईजीएस केन्द्र	179	7160	350	14000	350	14000	250	10000
3.	एआईई प्रा0	--	--	100	4000	100	4000	100	4000
	योग	305	13460	576	24300	576	24300	476	20300

यह कोर्स इन बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हुए इनके घरों के पास तथा इनकी सुविधा के अनुसार समय निर्धारित करके इन्हीं के गांव निवासी अनुदेशक/आचार्य द्वारा संचालित किया जायेगा।

मजदूरी कुछ बच्चे मजदूरी कार्य में लगे होने के कारण विद्यालय नहीं आ पाते। ऐसी समस्या 11 से 14 आयु वर्ग के बीच [illegible] है। इन बच्चों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर [illegible] जिनका समय इनके "कार्य समय" के "बाद" [illegible] जिससे ये बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल [illegible]

क्रम	कोर्स	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
1.	एआईई	2	100	150	6000	150	6000	100	4000
2.	आवासीय ब्रिजकोर्स	3	180	--	--	--	--	--	--
3.	विद्या केन्द्र	--	--	--	--	--	--	--	--

भाई बहनों की देखभाल छोटे भाई बहनों की देखभाल में लगे होने से 17356 बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे बच्चों को विद्यालय लाने हेतु इनके छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिए विशेष रूप से, ईसीसीई केन्द्रों की व्यवस्था की गयी है।

क्रम	कोर्स	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
1.	इसीसीई केन्द्र	100	4000	150	6000	150	6000	150	6000
2.	समर कैम्प	30	1200	50	2000	50	2000	50	2000

विद्यालय दूर होना जनपद में 2053 बालक तथा 2125 बालिकाओं कुल 4178 बच्चे विद्यालय दूर होने के कारण विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। इसके लिए ऐसे असेवित क्षेत्रों में जहां मानक के [illegible] विद्यालय खोला जा सकता

है वहां विद्यालय खोले जा रहे हैं तथा अन्य स्थानों पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

विद्यालय	वर्ष	खोले जा रहे विद्यालयों की संख्या
प्राथमिक विद्यालय	2003-04	--
उच्च प्राथमिक विद्यालय	2003-04	95

अन्य कारण उक्त के अतिरिक्त गरीबी धार्मिक कारणों तथा रूढीवादिता के कारण भी कुछ बच्चें विद्यालय नहीं आ रहे है। इसके लिए मकतब/मदरसों को सहायता देकर तथा स्कूल चलो अभियान चला कर तथा ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित कर तथा विद्यालयों को आकर्षक बना कर तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक तथा मिड डे मिल आदि का वितरण कर अभिभावकों को अपने बच्चे विद्यालय भेजने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इस प्रकार 413460 बच्चों का नामांकन प्राथमिकता के साथ विद्यालयों में करा लिया जायेगा।

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

प्राथमिक शिक्षा में बालक बालिकाओं के नामांकन का लक्ष्य प्राप्त कर लेने के उपरान्त उनका विद्यालय में ठहराव बनाये रखना एक गम्भीर समस्या है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 -11 वय वर्ग में छात्रों का विद्यालय में ठहराव बनाने का सार्थक प्रयास किया गया तथा उसके अच्छे परिणाम भी सामने आये है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6–11 वय वर्ग के साथ ही साथ 11–14 वय वर्ग के छात्रों के ठहराव में वृद्धि करने एवं ड्राप आउट रोकने का प्रयास किया जायेगा।

वर्ष 1995–96 से 2000–01 तक जनपद शाहजहाँपुर में जी0ई0आर0 में वृद्धि तथा ड्राप आउट दर में कमी को सारणी 8.1 से प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी 8.1

विगत 6 वर्षों में जी0 ई0 आर0 में वृद्धि तथा ड्राप आउट में कमी

वर्ष	जी0ई0आर0	ड्राप आउट दर
1995–96	81	42
1996–97	85	39
1997–98	87	37
1998–99	90	35
1999–2000	92	32
2000–2001	93	28

स्रोत विभागीय आंकड़े

उपरोक्त तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम परियोजना प्रारम्भ होने के बाद जी0ई0आर0 में अपेक्षित सुधार हुआ है साथ ही ड्राप आउट दर में निरन्तर कमी आयी है।

जनपद शाहजहाँपुर में विकास खण्डवार जी0ई0आर0 व ड्राप आउट (आसमाप्त) [illegible] सारिणी 8.2 से प्रदर्शित किया गया है :–

सारिणी 8.2

वर्ष 2000–2001 में जी0ई0आर0 तथा ड्राप आउट दर

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	जी0ई0आर0	ड्राप आउट दर
1.	भावलखेड़ा	96	29
2.	ददरौल	94	31
3.	काँट	94	28
4.	सिंधौली	95	29
5.	पुवायाँ	92	28
6.	बण्डा	90	27
7.	खुटार	88	25
8.	निगोही	91	27
9.	तिलहर	92	27
10.	जैतीपुर	86	29
11.	कटरा–खुदागंज	93	26
12.	जलालाबाद	90	28
13.	मिर्जापुर	94	29
14.	कलान	86	32
	जनपद औसत	93	28

स्रोत विभागीय आँकड़े

उपरोक्त सारिणी का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि विकास खण्ड कलान, जैतीपुर [illegible] में जी0ई0आर0 दर औसत काफी कम है। इन विकास खण्डों में अध्यापकों की कमी से जी0ई0आर0 का सीधा सम्बन्ध स्पष्ट होता है। वहीं दूसरी ओर विकास खण्ड भावलखेड़ा, ददरौल एवं सिंधौली [illegible] शिक्षकों की पर्याप्त संख्या के बाद भी ड्राप आउट दर [illegible] शिक्षा अभियान में विशेष प्रयास करने पड़ेगें।

सर्व शिक्षा अभियान की योजना निर्माण के उद्देश्य से जनपद में विभिन्न स्तरों पर समूह चर्चायें तथा बैठकें आयोजित की गयी। इन बैठकों में छात्रों के विद्यालय में ठहराव की समस्या प्रमुखता से उभर कर सामने आयी। ठहराव में वृद्धि के लिये कई अच्छे सुझाव भी दिये गये। इन बैठकों एवं समूह चर्चाओं के निष्कर्षों के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान में ठहराव में वृद्धि के लिये कारगर प्रयास किये जायेगें। जिसमें मुख्यतया प्रयास निम्नांकित हैं :--

शिक्षकों की कमी को दूर करना :--

वर्तमान में जनपद शाहजहाँपुर में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर अध्यापकों की संख्या चिन्ता जनक है। अध्यापकों की कमी के कारण बालक--बालिकाओं के नामांकन के बाद उनका विद्यालय में ठहराव बढ़ाना कठिन हो रहा है। सर्व शिक्षा अभियान में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर अध्यापकों की कमी को दूर किया जायेगा।

(i) प्राथमिक स्तर पर 1:40 से अध्यापकों की व्यवस्था करना :--

वर्तमान में जनपद शाहजहाँपुर में 1941 परिषदीय विद्यालय है, जिनमें 302090 छात्र नामांकित है। इनके सापेक्ष 2817 शिक्षक कार्यरत है तथा 1567 शिक्षा मित्र स्वीकृत हैं तथा 765 शिक्षा मित्र कार्यरत है। इस प्रकार प्रति विद्यालय मात्र 1:68 शिक्षक का औसत आता है।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत जनपद में 765 शिक्षा मित्रों की चयन करके स्थिति में आंशिक सुधार किया गया है। शेष 802 शिक्षा मित्रों की चयन प्रक्रिया चल रही है। सर्व शिक्षा अभियान में प्राथमिक स्तर पर 1:40 का लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य है। वर्तमान छात्र नामांकन के अनुसार जनपद 7552 अध्यापकों की आवश्यकता है जबकि मात्र 4384 शिक्षक/शिक्षा मित्र कार्यरत है। इस प्रकार 3168 अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता है, जिसे 1584 शिक्षा मित्रों तथा 1584 परिषदीय अध्यापकों की नियुक्ति से पूर्ण किया जायेगा। प्राथमिक स्तर पर छात्र नामांकन बढ़ने पर आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता को सारिणी 8.3 से स्पष्ट किया गया है। इस सारिणी में अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता को 50% शिक्षा मित्रों के चयन तथा शेष 50% परिषदीय अध्यापकों की नियुक्ति के द्वारा पूर्ण किया जायेगा।

सारिणी 8.3

वर्ष	परिषदीय छात्र नामांकन	1 :40 के अनुसार शिक्षकों की आवश्यकता	वर्तमान सृजित पद	अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्रों की आवश्यकता
2001–2002	302000	7552	4284	3268 — [illegible]
2002–2003	317757	7944	7551	[illegible]
2003–2004	328406	8210	8001	105 404 [illegible]
2004–2005	343732	8593	[illegible]	[illegible]
2005–2006	350606	8765	[illegible]	[illegible]
2006–2007	357561	8940	[illegible]	[illegible]

सारिणी 8.4

अति0 शिक्षकों की वर्षवार व्यवस्था (प्राथमिक स्तर)

वर्ष	01–02	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07			
संख्या	–	1584	1780	1913	2104	2190			

सारिणी 8.5

शिक्षा मित्र की वर्षवार व्यवस्था

वर्ष	01–02	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07			
संख्या	1567	1567	2017	2121	2311	2336			

(ii) प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय पर विषय अध्यापकों की आवश्यकता [illegible] 5 अध्यापक उपलब्ध कराना :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में [illegible] व्यवस्था की जायेगी साथ ही प्रत्येक विद्यालय में विषय अध्यापकों का पदस्थापन सुनिश्चित [illegible] जायेगा। वर्तमान में शाहजहाँपुर में 298 उच्च प्राथमिक विद्यालय के सापेक्ष मात्र 739 अध्यापक कार्यरत है। इस प्रकार प्रति विद्यालय औसतन 2.47 अध्यापक ही उपलब्ध हो पा रहे हैं। [illegible] विद्यालयों में गणित/विज्ञान,भाषा विषयों की आवश्यकता है। इन विद्यालयों में विषय अध्यापक उपलब्ध न होने के कारण ठहराव में वृद्धि के लक्ष्य को पाना सम्भव नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान में प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में गणित/विज्ञान,भाषा तथा सामाजिक विषयों के अध्यापकों का पदस्थापन सुनिश्चित कराकर विद्यालय के शिक्षण स्तर को सुधारा जायेगा। जिससे ठहराव में [illegible] के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो सके।

आगामी वर्षों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ने के साथ साथ अध्यापकों की आवश्यकता सारिणी 8.4 के अनुसार बढ़ेगी :-

सारिणी 8.6

अति० शिक्षकों की वर्षवार व्यवस्था (उच्च प्राथमिक स्तर)

वर्ष	उ०प्रा०वि० की संख्या	नवीन उ०प्रा०वि० संख्या	1:5 से शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
2001-2002	265	00	1325	1127	00
2002-2003	265	33	1490	1325	165
2003-2004	298	95	1965	1490	475
2004-2005	393	0	1965	1965	0
2005-2006	393	0	1965	1965	0
2006-2007	393	0	1965	1965	0

खेलकूद को अनिवार्य बनाकर छात्रों की रूचि बढ़ाना :-

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर खेलकूद को अनिवार्य करके विद्यालयों में छात्रों की रूचि बढ़ायी जायेगी। प्रत्येक शैक्षणिक दिवस के दो पीरियडों को खेलकूद के लिए निर्धारित करा जायेगा। खेलों को यथा सम्भव अन्तिम पीरियड में कराया जायेगा। जिससे छात्रों की विद्यालय में रूचि दिन के अंतिम भाग तक बनी रहे। विकास खण्ड स्तर पर खेलकूद में प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध न होने पर खेलकूद में रूचि रखने वाले 5 अध्यापकों को विशेषज्ञों से प्रशिक्षित करवाकर मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य कराया जाये उक्त मास्टर ट्रेनर विकास खण्ड के समस्त अध्यापकों को खेलकूद

सम्बन्धी दो दिवसीय प्रशिक्षण देगें।

प्रशिक्षण में मुख्य रूप से अध्यापकों को खेलों के नियमों,मैदान,कोर्ट आदि की लम्बाई चौड़ाई से परिचित कराया जायेगा। अध्यापकों को छात्रों के खेल कौशल की पहचान एवं उसे विकसित करने के ढंग के विषय में बताया जायेगा। समय–समय पर अर्न्तविद्यालीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा जिससे छात्रों की विद्यालयों में रूचि बनी रहे तथा अच्छे खिलाड़ी उभर कर सामने आये। जनपद स्तर पर जो खिलाड़ी उभर कर आयेंगे उन्हें सरकार द्वारा संचालित स्पोर्ट्स हॉस्टलों/खेल विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का प्रयास किया जायेगा। जिससे उनके खेल कौशल का

भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता है।

जनपद में डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर बड़ी संख्या में नवीन विद्यालय भवन स्थापित किये गये, अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया गया, शौचालयों का निर्माण कराया गया, हैण्डपम्पों की स्थापना करायी गयी तथा कुछ जर्जर विद्यालय भवनों का पुर्ननिर्माण कराया गया। उक्त सुविधाएं प्रदान करने के बाद भी प्राथमिक स्तर पर कुछ विद्यालयों में पुर्ननिर्माण,शौचालय,अतिरिक्त कक्षा कक्ष तथा हैण्डपम्पों की आवश्यकता शेष है। साथ ही साथ लगभग प्रत्येक विद्यालय में चहारदीवारी की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर अवस्थापन सुविधाओं की अत्याधिक कमी है। अध्याय छः में जनपद में 25 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की मांग दर्शायी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त विद्यालय पुर्ननिर्माण, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, चहारदीवारी, शौचालय एवं हैण्डपम्पों की भी बड़ी संख्या में आवश्यकता है। भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता को सारिणी 8.5 में दर्शाया गया है।

सारिणी 8.7

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता (माँग)

क्र0सं0	आइटम/सुविधा का नाम	प्राथमिक स्तर पर	उच्च प्राथमिक स्तर पर
1.	विद्यालय पुर्ननिर्माण	55	45
2.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	5443	00
3.	शौचालय	260	60
4.	चाहरदीवारी	18000	200
5.	पेयजल	130	20
6.	लघु मरम्मत	700	75
7.	वृहद मरम्मत	340	35
8.	नवीन स्थापना	437	——

स्रोत विभागीय आंकड़े

1. विद्यालय पुर्ननिर्माण : –

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 75 जर्जर विद्यालयों का पुर्ननिर्माण कराया जा चुका है। 72 प्राथमिक विद्यालयों के पुर्ननिमाण का प्रावधान 2001-02 में डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत किया जा रहा है। 55 जर्जर प्राथमिक विद्यालय के पुर्ननिर्माण वर्ष 2002-2003 में [illegible] उच्च प्राथमिक स्तर पर 45 विद्यालयों का पुर्ननिर्माण का लक्ष्य सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रखा गया है। इन सभी विद्यालयों का पर्ननिर्माण वर्ष 2001--02 में ही किया जाएगा।

2. अतिरिक्त कक्षा–कक्ष :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर 360 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण अब तक कराया जा चुका है। आगामी वर्षों में छात्र संख्या बढ़ने पर तथा 1:40 में शिक्षकों की संख्या बढ़ने पर प्राथमिक स्तर पर सारिणी 8.6 के अनुसार अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की मांग बढ़ेगी।

प्रस्तावित अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की वर्षवार संख्या सूची

सारिणी 8.8

प्राथमिक स्तर

वर्ष	01–02	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07				
संख्या	—	—	100	902	902	902				

सारिणी 8.9

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता

वर्ष 1	परिषदीय छात्र सं० 2	40:1 से कक्षा कक्ष 3	वर्तमान कक्षा कक्ष 4	नवीन विद्यालय के कक्ष 5	योग 4+5 6	आवश्यक कक्षा कक्ष 7
2001–2002	302080	7552	2776	115	[illegible]	[illegible]
2002–2003	317757	7944	2891	—	[illegible]	[illegible]
2003–2004	328406	8210	2891	100	2991	[illegible]
2004–2005	343732	8593	2991	902	[illegible]	[illegible]
2005–2006	350006	8765	3893	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2006–2007	357618	8940	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—

3. **शौचालय निर्माण :-**

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में 1218 शौचालय का निर्माण कराया गया है। वर्तमान में 260 प्राथमिक विद्यालय तथा 60 उच्च प्राथमिक विद्यालय शौचालय की सुविधा से वंचित रह गये है। इन विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शौचालय की स्थापना करायी जायेगी।

सारिणी 8.10

वर्ष	01 02	02 03	03 - 04	04 05	05 06	06 07	[illegible]			
संख्या	–	–	50	100	110	–	260	–		

4. **चाहरदीवारी निर्माण :-**

(i) **चाहरदीवारी का निर्माण विद्यालय के लिए अति आवश्यक है।** चाहर दीवारी होने से विद्यालय में एक शैक्षणित वातावरण का सृजन होता है। वर्तमान में जनपद शाहजहाँपुर के 90% से अधिक विद्यालय चाहरदीवारी विहीन है।

(ii) जिला योजना के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कराये गये पुर्ननिर्माण के साथ विगत तीन वर्षो से चाहरदीवारी का निर्माण भी कराया जा रहा है। दशम् वित्त आयोग एवं ग्यारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत नवस्थापित उच्च प्राथमिक विद्यालय में भवन निर्माण के साथ चाहरदीवारी की सुविधा प्रदान की गई है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सहित शेष किसी योजना से चाहरदीवारी के लिए कोई धनराशि अतिरिक्त रूप से प्रदान नहीं की जा रही है।

(iii) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 1800 प्राथमिक एवं 200 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चाहरदीवारी युक्त बनाये जाने का प्राविधान है। जिसकी वर्षवार तालिका निम्नवत् है :-

में समस्त परिषदीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक वि[illegible]
वितरण किये विद्यालय निर्माण अनुदान दिया जाता है

संस्था	2002-2003			2003-2004			2004-2005			2005-2006			2006-[illegible]	
	परिषदीय	सहायता प्राप्त	योग	परिषदीय	सहायता प्राप्त	योग	परिषदीय	सहायता प्राप्त	योग	परिषदीय	सहायता प्राप्त	योग	परिषदीय	सहायता प्राप्त
[illegible]शिक विद्यालय	—	—	—	1976	—	1976	1976	—	1976	1976	—	1976	1976	
[illegible] प्राथमिक विद्यालय	265	—	265	298	—	298	393	54	447	393	54	447	393	54
योग	265	—	265	2274	—	2274	2369	54	2423	2369	54	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]परिषदीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में [illegible]
अध्यापकों हेतु [illegible] आदि

संस्था	2002-2003			2003-2004			2004-2005			2005-2006			2006-[illegible]	
	परिषदीय	सहायता प्राप्त	योग	परिषदीय	सहायता प्राप्त	योग	परिषदीय	सहायता प्राप्त	योग	परिषदीय	सहायता प्राप्त	योग	परिषदीय	सहायता प्राप्त
[illegible]मिक विद्यालय	—	—	—	7200	—	7200	8210	—	8210	8593	—	8593	8763	
[illegible] प्राथमिक विद्यालय	965	—	965	2010	162	2172	2073	162	2235	2073	162	2235	[illegible]	162?
योग	965		965	9210	162	9372	10283	162	10445	10666	162	10828	[illegible]	[illegible]

[illegible] एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में [illegible]
एवं [illegible] की बालिकाओं हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण

संस्था	2002-2003			2003-2004			2004-2005			2005-2006			2006-[illegible]	
	परिषदीय	सहायता प्राप्त	योग	परिषदीय	सहायता प्राप्त	योग	परिषदीय	सहायता प्राप्त	योग	परिषदीय	सहायता प्राप्त	योग	परिषदीय	सहायता प्राप्त
[illegible] विद्यालय	—	—	—	128740	—	128740	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	
[illegible] प्राथमिक विद्यालय	36354?	/	36354?	28534?	/	28534?	[illegible]	2166	[illegible]	[illegible]	2210?	[illegible]	[illegible]	[illegible]
योग	36354	/	36354	157274	/	157274	150534?	2166	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] के समस्त परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, [illegible] रखरखाव अनुदान का लक्ष्य

[illegible]	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
प्रा० विद्यालय	—	1976	1976	1976	1976
उ० प्रा० विद्यालय	265	125	393	[illegible]	[illegible]
योग -	265	2101	2369	2369	2369

विद्यालय अनुदान :–

प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रतिवर्ष विद्यालय अनुदान हेतु रू० 2,000 उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त धनराशि को विद्यालय की साज–सज्जा,रंगाई–पुताई, स्टेशनरी क्रय हेतु तथा विद्यालय अभिलेखों के रखरखाव आदि पर ग्राम शिक्षा समिति आवश्यकता के अनुसार व्यय कर सकती है।

सारिणी 8.15

प्रा०वि० एवं उच्च प्रा०वि० [illegible]

विद्यालय विकास अनुदान

वर्ष	01–02	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07				कुल
संख्या	—	265	2274	2423	2423	2423				

अध्यापक अनुदान :–

प्रत्येक विद्यालय में प्रति शिक्षक/शिक्षा मित्र को प्रतिवर्ष अध्यापक अनुदान के रूप में रूपये 500 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रति अध्यापक रूपये 500 अनुदान के रूप में उपलब्ध कराना सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्तावित है इस अनुदान से शिक्षण अधिगम सामग्री की संरचना [illegible] अनुसार की जायेगी।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 1 से 5 तक समस्त बालिकाओं [illegible] जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गयी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक समस्त बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेगी।

विद्यालय अनुदान :—

प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रतिवर्ष विद्यालय अनुदान हेतु रू0 2,000 उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त धनराशि को विद्यालय की साज–सज्जा,रंगाई–पुताई, स्टेशनरी क्रय हेतु तथा विद्यालय अभिलेखों के रखरखाव आदि पर ग्राम शिक्षा समिति आवश्यकता के अनुसार व्यय कर सकती है।

सारिणी 8.15

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, विद्यालय व रखरखाव हेतु
विद्यालय विकास अनुदान

वर्ष	01–02	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07				कुल
संख्या	—	265	2274	2423	2423	2423				

अध्यापक अनुदान :—

प्रत्येक विद्यालय में प्रति शिक्षक/शिक्षा मित्र को प्रतिवर्ष अध्यापक अनुदान के रूप में [illegible] 500 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रति अध्यापक रूपये 500 अनुदान के रूप में उपलब्ध कराना सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्तावित है इस अनुदान से शिक्षण अधिगम सामग्री की संरचना [illegible] अनुसार की जायेगी।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण :—

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 1 से 5 तक समस्त बालिकाओं [illegible] जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गयी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत [illegible] 1 से 8 तक समस्त बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुल्क [illegible] उपलब्ध करादी जायेगी।

1. सारिणी 8.17 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विकास खण्ड कलान,जैतीपुर,मिर्जापुर,जलालाबाद जैसे दूरस्थ एवं दुर्गम विकास खण्डों के साथ–साथ निगोही,ददरौल,भावलखेड़ा एवं सिंधौली जैसे विकास खण्ड जोकि जनपद मुख्यालय से संलग्न है, महिला साक्षरता में पिछड़े हुए हैं अतः सारिणी से आर्थिक सम्पन्नता एवं साक्षरता दर का सीधा सम्बन्ध दृष्टिगोचर होता है। जनपद आर्थिक रूप से सम्पन्न विकास खण्डों यथा बण्डा,पुवायाँ एवं खुटार की पुरुष एवं महिला दोनों की साक्षरता भी जनपद में क्रमशः प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर है।

2. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। जनपद स्तर पर जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) की नियुक्ति बालिका शिक्षा के स्तर को सुधारने एवं समाज में बालक बालिका के भेद को दूर करने के उद्देश्य से की गयी है। आदर्श न्याय पंचायत अवधारणा के अन्तर्गत तीन विकास खण्डों – भावलखेड़ा,कॉंट एवं सिंधौली में 25 न्याय पंचायतों में लिंग संवेदना बनाने के उद्देश्य से अध्यापकों एवं ग्राम शिक्षा समितियों को लिंग संवेदीकरण के विषय पर प्रशिक्षित किया गया।

3. **जनपद में विभिन्न स्तरों पर हुई समूह चर्चाओं में उभरी बालिका शिक्षा की समस्यायें एवं सुझाव :–**

शाहजहाँपुर में विभिन्न स्तरों पर सर्व शिक्षा अभियान की योजना निर्माण के उद्देश्य से समूह चर्चाओं, बैठकों का आयोजन किया गया। बालिका शिक्षा की समस्याओं को ठीक ढंग से पहचानने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित MTA की बैठक आयोजित की गयी। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र तथा अल्पसंख्यकों की बाहुल्यता वाले गाँवों एवं स्थानों पर विशेष बैठकें की गयी जिससे इन वर्गों की बालिकाओं की सामान्य बालिकाओं से अलग समस्यायें उभर कर सामने आयी उक्त बैठकों में प्रतिभागियों ने खुलकर अपनी समस्यायें रखीं साथ ही बालिकाओं के विद्यालय में ठहराव के सुझाव भी दिये। जनपद स्तर पर आयोजित समूह चर्चाओं तथा विकास खण्डों को बालिका शिक्षा में पिछड़े विकास खण्डों के रूप में चिन्हित किया गया है तथा वरीयता क्रम में इन विकास खण्डों में बालिका शिक्षा के उत्थान के लिए अभियान चलाकर सर्व शिक्षा

1. सारिणी 8.17 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विकास खण्ड कलान,जैतीपुर,मिर्जापुर,जलालाबाद जैसे दूरस्थ एवं दुर्गम विकास खण्डों के साथ–साथ निगोही,ददरौल,भावलखेड़ा एवं सिंधौली जैसे विकास खण्ड जोकि जनपद मुख्यालय से संलग्न है, महिला साक्षरता में पिछड़े हुए हैं उक्त सारिणी से आर्थिक सम्पन्नता एवं साक्षरता दर का सीधा सम्बन्ध दृष्टिगोचर होता है। जनपद आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न विकास खण्डों यथा बण्डा,पुवायाँ एवं खुटार की पुरूष एवं महिला दोनों की साक्षरता दर जनपद में क्रमशः प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर है।

2. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। जनपद स्तर पर जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) की नियुक्ति बालिका शिक्षा के स्तर को सुधारने एवं समाज में बालक बालिका के भेद को दूर करने के उद्देश्य से की गयी है। आदर्श न्याय पंचायत अवधारणा के अन्तर्गत तीन विकास खण्डों – भावलखेड़ा,कॉट एवं सिंधौली में 25 न्याय पंचायतों में लिंग संवेदना बनाने के उद्देश्य से अध्यापकों एवं ग्राम शिक्षा समितियों को लिंग संवेदीकरण के विषय पर प्रशिक्षित किया गया।

3. जनपद में विभिन्न स्तरों पर हुई समूह चर्चाओं में उभरी बालिका शिक्षा की समस्यायें एवं सुझाव :–

शाहजहाँपुर में विभिन्न स्तरों पर सर्व शिक्षा अभियान की योजना निर्माण के उद्देश्य से समूह चर्चाओं, बैठकों का आयोजन किया गया। बालिका शिक्षा की समस्याओं को ठीक ढंग से पहचानने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित MTA की बैठक आयोजित की गयी। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र तथा अल्पसंख्यकों की बाहुल्यता वाले गाँवों एवं स्थानों पर विशेष बैठकें की गयी जिससे इन वर्गो की बालिकाओं की सामान्य बालिकाओं से अलग समस्यायें उभर कर सामने आयीं उक्त बैठकों में प्रतिभागियों ने खुलकर अपनी समस्यायें रखीं साथ ही बालिकाओं के विद्यालय में ठहराव के सुझाव भी दिये। जनपद स्तर पर आयोजित समूह चर्चाओं तथा ~~विकास खण्डों को बालिका शिक्षा में पिछड़े विकास खण्डों के रूप में चिन्हित किया गया है तथा –~~ वरीयता क्रम में इन विकास खण्डों में बालिका शिक्षा के उत्थान के लिए अभियान चलाकर सर्व शिक्षा

3. **विशेष नामांकन अभियान :—**

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विगत वर्षों से स्कूल चलो अभियान के माध्यम से तीन चरणों में विशेष नामांकन अभियान प्रत्येक प्राथमिक स्तर पर चलाया गया। जिसमें प्रथम चरण में वातावरण सृजन का काम किया गया तथा द्वितीय चरण में 6–14 वय वर्ग के बच्चों की चिन्हित सूची तैयार की गयी तथा तृतीय चरण में स्कूल न आने वाले बच्चों का नामांकन किया गया। सर्व शिक्षा अभियान में भी यह विशेष नामांकन अभियान जारी रहेगा तथा 6–11 वय वर्ग व 11–17 वय वर्ग के सभी बच्चों को नामांकित किया जायेगा।

4. **" बेटी हो स्कूल में " कला जत्था का अयोजन :—**

डी0पी0ई0पी0 में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनपद की आदर्श न्याय पंचायतों के प्राथमिक विद्यालयों में कला जत्था के माध्यम से जिसमें प्रतिशिक्षित कलाकारों द्वारा नाटक,गायन तथा नौटंकी आदि स्थानीय मनोरंजन को जोड़ते हुए बेटी हो स्कूल में नाटक की प्रस्तुति की गयी। जिससे कि अभिभावक जागरूक हो और बेटी से घरेलू कार्य न कराकर उसे स्कूल में भेजे। इस प्रकार के कला जत्था के माध्यम से जागरूकता पैदा हुई है और सर्व शिक्षा अभियान में भी यह कार्यक्रम चलता रहेगा।

5. **ग्राम शिक्षा समिति/माता शिक्षक संघ/महिला प्रेरक समूह :—**

ग्राम शिक्षा समिति (VEC) माता शिक्षक संघ (MTA) तथा महिला प्रेरक समूह (WMG) की बैठक माह में अनिवार्य रूप से एक बार अवश्य की जायेगी। ताकि बालिकाओं की समस्या का समाधान आपसी बातचीत से होता रहेगा तथा उनका ठहराव विद्यालय में बना रहेगा।

6. **ठहराव परिक्रमा :—**

प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय/उच्च शिक्षा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर माह में दो बार ठहराव परिक्रमा निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे/शिक्षक,एम टी ए के सदस्य, वी ई सी के सदस्य तथा डब्लू एम जी के सदस्यों सहित गाँव के जागरूक लोग सम्मिलित होगें तथा गाँव का भ्रमण कर स्कूल न आ रहे बच्चों को जागरूक कर स्कूल में लाने का प्रयास करेगें तथा ऐसे बच्चे जो स्कूल में नही आ रहे है उनके निवास के सामने रूक कर शिक्षा के महत्व के नारों आदि का उद्घोष करेगें।

3. **विशेष नामांकन अभियान :-**

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत विगत वर्षो से स्कूल चलो अभियान के माध्यम से तीन चरणों में विशेष नामांकन अभियान प्रत्येक प्राथमिक स्तर पर चलाया गया। जिसमें प्रथम चरण में वातावरण सृजन का काम किया गया तथा द्वितीय चरण में 6-14 वय वर्ग के बच्चों की चिन्हित सूची तैयार की गयी तथा तृतीय चरण में स्कूल न आने वाले बच्चों का नामांकन किया गया। सर्व शिक्षा अभियान में भी यह विशेष नामांकन अभियान जारी रहेगा तथा 6-11 वय वर्ग व 11-17 वय वर्ग के सभी बच्चों को नामांकित किया जायेगा।

4. **" बेटी हो स्कूल में " कला जत्था का अयोजन :-**

डी०पी०ई०पी० में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनपद की आदर्श न्याय पंचायतों के प्राथमिक विद्यालयों में कला जत्था के माध्यम से जिसमें प्रतिशिक्षित कलाकारों द्वारा नाटक,गायन तथा नौटंकी आदि स्थानीय मनोरंजन को जोड़ते हुए बेटी हो स्कूल में नाटक की प्रस्तुति की गयी। जिससे कि अभिभावक जागरूक हो और बेटी से घरेलू कार्य न कराकर उसे स्कूल में भेजे। इस प्रकार के कला जत्था के माध्यम से जागरूकता पैदा हुई है और सर्व शिक्षा अभियान में भी यह कार्यक्रम चलता रहेगा।

5. **ग्राम शिक्षा समिति/माता शिक्षक संघ/महिला प्रेरक समूह :-**

ग्राम शिक्षा समिति (VEC) माता शिक्षक संघ (MTA) तथा महिला प्रेरक समूह (WMG) की बैठक माह में अनिवार्य रूप से एक बार अवश्य की जायेगी। ताकि बालिकाओं की समस्या का समाधान आपसी बातचीत से होता रहेगा तथा उनका ठहराव विद्यालय में बना रहेगा।

6. **ठहराव परिक्रमा :-**

प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय/उच्च शिक्षा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर माह में दो बार ठहराव परिक्रमा निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे/शिक्षक,एम टी ए के सदस्य, वी ई सी के सदस्य तथा डब्लू एम जी के सदस्यों सहित गाँव के जागरूक लोग सम्मिलित होगें तथा गाँव का भ्रमण कर स्कूल न आ रहे बच्चों को जागरूक कर स्कूल में लाने का प्रयास करेगें तथा ऐसे बच्चे जो स्कूल में नही आ रहे है उनके निवास के सामने रूक कर शिक्षा के महत्व के नारों आदि का उद्घोष करेगें।

प्रभारियों आदि का प्रशिक्षण कराया जायेगा। जिससे कि बालिका शिक्षा की समझ विकसित हो सके तथा वे सब उक्त को भौतिक धरातल पर क्रियान्वित करे।

2. महिला प्रेरक समूह/माता शिक्षक संघ/पिता शिक्षक संघ आदि का प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसके माध्यम से अभिभावकगणों को बालिका शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाया जायेगा।
3. ग्राम शिक्षा समितियों की ट्रेनिंग करायी जायेगी जिससे ग्राम प्रधान सहित सभी सदस्यगण बालिका शिक्षा के उन्नयन व विकास में सक्रिय योगदान करें।

बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु सामान्य रणनीतियाँ

जनपद में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो सामान्य रणनीतियाँ प्रयोग में लायी जायेगी, वे निम्नवत् है :–

1. जनपद की समस्त ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस प्रशिक्षण में उन्हें बालिकाओं के शत् प्रतिशत् नामांकन हेतु प्रेरित किया जायेगा।
2. प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के समस्त अध्यापकों को लिंग संवेदनशीलता विषयक प्रशिक्षण दिया जायेगा।
3. समस्त न्याय पंचायत समन्वयक,सह समन्वयक तथा ब्लाक समन्वयकों को पर्यवेक्षण तथा बालिकाओं की शिक्षा हेतु विशेष शैक्षिक समर्थन देने का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस कार्य में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का मार्ग दर्शन तथा सहयोग लिया जायेगा।
4. जनपद के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय में अलग से भी बुक बैंक की व्यवस्था की जायेगी। बालिकायें आवश्यकतानुसार इन पाठ्य पुस्तकों का भी उपयोग कर सकती है।
5. बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक गतिशीलता के विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम होगें।
    1. मीना कैम्पेन – जिन क्षेत्रों में बालिकाओं की साक्षरता दर कम है वहाँ मीना कैम्पेन के विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें। मीना नामक लड़की को न पढ़ाने के परिणाम तथा पढ़ाने के लिए निश्चित रूप से प्रेरित होंगे।
    2. माँ – बेटी का मेला
    3. विशेष नामांकन अभियान
    4. " बेटी हो स्कूल में " कला जत्थों का आयोजन
    5. ग्राम शिक्षा समिति/माता शिक्षक संघ/महिला प्रेरक समूह की बैठकें।
6. बालिकाओं के शत् प्रतिशत् नामांकन असेवित बस्तियों में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलना।
7. आवश्यकतानुसार शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा के केन्द्र खोले जायेंगे। जनपद शाहजहाँपुर में 158 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत हैं। जिनके सापेक्ष 101 केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों में नौ वर्ष से अधिक उम्र की बालिकाओं के लिए ई०जी०एस०/ए०आई०ई० केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

प्रभारियों आदि का प्रशिक्षण कराया जायेगा। जिससे कि बालिका शिक्षा की समझ विकसित हो सके तथा वे सब उक्त को भौतिक धरातल पर क्रियान्वित करे।

2. महिला प्रेरक समूह/माता शिक्षक संघ/पिता शिक्षक संघ आदि का प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसके माध्यम से अभिभावकगणों को बालिका शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाया जायेगा।
3. ग्राम शिक्षा समितियों की ट्रेनिंग करायी जायेगी जिससे ग्राम प्रधान सहित सभी सदस्यगण बालिका शिक्षा के उन्नयन व विकास में सक्रिय योगदान करें।

बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु सामान्य रणनीतियाँ

जनपद में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो सामान्य रणनीतियाँ प्रयोग में लायी जायेगी, वे निम्नवत् है :–

1. जनपद की समस्त ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस प्रशिक्षण में उन्हें बालिकाओं के शत् प्रतिशत् नामांकन हेतु प्रेरित किया जायेगा।
2. प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के समस्त अध्यापकों को लिंग संवेदनशीलता विषयक प्रशिक्षण दिया जायेगा।
3. समस्त न्याय पंचायत समन्वयक,सह समन्वयक तथा ब्लाक समन्वयकों को पर्यवेक्षण तथा बालिकाओं की शिक्षा हेतु विशेष शैक्षिक समर्थन देने का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस कार्य में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का मार्ग दर्शन तथा सहयोग लिया जायेगा।
4. जनपद के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय में अलग से भी बुक बैंक की व्यवस्था की जायेगी। बालिकायें आवश्यकतानुसार इन पाठ्य पुस्तकों का भी उपयोग कर सकती है।
5. बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक गतिशीलता के विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम होगें।
    1. मीना कैम्पेन – जिन क्षेत्रों में बालिकाओं की साक्षरता दर कम है वहाँ मीना कैम्पेन के विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें। मीना नामक लड़की को न पढ़ाने के परिणाम तथा पढ़ाने के लिए निश्चित रूप से प्रेरित होंगे।
    2. माँ – बेटी का मेला
    3. विशेष नामांकन अभियान
    4. " बेटी हो स्कूल में " कला जत्थों का आयोजन
    5. ग्राम शिक्षा समिति/माता शिक्षक संघ/महिला प्रेरक समूह की बैठकें।
6. बालिकाओं के शत् प्रतिशत् नामांकन असेवित बस्तियों में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलना।
7. आवश्यकतानुसार शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा के केन्द्र खोले जायेगें। जनपद शाहजहाँपुर में 158 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत हैं। जिनके सापेक्ष 101 केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों में नौ वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं के लिए ई०जी०एस०/ए०आई०ई० केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

आदर्श न्याय पंचायत व्यवस्था (एन0सी0डी0ए0)

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2001–2002 तक 25 आदर्श न्याय पंचायत का चयन किया जा चुका है जबकि जनपद में कुल 126 न्याय पंचायतें है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शेष 101 न्याय पंचायतों को आदेश न्याय बनाने का वर्षवार क्रमिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सारिणी 8.22

	01–02	02–03	03–04	04–06	05–06	06–07			
।, यतों ं0	–	15	15	15	15	15			

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों के ठहराव में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु अनुसूचित जाति के बच्चों तथा समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की यह व्यवस्था प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर लागू की जायेगी। इसके लिए वर्षवार बच्चों की संख्या का अनुमानित प्रक्षेपण निम्नवत् है –

वर्ष	01–02	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07			
प्राथमिकस्तर	D.P.E.P	–	128710	130600	133200	133400			
उ0प्रा0 स्तर	–	36354	28534	31300	34400	34700			
	–								

एस0यू0पी0 डब्ल्यू उ.प्र. विद्यालयों में बालिकाओं की शिक्षा के साथ–साथ कुछ जीवनोपयोगी दक्षताएं दिखाई तथा ठहराव बढ़ाने हेतु चयनित उ.प्र. प्राथमिक विद्यालयों में प्रावधान किया जायेगा।

आदर्श न्याय पंचायत व्यवस्था (एन०सी०डी०ए०)

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2001–2002 तक 25 आदर्श न्याय पंचायत का चयन किया जा चुका है जबकि जनपद में कुल 120 न्याय पंचायतें है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शेष 101 न्याय पंचायतों को आदेश न्याय बनाने का वर्षवार क्रमिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सारिणी 8.22

01–02	02–03	03–04	04–06	05–06	06–07			
–	15	15	15	15	15			

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों के ठहराव में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु अनुसूचित जाति के बच्चों तथा समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की यह व्यवस्था प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर लागू की जायेगी। इसके लिए वर्षवार बच्चों की संख्या का अनुमानित प्रक्षेपण निम्नवत् है –

	01–02	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07			
प्राथमिक स्तर	D.P.E.P	–	128740	130000	133200	133400			
उ०प्रा० स्तर	–	36354	28534	31300	34400	34700			
	–								

एस०यू०पी० डब्ल्यू उ.प्र. विद्यालयों में बालिकाओं की शिक्षा के साथ–साथ कुछ जीवनोपयोगी दक्षताएं दिखाई तथा ठहराव बढ़ाने हेतु चयनित उ.प्र. प्राथमिक विद्यालयों में प्रावधान किया जायेगा।

अध्याय – 9

गुणवत्ता सम्वर्धन

जनपद शाहजहाँपुर में प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं प्रसार के लिए वर्ष 1997 में डी0पी0ई0पी0 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू किया गया जिसके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु भगीरथ प्रयत्न करने के बावजूद भी अपेक्षित सुधार न हो सके क्योंकि यह योजना केवल प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 5 तक) ही लागू थी जबकि कक्षा 6–8 तक की शिक्षा भी प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित है अछूती रह गयी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ददरौल--शाहजहाँपुर ने बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 के माध्यम से योजनाबद्ध कार्य का श्री गणेश किया। सर्वप्रथम बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 का तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर दिया गया। समन्वयक तथा सह समन्वयकों को उनके कार्य एवं दायित्वों के बारे में 5 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिया गया। प्राचार्य डायट तथा डायट स्टाफ समन्वयक एवं सहसमन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण आदर्श पाठों का प्रस्तुतिकरण बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 का उनके भौतिक एवं आकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शिक्षण सामग्री, मेलों के आयोजन तथा विद्यालयों के श्रेणीकरण आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।

अन्ततोगत्वा महसूस किया गया कि डी0पी0ई0पी0 योजना से आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षकों की आकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो कुछ हद तक की जा सकी है किन्तु कक्षा 6–8 तक की शिक्षा व्यवस्था जो प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत आती है इस महत्वपूर्ण विकास योजना से वंचित रही जो इस प्रकार है।

1. उच्च प्रा0 विद्यालयों के शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया गया।
2. शासकीय एवं अशासकीय हाईस्कूल,इन्टर कालेज के साथ संचालित कक्षा 6--8 में तथा 1--5 तक के बच्चों की शैक्षिक कठिनाइयों का निवारण एवं शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार और शिक्षकों की कठिनाईयों को दूर करने हेतु प्रयास नहीं किये जा सके।
3. अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाएं जैसे मकतब एवं मदरसों में अध्ययनरत बच्चे एवं शिक्षक भी इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाने में असमर्थ है।

उपरोक्त समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान का आरम्भ वर्ष 2002 से आरम्भ किया जा रहा है यह अभियान लगभग 8 वर्षो के सुदीर्घ समय में अर्थात 2007 तक सभी बच्चों को कक्षा 5 तथा 2007 तक उ0प्र0 के समस्त कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को शिक्षित करना है। इस दीर्घगामी रणनीति के तहत प्रत्येक जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना होगा। इस शैक्षिक योजनान्तर्गत 6–14 वय वर्ग के बच्चों को अभीष्ट सुविधायें प्रदान कर शिक्षित किया जाना है।

अध्याय – 9

गुणवत्ता सम्वर्धन

जनपद शाहजहाँपुर में प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं प्रसार के लिए वर्ष 1997 में डी0पी0ई0पी0 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू किया गया जिसके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु गम्भीरता प्रयास करने के बावजूद भी अपेक्षित सुधार न हो सके क्योंकि यह योजना केवल प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 5 तक) ही लागू थी जबकि कक्षा 6–8 तक की शिक्षा भी प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित है अछूती रह गयी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ददरौल--शाहजहाँपुर ने बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 के माध्यम से योजनाबद्ध कार्य का श्री गणेश किया। सर्वप्रथम बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 का तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर दिया गया। समन्वयक तथा सह समन्वयकों को उनके कार्य एवं दायित्वों के बारे में 5 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिया गया। प्राचार्य डायट तथा डायट स्टाफ समन्वयक एवं सहसमन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण आदर्श पाठों का प्रस्तुतिकरण बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 का उनके भौतिक एवं आकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शिक्षण सामग्री, मेलों के आयोजन तथा विद्यालयों के श्रेणीकरण आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।

अन्ततोगत्वा महसूस किया गया कि डी0पी0ई0पी0 योजना से आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षकों की आकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो कुछ हद तक की जा सकी है किन्तु कक्षा 6–8 तक की शिक्षा व्यवस्था जो प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत आती है इस महत्वपूर्ण विकास योजना से वंचित रही जो इस प्रकार है।

1. उच्च प्रा0 विद्यालयों के शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया गया।
2. शासकीय एवं अशासकीय हाईस्कूल,इन्टर कालेज के साथ संचालित कक्षा 6--8 में तथा 1–5 तक के बच्चों की शैक्षिक कठिनाइयों का निवारण एवं शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार और शिक्षकों की कठिनाईयों को दूर करने हेतु प्रयास नहीं किये जा सके।
3. अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाएं जैसे मकतब एवं मदरसों में अध्ययनरत बच्चे एवं शिक्षक भी इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाने में असमर्थ है।

उपरोक्त समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान का आरम्भ वर्ष 2002 से आरम्भ किया जा रहा है यह अभियान लगभग 8 वर्षों के सुदीर्घ समय में अर्थात 2007 तक सभी बच्चों को कक्षा 5 तथा 2007 तक उ0प्र0 के समस्त कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को शिक्षित करना है। इस दीर्घगामी रणनीति के तहत प्रत्येक जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना होगा। इस शैक्षिक योजनान्तर्गत 6 14 वय वर्ग के बच्चों को अभीष्ट सुविधायें प्रदान कर शिक्षित किया जाना है। -

4. रोल प्लेस,केस स्टडी,क्षेत्र भ्रमण,प्रतिभागिता उपागम तथा सम्प्रेषण,अभ्यास आदि उक्त प्रशिक्षण में सन्दर्भदाता के रूप में शिक्षकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं में नेहरू युवा केन्द्र ने विशेष भूमिका निभायी।

स्कूल मैपिंग तथा माइक्रोप्लानिंग के बिन्दुओं पर भी दृष्टिपात किया गया जिससे शैक्षिक योजनाओं के निर्माण में काफी सफलता प्राप्त हुई।

1. ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण से विद्यालय एवं समाज की दूरी कम हुई।
2. ग्राम शिक्षा समितियाँ विद्यालय में अपनी भागीदारी के आधार पर विद्यालय को समाज का एक अभिन्न अंग मानने लगी।
3. प्रशिक्षण के माध्यम से ग्राम शिक्षा समितियों को यह जानकारी प्राप्त हुई कि विद्यालय विकास हेतु किस प्रकार की योजनायें बनाई जा सकती है।
4. प्रशिक्षण से विद्यालय को समाज का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ और बच्चों की अनुपस्थिति का भी निराकरण हुआ।
5. बाल मेलों का आयोजन करते समय अभिभावकों की भी भागीदारी सुनिश्चित की गयी।
6. सभी प्रकार के प्रशिक्षणों के समय समुदाय के लोगों को सम्भागियों से अवगत कराया गया।
7. यह देखा गया कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे पढ़ने की अपेक्षा क्राफ्ट जैसे कालीन, बुनना, तार कसी करना आदि में व्यस्त रहते है उन्हें विद्यालय के प्रति आकर्षित किया गया।

शिक्षकों को सहयोग की व्यवस्था :–

बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने उनके विषय वस्तु ज्ञान वृद्धि और शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनायी गयी थी।

शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट के लिए जिला स्तर पर डायट, ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गयी। और उक्त केन्द्रों पर प्राचार्य, वरिष्ठ प्रवक्ता/प्रवक्ता, ब्लाक समन्वयक सह–समन्वयक तथा न्याय पंचायत समन्वयक कार्य कर रहे है।

इस परिपेक्ष में जनपद में 14 ब्लाक समन्वयक कार्य कर रहे है। 14 सह–समन्वयक तथा 126 न्याय पंचायत समन्वयक कार्यरत है।

शैक्षिक सपोर्ट देने के लिए डायट संकाय के सदस्यों,निरीक्षक वर्ग बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को तीन दिवसीय शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से डायट स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है। राज्य स्तर पर तैयार किये गये पैरामीटर का प्रयोग करते हुए विद्यालयों, बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 को श्रेणीबद्ध किया गया।

4. रोल प्लेस,केस स्टडी,क्षेत्र भ्रमण,प्रतिभागिता उपागम तथा सम्प्रेषण,अभ्यास आदि उक्त प्रशिक्षण में सन्दर्भदाता के रूप में शिक्षकों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं में नेहरू युवा केन्द्र ने विशेष भूमिका निभायी।

स्कूल मैपिंग तथा माइक्रोप्लानिंग के बिन्दुओं पर भी दृष्टिपात किया गया जिससे शैक्षिक योजनाओं के निर्माण में काफी सफलता प्राप्त हुई।

1. ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण से विद्यालय एवं समाज की दूरी कम हुई।
2. ग्राम शिक्षा समितियाँ विद्यालय में अपनी भागीदारी के आधार पर विद्यालय को समाज का एक अभिन्न अंग मानने लगी।
3. प्रशिक्षण के माध्यम से ग्राम शिक्षा समितियों को यह जानकारी प्राप्त हुई कि विद्यालय विकास हेतु किस प्रकार की योजनायें बनाई जा सकती है।
4. प्रशिक्षण से विद्यालय को समाज का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ और बच्चों की अनुपस्थिति का भी निराकरण हुआ।
5. बाल मेलों का आयोजन करते समय अभिभावकों की भी भागीदारी सुनिश्चित की गयी।
6. सभी प्रकार के प्रशिक्षणों के समय समुदाय के लोगों को उपलब्धियों से अवगत कराया गया।
7. यह देखा गया कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे पढ़ने की अपेक्षा क्राफ्ट जैसे कालीन बुनना, तार कसी करना आदि में व्यस्त रहते है उन्हें विद्यालय के प्रति आकर्षित किया गया।

शिक्षकों को सहयोग की व्यवस्था :–

बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने उनके विषय वस्तु ज्ञान वृद्धि और शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनायी गयी थी।

शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट के लिए जिला स्तर पर डायट, ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गयी। और उक्त केन्द्रों पर प्राचार्य, वरिष्ठ प्रवक्ता/प्रवक्ता, ब्लाक समन्वयक सह–समन्वयक तथा न्याय पंचायत समन्वयक कार्य कर रहे है।

इस परिपेक्ष में जनपद में 14 ब्लाक समन्वयक कार्य कर रहे है। 14 सह–समन्वयक तथा 126 न्याय पंचायत समन्वयक कार्यरत है।

शैक्षिक सपोर्ट देने के लिए डायट संकाय के सदस्यों,निरीक्षक वर्ग बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को तीन दिवसीय शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से डायट स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है। राज्य स्तर पर तैयार किये गये पैरामीटर का प्रयोग करते हुए विद्यालयों, बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 को श्रेणीबद्ध किया गया।

उपरोक्त श्रेणीगत भौतिक संसाधनों के आधार पर किया गया इसमें शैक्षिक वातावरण को भी समाहित करने की आवश्यकता के साथ स्थानीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा गया है।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण विवरण :-

इस योजना के अन्तर्गत शिक्षकों को पाँच चक्र प्रशिक्षण देने की व्यवस्था जनपद शाहजहाँपुर में तीन चक्रों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। प्रथम चक्र प्रशिक्षण डायट द्वारा डायट स्तर पर तथा द्वितीय चक्र का प्रशिक्षण ब्लाक समन्वयकों द्वारा बी0आर0सी0 स्तर पर सम्पादित कराया गया तृतीय चक्र का प्रशिक्षण भी ब्लाक स्तर पर ही सम्पादित कराया गया।

प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को खुली चयन प्रतियोगिता के द्वारा डायट पर टी0ओ0टी0 के रूप में चयन किया गया तथा टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण डायट फरीदपुर बरेली व डायट लखीमपुर खीरी तथा डायट बीसलपुर जनपद पीलीभीत में प्रदान किया गया।

प्रथम चक्र प्रशिक्षण :-

" शिक्षक अभिप्रेरण प्रशिक्षण " 10 दिवसीय आयोजित किये गये। इस प्रशिक्षण का माड्यूल शिक्षकोदय था जिसका मूलस्रोत पटन बिहार डेवलेट संस्था थी। इसके बिन्दु निम्नवत् थे :-

1. शिक्षकों को अपने दायित्वों के प्रति सजग करना है।
2. शिक्षकों, बच्चों के प्रति समझ विकसित करना, बच्चों की कठिनाइयों को समझाना एवं उनके प्रति संवेदनशील बनाना।
3. शिक्षण में बच्चों की सक्रियता एवं भागीदारी बढ़ाना।
4. कक्षा का वातावरण जिज्ञासा पूर्ण एवं आकर्षण बनाना।
5. लिंग भेद दूर करना।
6. रूढ़ियों एवं परम्पराओं से हटकर शिक्षण कार्य करना।
7. सस्ती सहायक सामग्री के प्रयोग से शिक्षण में रोचकता और जागरूकता लाना।
8. गति विधि एवं खेल के माध्यम से शिक्षण कार्य को रोचक बनाना।
9. विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षण कार्य को सरल बनाना।
10. सुविधा विहीन वर्ग एवं बालिकाओं की शिक्षा में कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील बनाना।
11. स्थानीय समुदाय से सहयोग प्राप्त स्थापित करना।
12. शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य स्पष्ट सम्प्रेषण करना।

नोट :-

प्रथम चक्र के प्रशिक्षण में 2660 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया।

उपरोक्त श्रेणीगत भौतिक संसाधनों के आधार पर किया गया इसमें शैक्षिक वातावरण को भी समाहित करने की आवश्यकता के साथ स्थानीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा गया है।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण विवरण :–

इस योजना के अन्तर्गत शिक्षकों को पाँच चक्र प्रशिक्षण देने की व्यवस्था जनपद शाहजहाँपुर में तीन चक्रों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। प्रथम चक्र प्रशिक्षण डायट द्वारा डायट स्तर पर तथा द्वितीय चक्र का प्रशिक्षण ब्लाक समन्वयकों द्वारा बी0आर0सी0 स्तर पर सम्पादित कराया गया तृतीय चक्र का प्रशिक्षण भी ब्लाक स्तर पर ही सम्पादित कराया गया।

प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को खुली चयन प्रतियोगिता के द्वारा डायट पर टी0ओ0टी0 के रूप में चयन किया गया तथा टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण डायट फरीदपुर बरेली व डायट लखीमपुर खीरी तथा डायट बीसलपुर जनपद पीलीभीत में प्रदान किया गया।

प्रथम चक्र प्रशिक्षण :–

" शिक्षक अभिप्रेरण प्रशिक्षण " 10 दिवसीय आयोजित किये गये। इस प्रशिक्षण का माड्यूल शिक्षकोदय था जिसका मूलस्रोत पटन बिहार डेवलेट संस्था थी। इसके बिन्दु निम्नवत् थे :–

1. शिक्षकों को अपने दायित्वों के प्रति सजग करना है।
2. शिक्षकों, बच्चों के प्रति समझ विकसित करना, बच्चों की कठिनाइयों को समझाना एवं उनके प्रति संवेदनशील बनाना।
3. शिक्षण में बच्चों की सक्रियता एवं भागीदारी बढ़ाना।
4. कक्षा का वातावरण जिज्ञासा पूर्ण एवं आकर्षण बनाना।
5. लिंग भेद दूर करना।
6. रूढ़ियों एवं परम्पराओं से हटकर शिक्षण कार्य करना।
7. सस्ती सहायक सामग्री के प्रयोग से शिक्षण में रोचकता और जागरूकता लाना।
8. गति विधि एवं खेल के माध्यम से शिक्षण कार्य को रोचक बनाना।
9. विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षण कार्य को सरल बनाना।
10. सुविधा विहीन वर्ग एवं बालिकाओं की शिक्षा में कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील बनाना।
11. स्थानीय समुदाय से सहयोग प्राप्त स्थापित करना।
12. शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य स्पष्ट सम्प्रेषण करना।

नोट :–

प्रथम चक्र के प्रशिक्षण में 2660 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया।

शिक्षण प्रशिक्षण प्रगति द्वितीय एवं तृतीय चक्र :–

शिक्षण प्रशिक्षण द्वितीय चक्र इस संस्थान द्वारा सम्पन्न कराया जा चुका है। इस प्रशिक्षण में 3401 अध्यापकों को प्रतिभाग करना था किन्तु 06 अध्यापकों के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप कुल 3395 अध्यापक इस चक्र में प्रशिक्षित किये गये।

शिक्षण प्रशिक्षण तृतीय चक्र इस संस्थान द्वारा दिनाँक 03.04.2001 से प्रारम्भ किया जाना था, किन्तु बोर्ड की परीक्षा एवं चुनावों के कारण यह प्रशिक्षण दिनाँक 07.06.2001 से प्रारम्भ किया जा सका।

तृतीय चक्र प्रशिक्षण :–

यह प्रशिक्षण 08 दिवसीय था जो ब्लाक स्तर पर समन्वयकों द्वारा सम्पादित कराया गया। इसका माड्यूल साधन है।

इस प्रशिक्षण के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार है :–

1. अभिप्रेषण प्रशिक्षण की पुनरावृत्ति।
2. द्वितीय चक्र विषयगत प्रशिक्षण की पुनरावृत्ति।
3. पाठ्य पुस्तकों का अवलोकन एवं सुझाव।
4. समेकित पाठ एवं समेकित विषयों पर चर्चा।
5. कहानी एवं कविता को शिक्षण का माध्यम बनाना।
6. आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण एवं कक्षा शिक्षण तथा समालोचना।
7. शिक्षण अधिगम,सहायक सामग्री का निर्माण।
8. बहु कक्षा शिक्षण।
9. सुलेख।
10. समय प्रबन्धन,मूल्यांकन।
11. मूल्यांकन।
12. समेकित शिक्षा।

शिक्षण प्रशिक्षण प्रगति द्वितीय एवं तृतीय चक्र :–

शिक्षण प्रशिक्षण द्वितीय चक्र इस संस्थान द्वारा सम्पन्न कराया जा चुका है। इस प्रशिक्षण में 3401 अध्यापकों को प्रतिभाग करना था किन्तु 06 अध्यापकों के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप कुल 3395 अध्यापक इस चक्र में प्रशिक्षित किये गये।

शिक्षण प्रशिक्षण तृतीय चक्र इस संस्थान द्वारा दिनाँक 03.04.2001 से प्रारम्भ किया जाना था, किन्तु बोर्ड की परीक्षा एवं चुनावों के कारण यह प्रशिक्षण दिनाँक 07.06.2001 से प्रारम्भ किया जा सका।

तृतीय चक्र प्रशिक्षण :–

यह प्रशिक्षण 08 दिवसीय था जो ब्लाक स्तर पर समन्वयकों द्वारा सम्पादित कराया गया। इसका माड्यूल साधन है।

इस प्रशिक्षण के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार है :–

1. अभिप्रेषण प्रशिक्षण की पुनरावृत्ति।
2. द्वितीय चक्र विषयगत प्रशिक्षण की पुनरावृत्ति।
3. पाठ्य पुस्तकों का अवलोकन एवं सुझाव।
4. समेकित पाठ एवं समेकित विषयों पर चर्चा।
5. कहानी एवं कविता को शिक्षण का माध्यम बनाना।
6. आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण एवं कक्षा शिक्षण तथा समालोचना।
7. शिक्षण अधिगम,सहायक सामग्री का निर्माण।
8. बहु कक्षा शिक्षण।
9. सुलेख।
10. समय प्रबन्धन,मूल्यांकन।
11. मूल्यांकन।
12. समेकित शिक्षा।

शिक्षा मित्र एवं आचार्य जी प्रशिक्षण का चार्ट

नाम	कुल संख्या	प्रशिक्षित	अवशेष
शिक्षा मित्र	904	780	124
आचार्य जी	108	104	04

स्रोत - डायट ददरौल–शाहजहाँपुर

उच्च प्राथमिक स्तर :–

उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत कोई व्यवस्था नहीं थी अतः इन शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता है।

सारिणी–9.2

विद्यालयानुसार शिक्षकों की संख्या

1.	एक शिक्षक विद्यालय	:	579
2.	दो शिक्षक विद्यालय	:	1201
3.	तीन शिक्षक विद्यालय	:	102
4.	चार शिक्षक विद्यालय	:	59

स्रोत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहाँपुर

सारिणी 9.2 ए योग्यतानुसार शिक्षकों की सं0

शैक्षिक योग्यता	प्राथमिक स्तर	उच्च प्रा0 स्तर
शिक्षकों की कुल संख्या	2694	827
हाईस्कूल से कम योग्यताधारी शिक्षक	45	शून्य
केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण	490	82
केवल इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण (प्रशि0)	65	शून्य
स्नातक अप्रशिक्षित	20	शून्य
परास्नातक अप्रशिक्षित	03	शून्य
इण्टरमीडिएट एवं प्रशिक्षित	194	523
स्नातक एवं प्रशिक्षित	477	200
परास्नातक एवं प्रशिक्षित	194	22

स्रोत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहाँपुर

शिक्षा मित्र एवं आचार्य जी प्रशिक्षण का चार्ट

नाम	कुल संख्या	प्रशिक्षित	अवशेष
शिक्षा मित्र	904	780	124
आचार्य जी	108	104	04

स्रोत – आगट ददरौल–शाहजहाँपुर

उच्च प्राथमिक स्तर :–

उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत कोई व्यवस्था नहीं थी अतः इन शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता है।

सारिणी–9.2

विद्यालयानुसार शिक्षकों की संख्या

1.	एक शिक्षक विद्यालय	:	579
2.	दो शिक्षक विद्यालय	:	1201
3.	तीन शिक्षक विद्यालय	:	102
4.	चार शिक्षक विद्यालय	:	59

स्रोत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहाँपुर।

सारिणी 9.2 ए योग्यतानुसार शिक्षकों की सं0

शैक्षिक योग्यता	प्राथमिक स्तर	उच्च प्रा0 स्तर
शिक्षकों की कुल संख्या	2694	827
हाईस्कूल से कम योग्यताधारी शिक्षक	45	शून्य
केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण	490	82
केवल इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण (प्रशि0)	65	शून्य
स्नातक अप्रशिक्षित	20	शून्य
परास्नातक अप्रशिक्षित	03	शून्य
इण्टरमीडिएट एवं प्रशिक्षित	194	523
स्नातक एवं प्रशिक्षित	477	200
परास्नातक एवं प्रशिक्षित	194	22

स्रोत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहाँपुर।

बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों, सह समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्व के सम्बन्ध में पाँच दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के सन्दर्भ मे तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतिकरण विद्यालयों एन0पी0आर0सी0 तथा बी0आर0सी0 का उनके भौतिक अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक बैठकों की समस्याओं के समाधान शिक्षण सामग्री मेले का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया गया।

बी0आर0सी0 समन्वयकों की भूमिका :--

बी0आर0सी0 द्वारा वर्तमान में प्रमुख रूप से अग्रांकित कार्य किये जा रहे है।

1. बी0आर0सी0 सन्दर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया जिसका उपयोग शिक्षक अपनी अकादमिक कठिनाइयों के समाधान हेतु करते है।
2. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन एवं फालो अप।
3. विद्यालय भ्रमण मासिक बैठकों का आयोजन,कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें फीड बैक प्रदान करते है।
4. वार्षिक कार्ययोजना तथ बजट का निर्माण कर उनका क्रियान्वयन करते है।
5. शिशु शिक्षा केन्द्र तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र का अनुश्रवण करते है।
6. एन0पी0आर0सी0 स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते है।
7. ई0एन0आई0एस0 के आंकड़ों का संकलन करते है।
8. डायट के मार्गदर्शन में विकास खण्ड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन तथा शालामानचित्रण वातावरण सृजन कार्यो का आयोजन करते है।

एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की भूमिका :--

संकुल स्तर पर शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्र बिन्दु एन0पी0आर0सी0 है। स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण में ग्राम शिक्षा समितियो का प्रशिक्षण आयोजित करना। शिक्षा के अनुभवों का स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना एन0पी0आर0सी0 समन्वयक के प्रमुख कार्य है। इसके अतिरिक्त इन समन्वयको द्वारा निष्पादित किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् है :-

1. शिक्षकों को मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु केन्द्रों का भ्रमण एवं पर्यवेक्षण करना।
3. स्कूल चलो अभियान,बाल गणना तथा ई0एन0आई0एस0 आंकड़ों का संकलन एवं टेस्ट चेकिंग।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षा योजना का विकास करना।
5. बी0आर0सी0 को सहयोग प्रदान करना बैठकों में प्रतिभाग व सूचनाओं का आदान प्रदान करना।

बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों, सह समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्व के सम्बन्ध में पाँच दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के सन्दर्भ मे तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतिकरण विद्यालयों एन0पी0आर0सी0 तथा बी0आर0सी0 का उनके भौतिक अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक बैठकों की समस्याओं के समाधान शिक्षण सामग्री मेले का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया गया।

बी0आर0सी0 समन्वयकों की भूमिका :–

बी0आर0सी0 द्वारा वर्तमान में प्रमुख रूप से अग्रांकित कार्य किये जा रहे है।

1. बी0आर0सी0 सन्दर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया जिसका उपयोग शिक्षक अपनी अकादमिक कठिनाइयों के समाधान हेतु करते है।
2. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन एवं फालो अप।
3. विद्यालय भ्रमण मासिक बैठकों का आयोजन,कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें फीड बैक प्रदान करते है।
4. वार्षिक कार्ययोजना तथ बजट का निर्माण कर उनका क्रियान्वयन करते है।
5. शिशु शिक्षा केन्द्र तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र का अनुश्रवण करते है।
6. एन0पी0आर0सी0 स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते है।
7. ई0एन0आई0एस0 के आंकड़ों का संकलन करते है।
8. डायट के मार्गदर्शन में विकास खण्ड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन तथा शालामानचित्रण वातावरण सृजन कार्यो का आयोजन करते है।

एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की भूमिका :–

संकुल स्तर पर शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्र बिन्दु एन0पी0आर0सी0 है। स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण में ग्राम शिक्षा समितियो का प्रशिक्षण आयोजित करना। शिक्षा के अनुभवों का स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना एन0पी0आर0सी0 समन्वयक के प्रमुख कार्य है। इसके अतिरिक्त इन समन्वयको द्वारा निष्पादित किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् है :–

1. शिक्षकों को मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु केन्द्रों का भ्रमण एवं पर्यवेक्षण करना।
3. स्कूल चलो अभियान,बाल गणना तथा ई0एन0आई0एस0 आंकड़ों का संकलन एवं टेस्ट चेकिंग।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षा योजना का विकास करना।
5. बी0आर0सी0 को सहयोग प्रदान करना बैठकों में प्रतिभाग व सूचनाओं का आदान प्रदान करना।

जिसमें बालकों की उपलब्धि 50.5 प्रतिशत है।
बालिकाओं की उपलब्धि 49.5 प्रतिशत है।
ग्रामीण क्षेत्र में 76.9 प्रतिशत है।
शहरी क्षेत्र में 23.1 प्रतिशत है।
एस0सी0/एस0टी0 की उपलब्धि 24.3 प्रतिशत है।
ओ0बी0सी0 में उपलब्धि 42.5 प्रतिशत है।
तथा अन्य में 33.2 प्रतिशत है।

कक्षा 1 गणित परीक्षा में छात्रों की उपलब्धि

कक्षा 1 गणित में बालकों की 50.52 प्रतिशत है।

कक्षा 1 गणित में बालिकाओं उपलब्धि 49.48 प्रतिशत है।

जिनमें शाला त्याग बालिकाओं को सम्मिलित कर योग्यतानुसार कक्षा में नामांकित कराया गया। जिससे बालिका शिक्षा और नामांकन में पर्याप्त वृद्धि हुई।

11–बेस लाइन स्टडी तथा मध्यावधि स्टडी :–

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ददरौल–शाहजहाँपुर में बी0ए0एस0 और एम0ए0एस0 के तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात् प्राइमरी शिक्षा अपेक्षित सुधार परिलिखित हुए। एम0ए0एस0 के सर्वेक्षण हेतु जलालाबाद,भावलखेड़ा,कटरा,खुदागंज,तिलहर इन चारों ब्लाकों के 40 विद्यालयों को सम्मिलित किया गया। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्र के 10 विद्यालयों को अध्ययन के लिये चयन किया गया। इसमें यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया कि आधारभूत अध्ययन,1997 के उपकरण ही 10 विद्यालय के प्रयोग किये गये।

उक्त दोनों प्रकार के अध्ययनों के आधार बनाकर डायट शाहजहाँपुर द्वारा सर्वेक्षण दल का गठन किया गया जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर सर्वेक्षण किया गया।

1. छात्रों का एम0ए0एस0 सम्प्राप्ति का मूल्यांकन :–

कक्षा 1 परधि परीक्षण में छात्रों को उपलब्धि बालक 50.5 प्रतिश,बालिका 49.5 प्रतिशत।

कक्षा 1 गणित में उपलब्धि

बालक 50.2 प्रतिशत   बालिकायें 49.48 प्रतिशत

कक्षा 4 गणित का परीक्षण

बालक 54.8 प्रतिशत   बालिकायें 45.8 प्रतिशत

कक्षा 4 भाषा परीक्षण

शब्दायी उपलब्धि 53.65 प्रतिशत पठन बोध उपलब्धि 54.03 प्रतिशत

जिसमें बालकों की उपलब्धि 50.5 प्रतिशत है।
बालिकाओं की उपलब्धि 49.5 प्रतिशत है।
ग्रामीण क्षेत्र में 76.9 प्रतिशत है।
शहरी क्षेत्र में 23.1 प्रतिशत है।
एस0सी0/एस0टी0 की उपलब्धि 24.3 प्रतिशत है।
ओ0बी0सी0 में उपलब्धि 42.5 प्रतिशत है।
तथा अन्य में 33.2 प्रतिशत है।

कक्षा 1 गणित परीक्षा में छात्रों की उपलब्धि

कक्षा 1 गणित में बालकों की 50.52 प्रतिशत है।

कक्षा 1 गणित में बालिकाओं उपलब्धि 49.48 प्रतिशत है।

जिनमें शाला त्याग बालिकाओं को सम्मिलित कर योग्यतानुसार कक्षा में नामांकित कराया गया। जिससे बालिका शिक्षा और नामांकन में पर्याप्त वृद्धि हुई।

<u>11–वेस लाइन स्टडी तथा मध्यावधि स्टडी :–</u>

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ददरौल–शाहजहाँपुर में बी0ए0एस0 और एम0ए0एस0 के तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात् प्राइमरी शिक्षा अपेक्षित सुधार परिलिखित हुए। एम0ए0एस0 के सर्वेक्षण हेतु जलालाबाद,भावलखेड़ा,कटरा,खुदागंज,तिलहर इन चारों ब्लाकों के 40 विद्यालयों को सम्मिलित किया गया। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्र के 10 विद्यालयों को अध्ययन के लिये चयन किया गया। इसमें यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया कि आधारभूत अध्ययन,1997 के उपकरण ही 10 विद्यालय के प्रयोग किये गये।

उक्त दोनों प्रकार के अध्ययनों के आधार बनाकर डायट शाहजहाँपुर द्वारा सर्वेक्षण दल का गठन किया गया जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर सर्वेक्षण किया गया।

1. <u>छात्रों का एम0ए0एस0 सम्प्राप्ति का मूल्यांकन :–</u>

कक्षा 1 परधि परीक्षण में छात्रों को उपलब्धि बालक 50.5 प्रतिश,बालिका 49.5 प्रतिशत।

कक्षा 1 गणित में उपलब्धि

बालक 50.2 प्रतिशत बालिकायें 49.48 प्रतिशत

कक्षा 4 गणित का परीक्षण

बालक 54.8 प्रतिशत बालिकायें 45.8 प्रतिशत

<u>कक्षा 4 भाषा परीक्षण</u>

शब्दायी उपलब्धि 53.65 प्रतिशत पठन बोध उपलब्धि 54.03 प्रतिशत

[illegible] शाहजहाँपुर [illegible]
बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया :–

1. शैक्षिक सम्प्राप्ति बढ़ाने के उपाय एवं क्रियाकलाप।
2. सेवारत प्रशिक्षण में सतत् मूल्यांकन की आवश्यकता।
3. अनुश्रवण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के उपाय।
4. सेवारत प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं क्षेत्र।

समस्त बिन्दुओं पर प्रकाश डालने के पश्चात निष्कर्ष एवं सम्प्राप्ति के बारे में चर्चा की गई।

[illegible]

[illegible] शाहजहाँपुर में एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया :–

1. शैक्षिक सम्प्राप्ति बढ़ाने के उपाय एवं क्रियाकलाप।
2. सेवारत प्रशिक्षण में सतत् मूल्यांकन की आवश्यकता।
3. अनुश्रवण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के उपाय।
4. सेवारत प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं क्षेत्र।

समस्त बिन्दुओं पर प्रकाश डालने के पश्चात निष्कर्ष एवं सम्प्राप्ति के बारे में चर्चा की गई।

उपरोक्त लक्ष्यों की सम्प्राप्ति के लिए आवश्यकता है कि शिक्षक कुशल एवं योग्य तथा शिक्षण प्रणाली बहुमुखी हो। इसके लिए एक ऐसी योजना बनायी जायेगी। जिसमें समाज, जनपद, ब्लाक न्याय पंचायत अभिकर्मियों क्षेत्रीय सांसद एवं विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

इस पुनीत कर्तव्य के निर्वहन के लिए डायट अहर्निशि कार्यो का कुशल संचालन एवं प्रबन्धन अपने स्तर से करेगें। चूंकि प्रशिक्षणों को आयोजित कराने का उत्तरदायित्व डायट का है इसलिए प्रा0 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की गुणवत्ता में वृद्धि करने, उनकी क्षमताओं का विकास करने, उन्हें नव अभिनव प्रणालियों से साक्षात्कार कराने हेतु पृथक–पृथक प्रशिक्षणों को डायट/बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किये जायेगें। डी0पी0ई0पी के अन्तर्गत जो प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में खामियां रह गयी थी इस दीर्घगामी रणनीति में पुनरावृत्ति नहीं होने दी जायेगी। उच्च प्रा0 विद्यालयों की अकादमिक एवं भौतिक आवश्यकताओं को गम्भीरता से लिया जायेगा साथ ही अशासकीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा 6 तथा 6–8 तक की कक्षाओं के पठन पाठन की व्यवस्था भी इसी सर्व शिक्षा अभियान के तहत किया जाना है। इनकी अकादमिक एवं भौतिक आवश्यकताओं का अध्ययन अपेक्षित है ताकि 6–8 तक की शिक्षा पल्लवित एवं पुष्पित एवं फलित हो सके। इस सम्पूर्ण कार्यक्रम की व्यवस्था करना एवं उसे सुचारू रूप से क्रियान्वित कराने का दायित्व डायट का होगा।

<u>सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रा0 शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था :–</u>

विदित हो कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सन् 1997 से एस0ओ0पी0टी0 शिक्षण सामग्री कार्यशाला,बहुकक्षा शिक्षण, मटेरियल मेला प्रदर्शनी, कक्षा शिक्षण, समय प्रबन्धन आदि विकासोन्मुख प्रशिक्षणों के माध्यम से कार्यक्षमता सम्वर्धन का कार्य डायट के माध्यम से किया गया। ये सभी कार्यक्रम इस योजनान्तर्गत भी क्रियान्वित रखे जायेगें। जिसका विवरण इस प्रकार से है :–

उपर्युक्त कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष के क्रम में जारी रहेगें। सभी कार्यक्रमों को डायट स्तर पर बी0आर0सी0 स्तर पर एवं एन0पी0आर0सी0 स्तर पर क्रियान्वित किया जायेगा। इन सभी कार्यक्रमों का एजेण्डा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ददरौल–शाहजहाँपुर द्वारा निर्मित किया जायेगा। जो कार्यक्रम सम्पादित होंगे उनका पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन डायट स्टाफ के द्वारा अविरल किया जाता रहेगा। प्राथमिक विद्यालयों में भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, अब कक्षा 3–5 तक संस्कृत एवं अंग्रेजी विषयों का भी समावेश कर दिया गया है, का सही एवं सम्यक ज्ञान बच्चों को कराने के लिए समय–समय पर सम्पूर्ण जनपद के प्राथमिक शिक्षकों को फेरों में नई विधियों एवं क्रियाकलापों पर आधारित विषय वस्तु सम्बन्धी प्रशिक्षण शिक्षकों को प्रदान किया जाता रहेगा। चूंकि प्राथमिक स्तर पर मुख्य रूप से छः विषयों का शिक्षण प्रदान किया जाता है इसलिए इस योजना में प्रथम वर्ष से सम्बन्धित, द्वितीय वर्ष गणित, तृतीय वर्ष विज्ञान, चतुर्थ वर्ष में सामाजिक विज्ञान तथा पांचवे वर्ष में अंग्रेजी व संस्कृत विषयों का अकादमिक प्रशिक्षण प्रा0 विद्यालयों के अध्यापकों को अविरल प्रदान किया जाता रहेगा। जिसका उल्लेख नीचे किया जा रहा है।

उपरोक्त लक्ष्यों की सम्प्राप्ति के लिए आवश्यकता है कि शिक्षक कुशल एवं योग्य तथा शिक्षण प्रणाली बहुमुखी हो। इसके लिए एक ऐसी योजना बनायी जायेगी। जिसमें समाज, जनपद, ब्लाक न्याय पंचायत अभिकर्मियों क्षेत्रीय सांसद एवं विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

इस पुनीत कर्तव्य के निर्वहन के लिए डायट अहर्निशि कार्यो का कुशल संचालन एवं प्रबन्धन अपने स्तर से करेगें। चूंकि प्रशिक्षणों को आयोजित कराने का उत्तरदायित्व डायट का है इसलिए प्रा0 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की गुणवत्ता में वृद्धि करने, उनकी क्षमताओं का विकास करने, उन्हें नव अभिनव प्रणालियों से साक्षात्कार कराने हेतु पृथक–पृथक प्रशिक्षणों को डायट / बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किये जायेगें। डी0पी0ई0पी के अन्तर्गत जो प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में खामियां रह गयी थी इस दीर्घगामी रणनीति में पुनरावृत्ति नहीं होने दी जायेगी। उच्च प्रा0 विद्यालयों की अकादमिक एवं भौतिक आवश्यकताओं को गम्भीरता से लिया जायेगा साथ ही अशासकीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा 6 तथा 6 8 तक की कक्षाओं के पठन पाठन की व्यवस्था भी इसी सर्व शिक्षा अभियान के तहत किया जाना है। इनकी अकादमिक एवं भौतिक आवश्यकताओं का अध्ययन अपेक्षित है ताकि 6–8 तक की शिक्षा पल्लवित एवं पुष्पित एवं फलित हो सके। इस सम्पूर्ण कार्यक्रम की व्यवस्था करना एवं उसे सुचारु रूप से क्रियान्वित कराने का दायित्व डायट का होगा।

<u>सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रा0 शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था :–</u>

विदित हो कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सन् 1997 से एस0ओ0पी0टी0 शिक्षण सामग्री कार्यशाला,बहुकक्षा शिक्षण, मटेरियल मेला प्रदर्शनी, कक्षा शिक्षण, समय प्रबन्धन आदि विकासोन्मुख प्रशिक्षणों के माध्यम से कार्यक्षमता सम्वर्धन का कार्य डायट के माध्यम से किया गया। वे सभी कार्यक्रम इस योजनान्तर्गत भी क्रियान्वित रखे जायेगें। जिसका विवरण इस प्रकार से है :–

उपर्युक्त कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष के क्रम में जारी रहेगें। सभी कार्यक्रमों को डायट स्तर पर बी0आर0सी0 स्तर पर एवं एन0पी0आर0सी0 स्तर पर क्रियान्वित किया जायेगा। इन सभी कार्यक्रमों का एजेण्डा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ददरौल–शाहजहाँपुर द्वारा निर्मित किया जायेगा। जो कार्यक्रम सम्पादित होंगे उनका पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन डायट स्टाफ के द्वारा अविरल किया जाता रहेगा। प्राथमिक विद्यालयों में भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, अब कक्षा 3–5 तक संस्कृत एवं अंग्रेजी विषयों का भी समावेश कर दिया गया है, का सही एवं सम्यक ज्ञान बच्चों को कराने के लिए समय–समय पर सम्पूर्ण जनपद के प्राथमिक शिक्षकों को फेरों में नई विधियों एवं क्रियाकलापों पर आधारित विषय वस्तु सम्बन्धी प्रशिक्षण शिक्षकों को प्रदान किया जाता रहेगा। चूंकि प्राथमिक स्तर पर मुख्य रूप से छः विषयों का शिक्षण प्रदान किया जाता है इसलिए इस योजना में प्रथम वर्ष से सम्बन्धित, द्वितीय वर्ष गणित, तृतीय वर्ष विज्ञान, चतुर्थ वर्ष में सामाजिक विज्ञान तथा पांचवे वर्ष में अंग्रेजी व संस्कृत विषयों का अकादमिक प्रशिक्षण प्रा0 विद्यालयों के अध्यापकों को अविरल प्रदान किया जाता रहेगा। जिसका उल्लेख नीचे किया जा रहा है।

इस महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना के तृतीय वर्ष में विज्ञान विषय पर प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों का ध्यान आकृष्ट किया जायेगा। इस विषय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए सभी शिक्षकों में विज्ञान के प्रति अभिरूचि जागृत करनी होगी, क्योंकि इस समय आवश्यकता अनुभव की गई कि कक्षा में केवल शिक्षक मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए शिक्षण कार्य सम्पादित करेगें। विज्ञान प्रशिक्षण के अन्तर्गत, बच्चों के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी ध्यान मे रखना होगा। शिक्षक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह बालक की अभिरूचियों को समझे और उनके मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए यदि सम्भव हो सके शिक्षण में केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही अपनावे। इस दृष्टि से शिक्षकों को मनोविज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण भी प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके लिए डायट स्टाफ द्वारा एक 3 दिवसीय प्रशिक्षण 14 ब्लाकों के एक–एक शिक्षक को डायट स्तर पर डायट प्रवक्ताओं के द्वारा प्रदान किया जायेगा। यही शिक्षक टी0ओ0टी0 के रूप में बी0आर0सी0 स्तर पर शिक्षकों को मनोविज्ञान सम्बन्धी अभिनव जानकारियाँ तीन दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से बी0आर0सी0 स्तर पर प्रदान करेगें। यह प्रशिक्षण बच्चों की अभिरूचियों के अनुसार होने के कारण उनको लाभान्वित करेगा। साथ ही विज्ञान किट के माध्यम से नवीन पद्धतियों की जानकारी हेतु डायट स्तर पर प्रत्येक ब्लाक के एक–एक विज्ञान शिक्षक को या वे शिक्षक जो इण्टरमीडियट तक विज्ञान है इस प्रशिक्षण में प्रतिभाग करेगें। यह प्रशिक्षण डायट प्रवक्ताओं के द्वारा प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षित टी0ओ0टी0, बी0आर0सी0 स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगें। इसके लिए 70/– रू0 प्रति प्रतिभागी को दर से लगभग 20 लाख रूप प्रस्तावित है।

सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के चतुर्थ वर्ष में सामाजिक विषय का प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह विषय बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए प्रा0 स्तर समाहित किया गया है। इस विषय के अन्तर्गत, बच्चों को इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र,अर्थशास्त्र,समाजशास्त्र तथा संस्कृत से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की जायेगी, इसके द्वारा बच्चों में संवेदनशीलता विकसित होती है। साथ ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी उक्त विषय के माध्यम से प्राप्त करता है बच्चा अपने चारों ओर फैले वातावरण से परिचित होना चाहता है। अतः सामाजिक विषय का अभीष्ट ज्ञान उनके नैतिक, सामाजिक, एवं सांस्कृतिक विकास हेतु आवश्यक है इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सामाजिक विषय का पाँच दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रत्येक ब्लाक के दो–दो शिक्षकों को प्रदान किया जायेगा यही शिक्षक बी0आर0सी0 स्तर पर ब्लाक के समस्त शिक्षकों को फेरों में सामाजिक विषय का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इस के लिए प्रतिभागी की दर से 70/– रू0 प्रतिदिन के हिसाब से 84 लाख रूपये प्रस्तावित किये जाते है।

इस महत्वाकांक्षी योजना के पांचवे वर्ष अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों की जानकारी शिक्षकों को प्रदान की जायेगी। इस हेतु प्रत्येक ब्लाक के एक अंग्रेजी तथा एक संस्कृत शिक्षक (जिनके पास इण्टर स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत) को तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किये जायगें। इसके अन्तर्गत आज के युग में अंग्रेजी एवं संस्कृत विषय के महत्व को स्पष्ट किया जायेगा, तथा अंग्रेजी एवं संस्कृत पाठों का प्रस्तुतीकरण कक्षा शिक्षण का प्रशिक्षण डायट के योग्य प्रवक्ताओं द्वारा किया जायेगा। तत्पश्चात बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 स्तर पर यह प्रशि0 टी0ओ0टी0 के माध्यम से जनपद के सभी शिक्षकों को प्रदान किया जायेगा। इस हेतु 70/– रूपये प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन के हिसाब से 84 लाख रूपये प्रस्तावित है।

इस महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना के तृतीय वर्ष में विज्ञान विषय पर प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों का ध्यान आकृष्ट किया जायेगा। इस विषय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए सभी शिक्षकों में विज्ञान के प्रति अभिरूचि जागृत करनी होगी, क्योंकि इस समय आवश्यकता अनुभव की गई कि कक्षा में केवल शिक्षक मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए शिक्षण कार्य सम्पादित करेगें। विज्ञान प्रशिक्षण के अन्तर्गत, बच्चों के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी ध्यान मे रखना होगा। शिक्षक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह बालक की अभिरूचियों को समझे और उनके मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए यदि सम्भव हो सके शिक्षण में केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही अपनाते। इस दृष्टि से शिक्षकों को मनोविज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण भी प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके लिए डायट स्टाफ द्वारा एक 3 दिवसीय प्रशिक्षण 14 ब्लाकों के एक–एक शिक्षक को डायट स्तर पर डायट प्रवक्ताओं के द्वारा प्रदान किया जायेगा। यही शिक्षक टी0ओ0टी0 के रूप में बी0आर0सी0 स्तर पर शिक्षकों को मनोविज्ञान सम्बन्धी अभिनव जानकारियाँ तीन दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से बी0आर0सी0 स्तर पर प्रदान करेगें। यह प्रशिक्षण बच्चों की अभिरूचियों के अनुसार होने के कारण उनकों लाभान्वित करेगा। साथ ही विज्ञान किट के माध्यम से नवीन पद्धतियों की जानकारी हेतु डायट स्तर पर प्रत्येक ब्लाक के एक–एक विज्ञान शिक्षक को या वे शिक्षक जो इण्टरमीडियट तक विज्ञान है इस प्रशिक्षण में प्रतिभाग करेगें। यह प्रशिक्षण डायट प्रवक्ताओं के द्वारा प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षित टी0ओ0टी0, बी0आर0सी0 स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगें। इसके लिए 70/– रू0 प्रति प्रतिभागी की दर से लगभग 20 लाख रूप प्रस्तावित है।

सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के चतुर्थ वर्ष में सामाजिक विषय का प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह विषय बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए प्रा0 स्तर समाहित किया गया है। इस विषय के अन्तर्गत, बच्चों को इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र,अर्थशास्त्र,समाजशास्त्र तथा संस्कृत से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की जायेगी, इसके द्वारा बच्चों में संवेदनशीलता विकसित होती है। साथ ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी उक्त विषय के माध्यम से प्राप्त करता है बच्चा अपने चारों ओर फैले वातावरण से परिचित होना चाहता है। अतः सामाजिक विषय का अभीष्ट ज्ञान उनके नैतिक, सामाजिक, एवं सांस्कृतिक विकास हेतु आवश्यक है इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सामाजिक विषय का पाँच दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रत्येक ब्लाक के दो–दो शिक्षकों को प्रदान किया जायेगा। यही शिक्षक बी0आर0सी0 स्तर पर ब्लाक के समस्त शिक्षकों को फेरों में सामाजिक विषय का प्रशिक्षण प्रदान करेगें। इस के लिए प्रतिभागी की दर से 70/– रू0 प्रतिदिन के हिसाब से 84 लाख रूपये प्रस्तावित किये जाते है।

इस महत्वाकांक्षी योजना के पांचवे वर्ष अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों की जानकारी शिक्षकों को प्रदान की जायेगी। इस हेतु प्रत्येक ब्लाक के एक अंग्रेजी तथा एक संस्कृत शिक्षक (जिनके पास इण्टर स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत) को तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किये जायगें। इसके अन्तर्गत आज के युग में अंग्रेजी एवं संस्कृत विषय के महत्व को स्पष्ट किया जायेगा, तथा अंग्रेजी एवं संस्कृत पाठों का प्रस्तुतीकरण कक्षा शिक्षण का प्रशिक्षण डायट के योग्य प्रवक्ताओं द्वारा किया जायेगा। तत्पश्चात बी0आर0सी0 एंव एन0पी0आर0सी0 स्तर पर यह प्रशि0 टी0ओ0टी0 के माध्यम से जनपद के सभी शिक्षकों को प्रदान किया जायेगा। इस हेतु 70/– रूपये प्रति प्रतिभागी–प्रतिदिन के हिसाब से 84 लाख रूपये प्रस्तावित है।

बी0आर0सी0 स्तर पर क्रियान्वित किये जायेगे। साथ ही इसके टी0ओ0टी0 अलग से नियुक्त किये जायेगें। टी0ओ0टी0 नियुक्ति के लिए वे शिक्षक अर्ह होगें जो कक्षा 6 से 8 तक शिक्षण कर रहे हैं। तथा जिनकी शैक्षिक योग्यता स्नातक स्तर से कम न हो।

उच्च प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रथम वर्ष विज्ञान एवं गणित विषयों के प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगे। जिसमें उच्च प्राथमिक विद्यालयों के तथा मान्यता प्राप्त शासकीय तथा अशासकीय एवं वित्तविहीन मान्यता पाप्त विद्यालयों के गणित एवं विज्ञान विषय के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था डायट स्तर पर की जायेगी। जिसमें पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठों का प्रस्तुतीकरण पाठयोजना सम्बन्धित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण विज्ञान एवं गणित किट का प्रदर्शन विज्ञान एवं गणित की अभिनव जानकारियाँ विज्ञान एवं गणित को सरलता से समझाने के लिए नवीन सूत्रों आदि के विषय में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस प्रशिक्षणों के फालो अप डायट द्वारा तैयार किये जायेंगे। इसके बाद विज्ञान एवं गणित की कार्यशालाऐं बी0आर0सी0 स्तर पर भी आयोजित की जायेगी। इस प्रशिक्षण की अवधि दो दिवसीय होगी। तथा एक दिवसीय मटेरियल मेले का आयोजन भी बी0आर0सी0 स्तर पर किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों पर 70/-- रू0 प्रति प्रतिभागी की दर से रू0 25 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष शिक्षकों को भाषा हिन्दी एंव सामाजिक विषय का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा इसमें हिन्दी एंव सामाजिक विषय के पाठ्यक्रम पाठय पुस्तकों के तथ्य का आदर्श प्रस्तुतीकरण पाठ निर्माण योजना तथा सम्बन्धित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक पाँच दिवसीय कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। जिसमें प्रत्येक विद्यालय के कम से कम दो शिक्षक प्रतिभाग करेगें। भाषा के अन्तर्गत भाषा सुधार हेतु डायट हिन्दी भाषा संस्थान वाराणसी से संपर्क करके वर्तनी सुधार शुद्ध उच्चारण लोकोक्तियों एवं मुहावरों के प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय का अनुप्रयो, हिन्दी गद्य की विभिन्न विधाओं जैसे निबन्ध,नाटक,उपन्यास,कहानी,आलोचना,रिपोताज़,जीवनी,आत्मकथा आदि गद्य विधाओं की जानकारी के साथ सुलेख सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी। सामाजिक विषय के अन्तर्गत चूंकि सभी विषय (इति0,भूगो0,नाग0,अर्थ0समाज0) सम्मिलित किये गये है। यह विषय समाज से सम्बद्ध होने के कारण बच्चों के नैतिक एवं सार्वभौमिक विकास में सहायक है। अतः सामाजिक विषय के लिए भी सर्व प्रथम डायट स्तर पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान कर टी0ओ0टी0 तैयार किय जायेगे। प्रशिक्षण के अन्तर्गत इतिहास,भूगोल,अर्थशास्त्र एवं नागरिक शास्त्र एवं समाजशास्त्र विषयों के विशेषज्ञों से सम्पर्क कर आवश्यक सहायक सामग्री का निर्माण कराया जायेगा। तथा उक्त विषयों सम्बन्धी आवश्यक नवीन गतिविधियों से भी परिचित कराया जायेगा। द्वितीय वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षणों पर 70/-- रू0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 25 लाख रूपये प्रस्तावित है।

सर्व शिक्षा अभियान के तृतीय चरण में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय हेतु प्रशि0 प्रदान करने की व्यवस्था डायट द्वारा की जायेगी। वह प्रशिक्षण छः दिवसीय होगा जो डायट के प्रवक्ताओं द्वारा प्रदान किया जायेगा। इसके अन्तर्गत अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के बारे में उनके आधुनिक समय में महत्व का प्रतिपादन किया जायेगा। क्योंकि सरकार ने उच्च प्राथमिक स्तर पर एक विदेशी भाषा तथा एक

बी0आर0सी0 स्तर पर क्रियान्वित किये जायेगे। साथ ही इसके टी0ओ0टी0 अलग से नियुक्त किये जायेगें। टी0ओ0टी0 नियुक्ति के लिए वे शिक्षक अर्ह होगें जो कक्षा 6 से 8 तक शिक्षण कर रहे है। तथा जिनकी शैक्षिक योग्यता स्नातक स्तर से कम न हो।

उच्च प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रथम वर्ष विज्ञान एवं गणित विषयों के प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगे। जिसमें उच्च प्राथमिक विद्यालयों के तथा मान्यता प्राप्त शासकीय तथा अशासकीय एवं वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के गणित एवं विज्ञान विषय के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था डायट स्तर पर की जायेगी। जिसमें पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठों का प्रस्तुतीकरण पाठयोजना सम्बन्धित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण विज्ञान एवं गणित किट का प्रदर्शन विज्ञान एवं गणित की अभिनव जानकारियाँ विज्ञान एवं गणित को सरलता से समझाने के लिए नवीन सूत्रों आदि के विषय में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस प्रशिक्षणों के फालो अप डायट द्वारा तैयार किये जायेंगे। इसके बाद विज्ञान एवं गणित की कार्यशालाएें बी0आर0सी0 स्तर पर भी आयोजित की जायेगीं। इस प्रशिक्षण की अवधि दो दिवसीय होगी। तथा एक दिवसीय मटेरियल मेले का आयोजन भी बी0आर0सी0 स्तर पर किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों पर 70/— रू0 प्रति प्रतिभागी की दर से रू0 25 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष शिक्षकों को भाषा हिन्दी एंव सामाजिक विषय का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा इसमें हिन्दी एंव सामाजिक विषय के पाठ्यक्रम पाठय पुस्तकों के पाठ का आदर्श प्रस्तुतीकरण पाठ निर्माण योजना तथा सम्बन्धित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक पाँच दिवसीय कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। जिसमें प्रत्येक विद्यालय के कम से कम दो शिक्षक प्रतिभाग करेगें। भाषा के अन्तर्गत भाषा सुधार हेतु डायट हिन्दी भाषा संस्थान वाराणसी से संपर्क करके वर्तनी सुधार शुद्ध उच्चारण लोकोक्तियों एवं मुहावरों के प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय का अनुप्रयो, हिन्दी गद्य की विभिन्न विधाओं जैसे निबन्ध,नाटक,उपन्यास,कहानी,आलोचना,रिपोताज़,जीवनी,आत्मकथा आदि गद्य विधाओं की जानकारी के साथ सुलेख सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी। सामाजिक विषय के अन्तर्गत चूंकि सभी विषय (इति0,भूगो0,नाग0,अर्थ0समाज0) सम्मिलित किये गये है। यह विषय समाज से सम्बद्ध होने के कारण बच्चों के नैतिक एवं सार्वभौमिक विकास में सहायक है। अतः सामाजिक विषय के लिए भी सर्व प्रथम डायट स्तर पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान कर टी0ओ0टी0 तैयार किये जायेगे। प्रशिक्षण के अन्तर्गत इतिहास,भूगोल,अर्थशास्त्र एवं नागरिक शास्त्र एवं समाजशास्त्र विषयों के विशेषज्ञों से सम्पर्क कर आवश्यक सहायक सामग्री का निर्माण कराया जायेगा। तथा उक्त विषयों सम्बन्धी आवश्यक नवीन गतिविधियों से भी परिचित कराया जायेगा। द्वितीय वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षणों पर 70/— रू0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 25 लाख रुपये प्रस्तावित है।

सर्व शिक्षा अभियान के तृतीय चरण में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय हेतु प्रशि0 प्रदान करने की व्यवस्था डायट द्वारा की जायेगी। वह प्रशिक्षण छः दिवसीय होगा जो डायट के प्रवक्ताओं द्वारा प्रदान किया जायेगा। इसके अन्तर्गत अंग्रेज़ी तथा संस्कृत विषयों के बारे में उनके आधुनिक समय में महत्व का प्रतिपादन किया जायेगा। क्योंकि सरकार ने उच्च प्राथमिक स्तर पर एक विदेशी भाषा तथा एक

प्रजातांत्रिक भावना विकसित करने हेतु प्रशिक्षण :–

भारत एक प्रजातांत्रिक देश है अतः उक्त विषय में उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जानकारी अपरिहार्य है क्योंकि कक्षाओं में मानीटरों (कक्षानायकों) की नियुक्ति प्रजातांत्रिक ढंग से ही होती है तथा विद्यालय में बच्चों की सरकार गठित की जाये जिसके लिए बच्चों मे प्रजातांत्रिक जानकारी पैदा करने हेतु एक 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में प्रत्येक बी0आर0सी0 को प्रदान किया जायेगा। बी0आर0सी0 यह प्रशिक्षण उच्च प्रा0 विद्यालयों के शिक्षकों को प्रदान करेगें। इस हेतु एक दो दिवसीय कार्यशाला बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी। जिसका निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण डायट द्वारा किया जायेगा।

सर्व शिक्षा योजनान्तर्गत शिक्षा मित्र एवं आचार्य जी प्रशिक्षण :–

सर्व शिक्षा के अन्तर्गत नये आचार्य जी तथा शिक्षा मित्रों की नियुक्ति होगी इन नवनियुक्त आचार्य जी तथा शिक्षा मित्रों को 30 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर तथा डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत नियुक्त पूर्व शिक्षा मित्रों को 10 दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण डायट स्तर पर किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने हेतु डायट की भूमिका

बेसिक शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन हेतु सन् 1992 में डायट की स्थापना की गयी थी डायट को सात विभागों में विभाजित किया गया था। जिससे कि बेसिक शिक्षा के प्रत्येक पहलू को स्पर्श किया जा सके। प्राथमिक शिक्षा में तो अपेक्षित सुधार नहीं हो सके तथा उच्च प्रा0 विद्यालय पूर्णतया उपेक्षित रहे।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शैक्षिक कठिनाइयों के निराकरण हेतु एक्शन रिसर्च का कार्य सम्पादित करता है इसके अन्तर्गत उन कठिनाइयों को सरलता से हल किया जा सकता है। शिक्षकों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करने के लिए टेस्ट आयोजित करेगा तथा उसके कुछ शिक्षकों को पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विषय वस्तु का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिक्षकों को अकादमिक सपोर्ट प्रदान करने उनमें गुणवत्ता सम्वर्धन करने का कार्य सम्पादित करता है इसके अन्तर्गत बी0आ0सी0 एंव एन0पी0आर0सी0 को समय–समय पर आवश्यक मार्गदर्शन करता है। वैकल्पिक शिक्षा के अभिकर्मियों एवं ई0सी0सी0 प्रशिक्षण तथा समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण देने का प्रमुख स्रोत है। प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास का कार्य डायट ही के निर्देशन में निम्नवत् सम्पादित होता है :–

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग।
2. बहुकक्षा शिक्षण किस प्रकार से किया जाय।
3. बच्चों के सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चों का सहयोग।
4. कक्षा प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके।
5. बच्चों की विद्यालय में अनुपस्थिति के कारणों का अध्ययन।

आंकड़े का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग

आंकड़े से जिला/ ब्लाक/गाँव/विद्यालय की मूलभूत समस्या एवं उनकी आवश्यकताओं की जानकारी उपलब्ध होती है इससे जनपदवार, ब्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार तथा लिंगवार, बच्चों की संख्या का अध्ययन किया जा सकता है।

मूल्यांकन प्रणाली

छात्रों के मासिक,वार्षिक,अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के मूल्यांकन की वर्तमान प्रणाली के उचित होने के बावजूद सुधार अपेक्षित है। कक्षा 5 की परीक्षा एन0पी0आर0सी0 स्तर पर तथा कक्षा 8 की परीक्षायें बी0आर0सी0 स्तर पर करायी जाये। मूल्यांकन की व्यवस्था डायट स्तर पर हो तथा प्रश्नपत्रों का निर्माण भी डायट स्तर पर होना चाहिये।

प्रशिक्षण कार्यक्रम विवरण

क्र0 सं0	वर्ग	क्रमांक	प्रशिक्षण का नाम	प्रतिभागी	प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षण अवधि
01	डायट संकाय एवं डी0पी0ओ0	01	मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण प्रशिक्षण	समस्त डायट संकाय तथा जिला परियोजना कार्यालय के अधि0	डायट	03 दिन
		02	शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण प्रशिक्षण	डायट संकाय एवं जिला परियोजना कार्यालय के समस्त अधिकारी	डायट	03 दिन
		03	अकादमिक क्षमता विकास कार्यशाला	डायट संकाय डी0पी0ओ0	डायट	05 दिन
		04	समेकित शिक्षा	डायट संकाय एवं जिला समन्वयक	डायट	02 दिन
02	सहायक बेसिक शिक्षा अधि0 / एस0डी0आई0 / ब्लाक-समन्वयक सह-समन्वयक एवं एन0पी0आर0 सी0सी0	05	मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण प्रशि0	ए0बी0एस0ए0 / एस0डी0आई0 ब्लाक समन्वयक, सहसमन्वयक न्याय पंचायत प्रभारी	डायट	03 दिन
		06	वैकल्पिक शिक्षा के पर्यवेक्षण प्रशि0	ए0बी0एस0ए0 / एस0डी0आई0 ब्लाक समन्वयक, सहसमन्वयक एन0 पी0आर0सी0सी0	डायट	03 दिन
		07	कम्प्यूटर प्रशि0	ए0बी0एस0ए0 / एस0डी0आई0 / ब्लाक समन्वयक, सहसमन्वयक	डायट	30 दिन

		08	शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण प्रशिक्षण	ए0बी0एस0ए0 / एस0डी0आई0 ब्लाक समन्वयक, सहसमन्वयक न्याय पंचायत प्रभारी	डायट	03 दिन
		09	अकादमिक क्षमता विकास कार्यशाला	उपरोक्त	डायट	03 दिन
		10	समयप्रबन्धन एवं मूल्यांकन प्रशि0	उपरोक्त	डायट	03 दिन
		11	समेकित शिक्षा	उपरोक्त	डायट	02 दिन
		12	विद्यालय श्रेणीकरण प्रशिक्षण	उपरोक्त	डायट	
03	प्रशिक्षक प्रशि0	13	सेवारत शिक्षक प्रशि0 हेतु प्रशिक्षक का प्रशि0	चयनित प्रशिक्षक	डायट	10 दिन
		14	शिक्षा मित्र/आचार्य के प्रशिक्षार्थ प्रशि0	चयनित प्रशिक्षक	डायट	10 दिन
		15	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों हेतु प्रशि0	चयनित प्रशिक्षक	डायट	10 दिन
		16	संस्कृत/अंग्रेजी शिक्षण हेतु प्रशि0	चयनित प्रशिक्षक	डायट	05 दिन
		17	उर्दू शिक्षण हेतु प्रशि0	" "	डायट	02 दिन
		18	ई0सी0सी0ई0केन्द्रों के कार्यकत्री हेतु प्रशि0 प्रशिक्षक	" "	डायट	10 दिन
		19	सामुदायिक सहभागिता हेतु प्रशिक्षकों का प्रशि0	" "	डायट	03 दिन
		20	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षक प्रशिक्षित (विषय से सम्बन्धित)	" "	डायट	05 दिन
04	प्रधानाध्यापक प्रशिक्षण	21	सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन	समस्त उच्च प्रा0 एवं प्रा0वि0के प्रधानाध्यापक / इ0प्र0अ0	डायट	03 दिन

		22	प्रशासनिक एवं समय प्रबन्धन प्रशि0 एवं विद्यालय विकास	उपरोक्त	डायट	05 दिन
05	समस्त उच्च प्रा0वि0के अध्यापक	23	शिक्षक प्रशिक्षण (विषय वस्तु आधारित)	समस्त उ0प्रा0 एवं प्रा0वि0के समस्त अध्यापक एवं शिक्षा मित्र	बी0आर0सी0	08 दिन
		24	संस्कृत/अंग्रेजी शिक्षण प्रशिक्षण	विषय सम्बन्धित अध्यापक उ0प्रा0 एवं प्रा0	उपरोक्त	05 दिन
		25	उर्दू शिक्षकों का प्रशि0	उ0प्रा0 एवं प्रा0वि0 के विषय अध्यापक	उपरोक्त	02 दिन
		26	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण हेतु प्रशि0	एन0पी0आर0सी0 के समस्त प्रा0 एवं उ0प्रा0 के अध्यापक	एन0पी0 आर0सी0	01 दिन
		27	" " "	समस्त ब्लाक के स्तर के प्रा0 एवं सी0 प्रा0वि0के शिक्षक	बी0आर0 सी0	02 दिन
		28	" " "	ब्लाक स्तर के चयनित शिक्षक प्रा0एवं उ0प्रा0	डायट	02 दिन
		29	कार्यानुभव प्रशि0	उ0प्रा0 एवं प्रा0वि0 के समस्त अध्यापक	बी0आर0 सी0	03 दिन
		30	समेकित शिक्षा	उपरोक्त	उपरोक्त	दिन
		31	दृश्यश्रवय सामग्री	उपरोक्त	उपरोक्त	02 दिन
06	शिक्षा मित्र/आचार्य वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशक	32	शिक्षा मित्र/आचार्य अनुदेशक 1. आधारभूत 2. नवीनीकरण	समस्त शिक्षा मित्र/आचार्य एवं अनु0 1. आधारभूत 2. नवीनीकरण	बी0आर0 सी0	 30 दिन 15 दिन
07.	ई0सी0सी0ई0 कार्यकत्री एवं सहयिका	33	ई0सी0सी0ई0 कार्यकत्री एवं सहायिका का प्रशि0	कार्यकत्री एवं सहयिका (ई0सी0सी0ई0)	बी0आर0 सी0	02 दिन
08	सामुदायिक प्रशि0	34	सामुदायिक सहभागिता सहयोग हेतु प्रशि0	समस्त ग्राम प्रधान बहुदेशीय कर्मी ई0सी0सी0ई0, सुपरवाइजर	एन0पी0 आर0सी0	02 दिन

35	उपरोक्त	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	ग्राम पंचायत स्तर पर	02 दिन
36	एम0टी0ए0 / पी0 टी0ए0डब्लू0एस0जी0 प्रशिक्षण	सदस्य	विद्यालय स्तर पर	02 दिन

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण ददरौल,शाहजहाँपुर की क्षमता सम्वर्धन

क्र0सं0	मद	सृजित पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
01.	प्राचार्य	01	---	01
02.	उपप्राचार्य	01	01	----
03.	वरिष्ठ प्रवक्ता	06	02	04
04.	प्रवक्ता	17	06	11
05.	कार्यानुभव शिक्षक	01	01	----
06.	तकनीकी सहायक	01	01	----
07.	साँख्यिकीकार	01	---	01
08.	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	---	01
09.	कार्यालय अधीक्षक	01	----	01
10.	लेखाकार	01	---	01
11.	आशुलिपिक	01	01	----
12.	कनिष्ठ लिपिक	09	09	----
13.	प्रयोगशाला सहायक	02	02	----
14.	परिचारक	05	04	01

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण ददरौल,शाहजहाँपुर का सुदृणीकरण

मानक के अनुसार जितने कक्षों की कमी है—उनका निर्माण

01.	एक कक्ष का निर्माण	1.00	लाख
02.	कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण	0.80	लाख
03.	छात्राध्यापक / छात्राध्यापिकाओं के लिए प्रसाधन कक्ष	0.30	लाख
04.	शिक्षक / शिक्षिकाओं के लिए प्रसाधन कक्ष	0.15	लाख
05.	प्राचार्य / कार्यालय से सम्बद्ध प्रसाधन कक्ष	0.15	लाख
06.	दो इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प	0.35	लाख
07.	खेलों के लिए क्रीड़ा कक्ष	1.50	लाख
08.	छात्रावास का जीर्णोधार	15.00	लाख
09.	छात्राध्यापिकाओं के छात्रावास का जीर्णोधार	10.00	लाख
10.	एक पुस्तकालय कक्ष का निर्माण	1.00	लाख
		30.25	लाख

उपकरण / साज सज्जा

01.	कम्प्यूटर (6) प्रिन्टर्स	9.0	लाख
02.	पुस्तकालय हेतु पुस्तक,रैंक,कुर्सी मेज	1.5	लाख
03.	वाटर कूलर तथा डूबलीकेटर मशीन	1.0	लाख
04.	फर्नीचर	1.0	लाख
		12.5	लाख

आवर्तक अनुदान

01.	क्रियात्मक शोध एवं अध्ययन	2.00	लाख	(प्रतिवर्ष)
02.	प्रकाशन एवं मुद्रण	1.00	लाख	"
03.	कार्यशालाएं सेमिनार	2.00	लाख	"
04.	कन्टेन्जेन्सी फण्ड	1.00	लाख	"
05.	रख रखाव	0.50	लाख	
		6.5	लाख	"

इस प्रकार प्राथमिक तथा उच्च प्रा0 शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में गुणात्मक उन्नयन करके सर्व शिक्षा अभियान में डायट ददरौल,शाहजहाँपुर महत्वपूर्ण योगदान करेगा।

परियोजना क्रियान्वयन एवम् अनुश्रवण

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की कार्यावधि समाप्त होने के पश्चात जनपद शाहजहाँपुर में सर्व शिक्षा अभियान को सम्पूरक व्यवस्था के रूप में लागू किये जाने के प्रस्ताव हैं। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2007 तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस योजना को चलाया जायेगा। कुल मिलाकर इसकी अवधि वर्ष 2001 से 2007 तक होगी। इस अवधि में 6 से 14 वय वर्ग के सभी बालक/बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना के सभी कार्यक्रम एवम् उनका प्रबन्धन उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त प्रशासनिक पर्यवेक्षण क्षमता एवम् प्रबन्धन कौशल विकसित किये जाने का लक्ष्य है। परियोजना का प्रबन्धन टीम भावना पर आधारित होगा एवम् व्यक्तिगत दक्षता प्रदर्शित करने के समुचित अवसर उपलब्ध होगें। प्रबन्धन लोकतान्त्रिक विद्या पर आधारित होगा। इससे यह अपेक्षा होगी कि सामुदायिक सहभागिता एवम् जनसक्रियता के माध्यम से कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाए। प्रबन्धन त्रिस्तरीय होगा जनपद स्तर, विकास खण्ड स्तर तथा न्याय पंचायत स्तर तक प्रबन्धकीय कौशल का उपयोग किया जायेगा। योजना है कि ग्राम स्तर तक एवम् मजरों के स्तर तक कार्यदायी व्यक्तियों की प्रतिबद्धता एवम् सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

<u>प्रबन्धतन्त्र एक संवेदनशील एवम् उदार प्रणाली :–</u>

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामुदायिक सहभागिता का विशेष महत्व है एवं इसके लिए एक विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबन्धन प्रणाली विकसित की जायेगी। इस अति महत्वाकांक्षी योजना के सम्पादन के लिए प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में लचीलापन लाया जायेगा प्रत्येक व्यक्ति के जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी तथा वित्तीय निवेशों को अबाध प्रवाह प्रदान करने के लिए उ0प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबन्धतन्त्र तैयार किया है जिसे निम्नवत् दर्शाया जा रहा है :–

परियोजना की निर्णायक समितियाँ

सहायक अकादमिक संस्थाएं	सर्व शिक्षा अभियान की प्रबन्धन पंक्ति
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद।	राज्य परियोजना कार्यालय
1 एस0सी0ई0आर0टी0	स्वयं सेवी संस्थायें
2 सीमैट	जिला परियोजना कार्यालय
3. एस0आई0ई0टी0	खण्ड शिक्षा अधिकारी
4. जिला शिक्षा परियोजना समिति	ब्लाक संसाधन केन्द्र
5. डायट	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र
6. क्षेत्र विकास समिति	विद्यालय प्रधानाध्यापक
7. ग्राम शिक्षा समिति	विद्यालय सहायक अध्यापक

ग्राम शिक्षा समिति :–

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त क्रियाकलापों के संचालन के लिए उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया है। इस समिति का स्वरूप निम्नवत् है :–

1. ग्राम पंचायत का प्रधान ग्राम शिक्षा समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।
2. ग्राम पंचायत में स्थित प्राथमिक विद्यालय अथवा उसकी प्रादेशिक सीमाओं में स्थित सभी प्राथमिक विद्यालयों में से ज्येष्ठतम् प्रधानाध्यापक ग्राम शिक्षा समिति का पदेन सचिव होगा।
3. प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के तीन अभिभावकों (जिसमें महिला, अवश्य होगी) सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सदस्य नामित किये जायेगें।

ग्राम शिक्षा के अधिकार एवं दायित्व :– ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का संचालन एवं सम्पादन करेगी –

1. ग्राम पंचायत में स्थित प्राथमिक विद्यालयों के संचालन हेतु सामुदायिक सहयोग सुनिश्चित करना,प्रशासनिक नियन्त्रण करना एवं प्रबन्धन करना।
2. विद्यालय के विकास,प्रसार और सुधार के लिए योजनाएं तैयार करना।
3. ग्राम पंचायत में प्राथमिक शिक्षा की समस्त औपचारिक तथा अनौपचारिक योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करना।
4. विद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं समेत सुधारात्मक उपायों के लिए क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत तथा विभागीय अधिकारियों को महत्वपूर्ण सहयोग देना।
5. विद्यालयों में अध्यापकों तथा बच्चों की उपस्थित सुनिश्चित करना तथा इसके लिए आवश्यक उपायों को लागू करना।
6. यदि किसी विद्यालय में अध्यापक या अन्य कर्मचारी अपने दायित्वों का पालन नहीं करता है तो ऐसे मामले में विभागीय अधिकारियों से उचित कार्यवाही की सिफारिश करना।
7. शिक्षा सम्बन्धित ऐसे सभी कार्य करना जो उसे समय--समय पर विभाग द्वारा सौंपी जायें।

अभी तक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति एक कार्यदायी संस्था के रूप में नीति निर्धारण का कार्य भी करती रही है। जनपद में नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण में भी यह समिति सक्रिय सहयोग करती रही है। विद्यालय अनुदान निधि के अन्तर्गत प्रदत्त धनराशि के द्वारा विद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री क्रय की गयी है। ग्राम शिक्षा समितियों ने सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। विद्यालयों के शैक्षिक प्रबन्धन एवं नियोजन के सारे क्रियाकलापों में भी ग्राम शिक्षा समिति सक्रिय रही है। ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा योजना तैयार करने इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने तथा इसके सदस्यों को सूक्ष्म नियोजन के बारे में जानकारी दी जायेगी ताकि

शिक्षा के सार्वजनिकरण का हमारा लक्ष्य प्राप्त हो सके। इस सबके अलावा प्रारम्भिक शिक्षा के अन्य अवयवों जैसे शिक्षा गारन्टी योजना वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र ई0सी0सी0ई0 केन्द्र आदि के संचालन और इन योजनाओं के लिए आवश्यक संसाधनों का सकेन्द्रण एवं पूर्ति का अधिकार इस समिति का है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पैरा टीचर्स की नियुक्ति एवं उनके मानदेय का वितरण भी इस समिति के द्वारा किया जायेगा। पैरा टीचर्स में शिक्षा मित्र,अनुदेशक,आचार्य जी,गुरु जी,दीदी जी आदि की नियुक्ति का प्रावधान है। ग्राम शिक्षा समितियाँ बच्चों को छात्रवृत्ति का वितरण,मध्याह्न भोजन योजना तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण आदि का भी क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण करेगी। आवश्यकतानुरूप विभागीय योजनाओं की जानकारी देने एवं उनके उचित प्रबन्धन के लिए ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षित किया जायेगा।

<u>न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0) :</u> जनपद शाहजहाँपुर में जिला प्राथमिक **शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1997 में ही प्रत्येक न्याय पंचायत** में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र का निर्माण कराया जा चुका है। **इन केन्द्रों में न्याय पंचायत समन्वयकों** की नियुक्ति भी की जा चुकी है। इन समन्वयकों को प्रशिक्षण के माध्यम से अधिक क्रियाशील सक्रिय एवं कार्यों के प्रति उत्तरदायी बनाया जायेगा।

<u>कार्य एवं उत्तर दायित्व :</u>

1. **न्याय पंचायत में स्थित समस्त विद्यालयों का सतत्** भ्रमण करना तथा अध्यापकों एवं बच्चों को यथा आवश्यकता शैक्षिक समर्थन देना।
2. अपने क्षेत्र के समस्त अध्यापकों की नियमित बैठक करना तथा अध्यापन में आने वाली कठिनाइयों पर विचार विमर्श करना एवं निराकरण करना।
   यदि न्याय पंचायत स्तर पर कठिनाइयों का निराकरण नहीं होता है तो ब्लाक संसाधन केन्द्र अथवा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान का सहयोग प्राप्त करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित करना।
4. विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन हेतु योजनाएं बनाना तथा उन्हें क्रियान्वित करना।
5. न्याय पंचायत स्तर पर सूचनाओं का संकलन, सूक्ष्म नियोजन, मानचित्रण आदि करना तथा ब्लाक संसाधन केन्द्रों को सूचनाएं उपलब्ध कराना।
6. औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के साथ सहगामी योजनाओं जैसे ब्रिज कोर्स, समर कैम्प, ई0जी0एस0, वैकल्पिक शिक्षा, किशोरियों के लिए जीवनोपयोगी शिक्षा, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए शिक्षा आदि योजनाओं में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना।

क्षेत्र पंचायत शिक्षा समिति :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति पहले से ही गठित है। यह समिति सर्वशिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकास खण्ड स्तर पर कार्य का निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिए उत्तरदायी है। क्षेत्र पंचायत शिक्षा सलाहकार समिति का संगठनात्मक स्वरूप निम्नवत् है :-

1.	खण्ड विकास अधिकारी	:	अध्यक्ष
2.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी	:	सदस्य / सचिव
3.	विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	:	सदस्य
4.	विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम् प्रधानाध्यापक	:	सदस्य

अधिकार एवम् दायित्व :

यह समिति मुख्यतः ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करेगी। जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना, विकास खण्ड के समस्त शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना भी इस समिति का मुख्य दायित्व होगा। यह समिति ग्राम शिक्षा समिति तथा जिला शिक्षा परियोजना समिति के मध्य एक सेतु का कार्य करेगी। तथा समय-समय पर जिला योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना आदि से प्राथमिक विद्यालयों के लिए आवश्यकतानुरूप धन उपलब्ध कराने में भी सहयोग करेगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बार बैठक अवश्य होगी।

प्रशासनिक व्यवस्था :

विकास खण्ड स्तर : प्रत्येक विकास खण्ड मे पूर्व से ही एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/उपविद्यालय निरीक्षक कार्यरत है। यह अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेंगे तथा इस योजना के विभिन्न कार्यक्रमों का सतत् पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण विकास खण्ड स्तर पर इस अभियान के क्रियान्वयन तथा प्रगति का समस्त उत्तरदायित्व सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/उप विद्यालय निरीक्षक का होगा। विकास खण्ड स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा ब्लाक संसाधन केन्द्र के बीच समन्वय स्थापित करने का उत्तरदायित्व भी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा। विकास खण्ड में एक सक्षम सूचना तंत्र की स्थापना करना एवं सूचनाओं में पारदर्शिता बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका होगी। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होगे। अपने दायित्वों के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन के

लिए उन्हें व्यापक अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की जायेगी। विकास खण्ड परियोजना अधिकारियों के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे :–

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।
3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।
4 ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आंकड़े एकत्रित करना।
6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना एवं सूचना एकत्र करना।
7. खाद्यान वितरण तथा उससे सम्बन्धित संकलित करना।
8. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन जा0 के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।
9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।
10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक–छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्ति सुनिश्चित करना।
11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।
12. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई0जी0एस0 तथा ए0आई0ई0 के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उपविद्यालय निरीक्षक करेंगे तथा ई0जी0एस0 एवं ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का विवरण एवं कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में कक्ष की व्यवस्था पूर्व से ही की गयी है यह कक्ष सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी के कार्यालय के रूप में कार्य करेगा। इन अधिकारियों की क्षमता में वृद्धि एवं गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के साथ [illegible] भत्ता तथा रखरखाव हेतु नियत धनराशि 18,000/– प्रतिवर्ष प्रति विकास खण्ड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इन अधिकारियों को ई0जी0एस0/इ0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उनके शासकीय दायित्व के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0) :–

जनपद शाहजहाँपुर में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–II पहले से ही संचालित है और इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है इन ब्लाक संसाधन केन्द्रों में विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। साथ ही साज–सज्जा की भी व्यवस्था की जा रही है। इन केन्द्रों में ब्लाक समन्वयकों की नियुक्तियां की जा चुकी है तथा वे प्रशिक्षण प्राप्त कर कार्यरत हैं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम केवल 6 से 11 वय वर्ग के बच्चों की शिक्षा पर केन्द्रित था किन्तु सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वय वर्ष के बच्चों को लक्ष्य करके चलाया जा रहा है अतः इसके विस्तार और व्यापकता को देखते हुए प्रत्येक बी0आर0सी0 में एक अतिरिक्त सह–समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा। यह सह–समन्वयक विकास खण्ड परियोजना अधिकारी के कार्यो के पर्यवेक्षण, सूचना एकत्रिकरण,संश्लेषण विद्यालयी सांख्यिकी के संकलन सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायता करेंगे। प्रायः देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयकों तथा सह समन्वयकों का अधिकांश समय सूचनाओं के एकत्रिकरण एवं विश्लेषण में व्यतीत हो जाता है तथा उनका जो मूल कर्तव्य शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन का है उसमें वे अपना पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं। अतः विकास खण्ड स्तर पर एक सक्षम सूचना तन्त्र योजना विकसित करने की आवश्यकता एक कम्प्यूटर आपरेटर नियुक्त करने की योजना है। जिसके लिए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र पर एक लाख रूपये का प्रावधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एवम् दायित्व :–

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों का शैक्षिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है या नहीं।
3. विकास खण्ड स्तर पर शैक्षिक संसाधन समूह का गठन करना।
4. विकास खण्ड की शैक्षिक आवश्यकताओं का आंकलन एवम् संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
5. विकास खण्ड स्तर के अधिकारियों एवम् अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
6. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
7. विकास खण्ड के अन्तर्गत स्कूल से बाहर बच्चों के सम्बन्ध में वर्षवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूटराईज्ड विवरण तैयार करना।
8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय–समय पर एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जिला शिक्षा परियोजना समिति :-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के संचालन के लिए जनपद स्तर पर पूर्व से जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित है। इस समिति में जनपद के जिलाधिकारी–अध्यक्ष,मुख्य विकास अधिकारी –उपाध्यक्ष तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी–सचिव है। समिति का संगठनात्मक स्वरूप निम्नवत् है :-

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य / सचिव
4.	प्राचार्य डायट	सदस्य
5.	जिला श्रम अधिकारी	सदस्य
6.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
7.	वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	सदस्य
8.	अधिशासी अभियन्ता, आर0ई0एस0	सदस्य
9.	अधिशासी अभियन्ता,पी0डब्लू0डी0	सदस्य
10.	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
11.	दो शिक्षाविद् (वि0वि0 एवं महाविद्यालय से) जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य	
12.	दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम से एक वर्ष के लिए।	
13.	दो शिक्षक (राष्ट्रीय / राज्य पुरस्कार प्राप्त)	
14.	स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि, जिलाधिकारी द्वारा नामित।	

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व :-

सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए यह जनपद की सर्वोच्च नीति नियामत समिति होगी। डी0पी0ई0पी0 योजना के क्रियान्वयन क लिए यह समिति पहले से ही कार्यरत है। इस समिति को जनपद स्तर पर आवश्यकतानुसार निर्णय लेने का अधिकार है। नीति निर्धारण,नीतियों में परिवर्तन,भवनों के निर्माण कार्य,शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार,जनसहभागिता सुनिश्चित करने आदि में इसके निर्णय प्रभावी होगें। बच्चों के विद्यालय में प्रवेश ठहराव सम्प्राप्ति, निर्माण के लिए तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु संस्थाओं का निर्धारण एवं अभियान के प्रचार प्रसार के लिए सभी कार्य इस समिति के निर्देशों के अनुसार सम्पादित किये जायेगें। जनपद में शिक्षा गारन्टी योजना / वैकल्पिक नवाचार कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इस समिति का होगा। संक्षेप में यह समिति सर्व शिक्षा अभियान को समग्र रूप से जनपद में लागू करने के लिए उत्तरदायी होगी।

<u>जिला बेसिक शिक्षा समिति :–</u> उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है। जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है :–

1.	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य / सचिव
3.	अपर जिला मजिस्ट्रेट नियोजन	पदेन सदस्य
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6.	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी महिला (यदि हो तो)	पदेन सदस्य
7.	तीन व्यक्ति जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें	सदस्य
8.	विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अधीक्षण और निर्देशों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) नव सृजित प्राथमिक विद्यालयों के विकास एवं सुधार के लिए योजनायें तैयार करना।

जिला बेसिक शिक्षा समिति जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवीन विद्यालयों की स्थापना करने तथा नवाचार कार्यक्रमों का संचालन करने में महत्व पूर्ण भूमिका का निर्वाह करना।

<u>सर्व शिक्षा अभियान का प्रशासनिक तन्त्र</u>

<u>जिला परियोजना कार्यालय</u>

जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेगें। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन उनका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्गदर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेगें। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार

सृजित कर उसमें तैनाती की जायेगी। जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होगें।

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजना अधिकारी
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0)	1 प्रतिनियुक्ति पर
3.	समन्वयक	5 प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4	आशुलिपिक	1 प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
5	ओवरसियर	1 प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
6	कम्प्यूटर आपरेटर/सा0 सहायक	1 रू0 7,000/– नियत वेतन प्रति पद
7	सहायक लेखाधिकारी	1 प्रतिनियुक्ति पर
8.	लिपिक	1 नियत मानदेय के आधार पर
9.	परिचारक	3 नियत मानदेय के आधार पर
10	लेखाकार	1 प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
11	सहायक लेखाकार	1 प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ जिला परियोजना अधिकारी के नियंत्रण एव पर्यवेक्षण में कार्य करेगे। जनपद में कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होगे तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रम के क्रियान्वयन के उत्तर दायी होगें।

सर्व शिक्षा अभियान में उपबेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यलाय निरीक्षक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के समस्त स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने शासकीय कर्तव्य की तरह पूरा करेगें। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय पूर्ण लिपिकीय समर्थन है।

निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था :–

इस अभियान के अन्तर्गत होने वाले निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति की जायेगी। निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा। जिसके लिए मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग से पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता है। मानदेय की जो दर जिला शिक्षा प्राथमिक कार्यक्रम में निर्धारित हैं। उसी के अनुरूप भुगतान किया जायेगा। इसके अन्तर्गत कक्षा/कक्ष रू0 500/– प्रति विद्यालय तथा प्रति शौचालय में रू0 200/– की दर से अनुदान अनुमन्य हैं। प्राथमिक विद्यालय के साथ शौचालय होने पर उसके लिए अतिरिक्त मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा। अभियन्ताओं के मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य सन्तोषजनक होने

पर अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति/जिला अधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

<u>एजुकेशनल मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम :-</u>

जनपद स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु एक सुदृढ़ एवं समुन्नत ई0एम0आई0एस0 की स्थापना की जायेगी। जनपद शाहजहाँपुर में जिला प्राथमिक कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले से ही एम0आई0एस0 डाटा कैप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफ्टवेयर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जिला अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रय किया गया। एक कम्प्यूटर सिस्टम उपलब्ध है। जनपद स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के मूलभूत आंकड़े भी उपलब्ध है, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए साफ्टवेयर डाटाबेस तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर की आवश्यकता होगी जिसके लिए जनपद की वार्षिक कार्ययोजना में प्राविधान किया जा रहा है। इस सिस्टम के द्वारा शिक्षा गारन्टी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा।

जनपद स्तर पर कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अफसर एवं तीन कम्प्यूटर ऑपरेटर्स/सांख्यिकी सहायक नियुक्त किये जायेंगे। जिससे विभिन्न प्रकार के शैक्षिक आंकड़े तत्काल मिल सके एवं उनका विश्लेषण किया जा सके। जिला परियोजना कार्यालय इन आंकड़ों के आधार पर महत्वपूर्ण सूचनायें तत्काल प्राप्त कर सकेगा तथा शैक्षिक नियोजन एवं अनुश्रवण में उनका उपयोग कर सकेगा।

<u>ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व :-</u>

जनपद स्तर पर नियुक्त इस अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे :

1. विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।
2. भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पुल चैकिंग संपादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो, अभिलिखित करना।
3. [illegible] पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
4. संकुलवार व विकास खण्डवार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
5. समय से फील्ड स्टाफ (बी0आर0सी0 समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक,प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
6. माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।
7. सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी बैठकों/कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।
8. माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी सम्बन्धित को प्रस्तुत/प्रेषित करना।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीकी आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक है।

<u>प्रशिक्षण :-</u> विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक,संकुल प्रभारी बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और इन्हें ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हें भरने, संकलन विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकड़ों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिए भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आंकड़ों की शुद्धता की जांच हो सके।

1. <u>ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर) :-</u>

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी सभी समन्वयक स्टाफ,कम्प्यूटर,लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेगें।

2. <u>ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर) :-</u>

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एवं बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेगें।

3. <u>ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर) :-</u>

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेगे।

4. <u>ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्तर पर) :-</u>

एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एवं बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेगें। प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबन्धन एवं दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

<u>आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जाँच :-</u>

सर्व शिक्षा अभियान में आंकड़ों के एकत्रीकरण व शुद्धता पर विशेष बल दिया जायेगा। इसके राष्ट्रीय शैक्षिक अकादमी (नीपा) नई दिल्ली द्वारा प्राप्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्रों को प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में विद्यालय स्तर से भरा जायेगा तथा कम्प्यूटर

पर डाटा इन्ट्री कर ई०एम०आई०एस० रिपोर्ट तैयार की जायेगी। यह रिपोर्ट प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को यथा समय सत्यापनार्थ प्रेषित की जायेगी तथा यदि इस रिपोर्ट में किसी संशोधन की आवश्यकता होगी तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। इस प्रक्रिया से ब्लाक स्तर पर तथा जनपद स्तर पर सूचनाओं का एकत्रीकरण किया जायेगा तथा समय–समय पर शैक्षिक नियोजन में इन आंकड़ों का प्रयोग किया जा सकेगा।

<u>आंकड़ों का उपयोग :–</u>

उपर्युक्त वर्णित व्यवस्था से प्राप्त आंकड़ों के विशेषण द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाऐं जैसे छात्र अध्यापक अनुपात, कक्षा कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय, द्वि अध्यापकीय विद्यालय, जी०ई०आर०, एन०ई०आर०, ड्राप आउट रेट, आवंशत्ति दर आदि प्रतिवर्ष प्राप्त हो सकेगें। ई०एम०आई०एस० से प्राप्त आंकड़ों से माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त आंकड़ों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्यायोक्ता तैयार की जायेगी। इस व्यवस्था से प्राप्त आंकड़े निम्नलिखित कार्यो में भी प्रयोग किये जा सकेगें :–

1. नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहचान।
2. शिक्षा गारण्टी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रो की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।
6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।
7. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।
8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।
9. शिक्षकों का विवरण।
10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।
11. विकलांगतावार आंकड़ों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

शैक्षिक सूचनाओं के संश्लेषण एवं विश्लेषण से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों का उपयोग योजना, निर्माण तथा उसके क्रियान्वयन में किया जायेगा। इन आंकड़ों का उपयोग जिला परियोजना कार्यालय तथा ब्लाक संसाधन केन्द्र द्वारा योजना बनाने में किया जायेगा एवं इसके लिए यदि आवश्यकता हुई तो ब्लाक स्तरीय व जनपद स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

<u>को–हार्ट स्टडी :–</u>

छात्र / छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप आउट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार को–हार्ट स्टडी कराई जायेगी। स्टडी वाह्य एजेन्सी द्वारा कराई

जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिए पृथक–पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लगात रू0 2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम :–

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति को बढ़ाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एल0ए0सी0आई0 के अन्तर्गत कम्प्यूटराइज्ड वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली विकसित की जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोग किया जायेगा जिसके लिए भी एम0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान :–

जनपद शाहजहाँपुर में शिक्षा गुणवत्ता सर्म्वधन हेतु डायट पहले से ही प्रयासशील रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत डायट को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उपाय किये जायेगें। इसके निम्नलिखित कार्य होगें :–

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर/सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित कराना।
2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंसाधनों तथा अल्पकालिक शोध कार्यों के लिए डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।
3. ब्लाक स्तर के संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत कराना।
4. जनपद स्तर की शिक्षा निदान एवम् उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों/निष्कर्षों की जानकारी सर्व सम्बन्धित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।
5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।
6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रियाकलापों का निर्देशन एवं नियंत्रण करना।
7. जिले स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यों में नियोजन करना।
8. जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाईन सर्वे कराना।
10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11. शैक्षिक आंकड़ों (ई0एम0आई0एस0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।

12. शिक्षकों समन्वयकों, ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना।

फ्लो ऑफ फण्ड (निधि का हस्तान्तरण) :–

जिला परियोजना कार्यालय अपनी वार्षिक कार्ययोजना एवं राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। इस प्रस्ताव को सीमेट से अप्रैजल लेकर उ0प्र0 सभी के शिक्षा परियोजना परिषद से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट अनुमोदित हो जाने के पश्चात् धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एवं डायट को अवमुक्त की जायेगी। इन संस्थाओं के द्वारा आवश्यक धनराशि बी0आर0सी0 एवम् एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रस्थापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिर्धारित है। अतः रू0 5000/– मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू हैं। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एवं उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संयुक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम स्पष्ट निर्धारित है। परचेज एवं प्रोक्योरमेण्ट के नियम भी इसी संदर्शिका में निर्धारित किये गये है। जो परियोजना में भी अपनायें जायेगें तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूपरेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय–समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किया जायेगें। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है। जिनके बैंक में खाते पूर्व से ही संचालित हैं जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एवं व्यय धनराशि का संकलित वितरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

फन्ड एण्ड फ्लो डायग्राम

राज्य परियोजना कार्यालय

जिला परियोजना कार्यालय

1. बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0
2. ग्राम शिक्षा समिति
3. अध्यापक
4. स्वयं सेवी संस्थायें आदि

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0

आडिट व्यवस्था :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त लेखे जोखे का संप्रेक्षण स्वतंत्र रूप से चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा। यह कार्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष समाप्ति पर सम्पन्न होगा। सी0ए0 का चयन तथा टर्मस ऑफ रिफरेन्स फॉर आडिट का निर्धारण राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा किया जायेगा। इस योजना का आडिट राज्य एवं सरकार तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापना :-

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिला स्तर पर जिला परियोजना अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेंगी तथा कठिनाइयों पर फीड बैंक प्राप्त किया जायेगा।

समय समय पर राज्य परियोजना कार्यालय अपने स्तर पर बैठकें आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करेगा। प्रत्येक माह जिला स्तर के कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षो के आधार पर कार्य योजना के क्रियान्वयन में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। आगामी वर्ष के कार्य योजना एवं बजट बनाते समय गत वर्ष इसके क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए आवश्यक सुधारात्मक एवं उपचारात्मक उपाय किये जायेगें।

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान, में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के घुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठिया का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समावार पत्रों क माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रेल कन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

Shajhanpur

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2003-2004	
		Cost	Phy	Fin
A	ACCESS			
A1	New Primary School Unserved	260	0	0
A2	New Upper Primary Schools	451	95	26600
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	75	9000
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04	2 25	0	0
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003 04	9	0	0
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)	10	285	17100
A8	Teaching Learning Equipment		0	
A8 1	PS	10	0	0
A8 2	UPS	50	95	4750
A9	TLE UPS not covered OBB	50	0	0
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0
	Total		0	57400
	Interventions for out of school children		0	
A11	Alternative Schools		0	
A11.1	EGS (for 20 child per center))	0 845	179	3781 375
A11.2	Honoraria	1	179	179
A11 3	Training	1 6	179	268 5
A11 4	Contingency	0 468	179	83 772
A11 5	Equipment	1 70	179	319 04
A11.6	Adm. & Management Cost	6 056	0	0
A12	AIE/ Primary-including all models of DPEP(per child)- Shiksha Ghar	0.845	0	0
A13	AIE Upper Primary	1 2	2	72
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1 5	0	0
A15	Bridge/Remedial course PS	180	3	540
A16	Bridge Course at NPRC level	0 845	126	4258 8
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15 35	0	0
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0
	ACCESS Subtotal		0	66948 49
R	RETENTION		0	
R1	Reconstruction - PS	191	50	9550
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0
R3	Additional Classrooms		0	
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	100	7000
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	25	1750
R4 1	Toilets Upper Primary	10	0	0
R4 2	Toilets Primary	10	50	500
R5 1	Drinking Water Primary	15	0	0
R5 2	Drinking Water Upper Primary	15	0	0
R6 1	Repair & Maintenance of School Primary	5	1976	9880
R6 2	Repair & Maintenance of School UPS	5	25	125
R7 1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0
R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2 25 pm	2 25	0	0
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0
R7.4	Salary of Fresh SM(PS)	2 25	0	0
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2 25	2017	49921
R10.1	School improvement grant(p a /school) Ps	2	1976	3952
R10 2	School improvement grant(p a /school) UPs	2	415	830
R12	Promoting Girls Education		0	0
R12.1	Summer Camps	4 5	30	135
R12 2	MCDA	75	6	450
R12 3	Meena Manch	4	30	120
R12 4	SUPW for Girls Per School	25	10	250
R12 5	Trg /Refresher courses for Gender Coordinators	0 07	0	0
	Opening of ECCE centers		0	
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0
R13 1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	
R13 2	TLM(per center)	5	100	500
R13 3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth)	0 375	100	375
R13 4	Contingency(per center)	1 6	100	160
R13 5	Training		0	
R13 5a	Induction & Recurring	0 07	0	0
R16	Community Mobilization		0	
R16 1	MTA/PTA training for 2 days per person	0 07	0	0
R16 2	Bal Mela at NPRC(5 ps per NPRC)	5	0	0
R16 3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day	0 48	958	459 84
R17	Award to Best VEC (2 no)	25	0	0
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0
R19	Special Interventions for SC/ST children	60 /	0	0
R20	Samudayik Beti Evam Udbodhan Innovative Prog	60	0	6000
R21	School Health Check up/School Pol...	5 5	0	0
	RETENTION Sub Total		0	90847.69
Q	QUALITY IMPROVEMENT		0	
Q1	Training Programmes		0	
Q1 1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2 1	1215	2551 5
Q1 2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0 07	0	0
Q1 3	In-service Teachers Trg (/person for 20 days) HT + AT for PS	1 4	7000	9800
Q1 4	In-service Teachers Trg (/person for 20 days) UPS	1 05	1047	1099 35
Q1 5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0 07	0	0
Q1 6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0 07	0	0
Q1 7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0 07	0	0
Q1 8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0 07	0	0
Q1 9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0 07	0	0
Q1 10	ABSA/SDI Trg (/person for 5 days)	0 07	0	0
Q2	IED Provision for disable children	1 2	0	0
Q2 1	IED-Medical Assessement	2 3	42	96 6
Q2 2	Printing of Modules	9	12	108
Q2 3	Funds for NGOs	300	0	0

Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	14	70
Q2.5	Support Services	5	2	10
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	24	31.44
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	99	1702.8
Q2.8	Aids and Appliances	15	3	45
Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	1	10
Q2.10	Awareness workshop	5.3	14	74.2
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	1	20
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	10	88
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0
Q5	Teacher Learning Material		0	
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	7200	3600
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	2172	1086
Q5.3	Free Text book PS	0.05	128740	6437
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	28534	4280.1
Q5.5	School Library	0.15	0	0
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of All Trg. Modules	0.05	0	0
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0
Q5.9	Schools Awards	25	0	0
	QUALITY Sub Total		0	31100.99
C	CAPACITY BUILDING		0	
C1	DIET Capacity Building		0	
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	90	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0
C1.3	Maintenance of Computer Room	60	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	20	0	0
C1.5	Travelling Allowance	60	0	0
C1.6	Hiring	25	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0
C1.8	Seminar	200	0	0
C1.9	Research/Action Research	200	0	0
C1.10	Exposure Visit	50	0	0
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0
C1.14	Contingency	50	0	0
C2	Block Resource Center		0	
C2.1	Civil Construction	800	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	14	84
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0
C2.9	TLM(per center)	5	15	75
C2.10	Consumables	5.0	0	0
C2.11	Contingency	12.5	15	187.5
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0
C2.13	Contingency - ABSA	0.0	0	0
C3	School Complex (NPRC)		0	0
C3.1	Construction	70	0	0
C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5		0
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	126	126
C3.4	Contingency	2.5	126	315
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	126	302.4
C4	District Project Office/Management		0	0
C4.1	Staffing		0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	6	1080
C4.3	Salary of AE	15	1	180
C4.4	Equipment Maintenance	30	1	30
C4.5	Furniture/Fixtures	30	1	30
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	15	270
C4.8	Travelling Allowances	10	7	70
C4.9	Consumables	[illegible]	1	[illegible]
C4.10	Telephone/Fax	[illegible]	1	[illegible]
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	[illegible]	1	[illegible]
C4.12	Pay to JE	10	15	1800
C4.13	Hiring of Vehicle	10	1	10
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	1976	2766.4
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	290	406
C4.16	Contingency	100	1	100
C4.17	AWP & B	10	1	10
	Total		0	8012.3
C5	MIS		0	
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	1	554
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0
C5.6	Computer Software	20	0	0
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0
C5.8	Printing & Distribution of Data Formats	40	0	0
C5.9	Maint. of Equip & Consumables	20	0	0
C5.10	Computer Consumable	25	0	0
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0
	CAPACITY Sub Total		0	8608.3
	GRAND TOTAL		0	197572.37

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention

Shajhanpur

Heads	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	Total
Civil	12325.0	45400.0	85847.0	71520.0	63140.0	278232.0
Management	427.0	6922.4	7860.6	7751.6	7760.6	31285.2
Programme	24442.6	145250.0	350403.1	249132.6	258781.6	1027505.8
Total	37194.6	197572.4	444110.7	328403.2	329682.2	1337023.0
Percentage						
Civil	33.1	23.0	19.3	21.3	19.2	20.8
Management	1.1	3.5	1.8	2.4	2.4	2.3
Programme	65.7	73.5	78.9	75.9	78.5	76.9
Total	100	100	100	100	100	100

SARVA SHIKSHA ABHIYAN
Shajhanpur

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003 Phy	2002-2003 Fin	2003-2004 Phy	2003-2004 Fin	2004-2005 Phy	2004-2005 Fin	2005-2006 Phy	2005-2006 Fin	2006-2007 Phy	2006-2007 Fin	Total Phy	Total Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	0	0	0	0	5	1280	0	0	5	1280
A2	New Upper Primary Schools	451	25	11275	95	26600	0	0	5	1400	0	0	125	39275
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	75	7200	75	9000	75	9000	75	9000	75	9000	375	43200
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	0	0	0	0	5	123.75	5	123.75	10	247.5
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	0	0	0	0	5	540	5	540	10	1080
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	285	17100	285	34200	300	36000	300	36000	1170	123300
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	0	0	0	0	5	50	0	0	5	50
A8.2	UPS	50	40	2000	95	4750	0	0	5	250	0	0	140	7000
A9	TLE UPS not covered OBB	50	40	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	40	2000
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total		0	**22475**	0	**57450**	0	**43200**	0	**48643.75**	0	**45663.75**		**217432.5**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	179	3781.375	529	11175.125	879	18568.875	1179	24906.375	2766	58431.75
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm & Management Cost / AIE Primary(including all models of DPEP(per child)- Shiksha	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	Ghar	0.85	0	0	0	0	100	2112.5	100	2112.5	100	2112.5	300	6337.5
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	2	72	152	5472	302	10872	100	3600	556	20016
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	3	540	0	0	0	0	0	0	3	540
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	126	4258.8	126	4258.8	126	4258.8	126	4258.8	[illegible]	17035.2
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ACCESS Subtotal		0	**22475.00**	0	**66102.18**	0	**66218.43**	0	**84455.93**	0	**80541.43**	0	**319792.95**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	50	9550	77	14707	0	0	0	0	127	24257
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	100	7000	902	63140	902	63140	902	63140	2806	196420
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	12	840	25	1750	100	7000	104	7280	0	0	241	16870
R4.1	Toilets Upper Primary	10	20	200	0	0	0	0	0	0	0	0	20	200
R4.2	Toilets Primary	10	0	0	50	500	200	2000	110	1100	100	1000	460	4600
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	1976	9880	1976	9880	1976	9880	1981	9905	7909	39545
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1450	393	1965	393	1965	398	1990	1739	6695

R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	105	10080	298	28608	383	36768	786	75456
R7 5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2 25	0	0	2017	27230	294	7276.5	85	2103.75	87	2153.25	2483	38753
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	2001	4002	1976	3952	1981	3962	1981	3962	7939	15878
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	265	530	415	830	447	894	452	904	452	904	2031	4062
R12	**Promoting Girls Education**		0	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	30	135	30	135	30	135	90	405
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	6	450	6	450	6	450	18	1350
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	30	120	30	120	30	120	90	360
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	10	250	10	250	10	250	30	750
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	150	750	150	750	150	750	450	2250
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	150	562.5	150	562.5	150	562.5	450	1687.5
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	150	225	150	225	150	225	450	675
R13.5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	126	630	126	630	126	630	378	1890
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	958	459.84	958	459.84	958	459.84	958	459.84	3832	1839.36
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	15	75	15	75	15	75	45	225
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	2212	0	0	30	2001	30	2001	30	2001	90	8215
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog	50	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	2369	5922.5	2369	5922.5	2369	5922.5	7107	17767.5
	RETENTION Sub Total		0	**6045**	0	**67651.34**	0	**182446.1**	0	**187770.84**	0	**190754.09**	**0**	**634667.36**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	1215	2551.5	105	220.5	198	415.8	87	182.7	1605	3370.5
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	120	252	0	0	105	220.5	213	447.3	87	182.7	525	1102.5
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	0	0	7000	9800	7000	9800	7005	9807	7005	9807	28010	39214
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	845	1183	1047	1099.35	1047	1099.35	1062	1115.1	1062	1115.1	5063	5611.9
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra (/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	0	0	5	7	5	7	10	14
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	28	19.6	28	19.6	28	19.6	84	58.8
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	126	88.2	126	88.2	126	88.2	378	264.6
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	30	10.5	30	10.5	30	10.5	90	31.5
Q2	IED Provision for disable children	1.2	0	0	1880	2256	3524	4228.8	3524	4228.8	3524	4228.8	12452	14942.4
Q2.1	**IED**-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	[illegible]	10	0	0	0	0	0	0	[illegible]					
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	7200	3600	8210	4105	8603	4301.5	8775	4387.5	32788	16394
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	965	482.5	2172	1086	1590	795	1605	802.5	1605	802.5	7937	3968.5
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	48534	2426.7	130000	6500	133200	6660	133400	6670	445134	22256.7
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	36354	5453.1	28534	4280.1	31300	4695	34400	5160	34700	5205	165288	24793.2
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	QUALITY Sub Total		0	**7370.6**	0	**27099.65**	0	**31782.45**	0	**33063.3**	0	**32706.6**		**132022.6**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	600	36000	0	0	0	0	600	36000
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	150	7500	0	0	0	0	150	7500
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	50	4000	0	0	0	0	50	4000
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	200	40000	0	0	0	0	200	40000
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	200	40000	0	0	0	0	200	40000
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	200	10000	0	0	0	0	200	10000
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	1	800	0	0	0	0	1	800
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	1	144	1	144	1	144	3	432
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	1	66	1	66	1	66	3	198
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	1	36	1	36	1	36	3	108
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	1	10
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	14	84	15	90	15	90	15	90	59	354
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	15	30	0	0	0	0	15	30
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	15	150	0	0	0	0	15	150
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	14	70	15	75	0	0	0	0	29	145
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	15	75	0	0	0	0	15	75
C2.11	Contigency	12.5	0	0	14	175	15	187.5	0	0	0	0	29	362.5
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	126	453.6	0	0	0	0	126	453.6
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	15	75	15	75	15	75	45	225
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0

C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	126	126	126	126	126	126	126	126	504	[illegible]
C3.4	Contingency	2.5	0	0	126	315	126	315	126	315	126	315	504	1260
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	126	302.4	126	302.4	126	302.4	126	302.4	504	1209.6
C4	District Project Office/Management		0	888	0	2310	0	0	0	0	0	0	0	3198
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	7	1260	7	1260	7	1260	21	3780
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	1	180	1	180	1	180	3	540
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	15	270	15	270	15	270	45	810
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	0	0	15	150	15	150	15	150	45	450
C4.9	Consumaables	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.12	Pay to JE	10	0	0	0	0	15	1800	15	1800	15	1800	45	5400
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	1976	2766.4	1976	2766.4	1976	2766.4	1976	2766.4	7904	11065.6
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	305	427	290	406	393	550.2	393	550.2	393	550.2	1774	2483.6
C4.16	Contingency	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.17	AWP & B	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
	Total		0	1315	0	6554.8	0	147772.1	0	8491	0	8491		172623.9
C5	MIS		0	0	0		0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	1	524	0	0	0	0	0	0	1	524
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	1	144	1	144	1	144	3	432
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	1	90	1	90	1	90	3	270
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	1	100
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	CAPACITY Sub Total		0	1315	0	7078.8	0	148296.1	0	8915	0	8915	0	174519.9
	GRAND TOTAL		0	37205.6	0	167931.97	0	428743.07	0	314205.07	0	312917.12	0	1261002.81

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention — **Shajhanpur**

	2002-03	2003-04	20004-05	2005-06	2006-07	Total
Civil	12315.0	45400.0	86847.0	74200.0	64140.0	282902.0
Management	427.0	3172.4	7860.6	7760.6	7760.6	27505.2
Programme	24463.6	119359.6	334035.5	232244.5	241016.5	950595.6
Total	**37205.6**	**167932.0**	**428743.1**	**314205.1**	**312917.1**	**1261002.8**
Percentage - Civil	**33.1**	**27.0**	**20.3**	**23.6**	**20.5**	**22.4**
Percentage - Management	**1.1**	**1.9**	**1.8**	**2.5**	**2.5**	**2.2**
Percentage - Programme	**65.8**	**71.1**	**77.9**	**73.9**	**77.0**	**75.4**
Percentage - Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**